PAR 340
DATE 21.6.65

# लोक-सभा वाद-विवाद
## का
## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF
## 3rd
# LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र
**Eleventh Session**

सत्यमेव जयते

Preservation ... 27-5-92
Fumigated On 26.12.83
Parliament Library

**खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं**
**Vol XXXVIII contains Nos. 1—10**

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2577 (Ai) LS—1.

# विषय-सूची

**अंक 6—बुधवार, 24 फरवरी, 1965/5 फाल्गुन, 1886 (शक)**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर


| *तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 117 | रामेश्वरम में तूफान | 439–43 |
| 118 | सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श व्यवस्था | 443–47 |
| 119 | हिन्दी का प्रयोग | 447–48 |
| 131 | हिन्दी विरोधी प्रदर्शन | 448–53 |
| 120 | रद्द की गयी औद्योगिकी का आयात | 454–57 |
| 121 | वैज्ञानिकों की अकादमी | 457–61 |
| 122 | भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सम्बन्धी प्रक्रिया | 461–62 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर


| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| 123 | पटाखों के अवैध कारखाने | 462–63 |
| 124 | पाकिस्तानी अवैध प्रवेशकर्त्ताओं का निष्कासन | 463–64 |
| 125 | इंडिया आफिस लाइब्रेरी | 464 |
| 126 | हल्दिया में लुब्रीकेटिंग तेल संयंत्र | 464–65 |
| 127 | मद्रास उच्चन्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति | 465–66 |
| 128 | हिन्दी में प्रशासनिक शब्दावलि | 466–67 |
| 129 | पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के बड़ी संख्या में आने के बारे में जांच आयोग | 467–68 |
| 130 | नेफा में शरणार्थियों का पुनर्वास | 468 |
| 132 | अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए हिन्दी माध्यम | 468–69 |
| 133 | गंगा के मैदान में तेल | 469 |
| 134 | अंदमान में पुनर्वास | 470–71 |
| 135 | बिहार के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप | 471 |
| 136 | अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह | 471–72 |
| 137 | अखिल भारतीय शिक्षा सेवा | 472–73 |
| 138 | साम्यवादी दल के वामपक्षी गुट | 473 |
| 139 | समान बिक्री कर | 473–74 |
| 140 | श्री कैरों की हत्या | 474 |
| 141 | उर्वरक कारखाने | 475–76 |
| 142 | तेल की खोज | 476–77 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

## CONTENTS

*No. 6–Wednesday, February 24, 1965/Phalguna 5, 1886 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Question Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 117 | Cyclone in Rameshwaram | 439–43 |
| 118 | Joint Consultative Machinery for Government Employees | 443–47 |
| 119 | Use of Hindi | 447–48 |
| 131 | Anti Hindi Demonstrations | 448–53 |
| 120 | Import of discarded Technology | 454–57 |
| 121 | Academy of Scientists | 457–61 |
| 122 | Procedure of Enquiry into Charges of Corruption | 461–62 |


WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Question Nos.* | | |
|---|---|---|
| 123 | Illegal Cracker Factories | 462–63 |
| 124 | Deportation of Pakistani Infiltrants | 463–64 |
| 125 | Indian Office Library | 464 |
| 126 | Lubricating Oil Plant at Haldia | 464–65 |
| 127 | Ex-Chief Justice of Madras High Court | 465–66 |
| 128 | Administrative Terminology in Hindi | 466–67 |
| 129 | Enquiry Commission on Exodus of Minorities from East Pakistan | 467–68 |
| 130 | Rehabilitation of Refugees in NEFA | 468 |
| 132 | Hindi Medium for All India Services Examinations | 468–69 |
| 133 | Oil in Gangetic Plain | 469 |
| 134 | Rehabilitation in Andamans | 470–71 |
| 135 | Allegations against the Chief Minister of Bihar | 471 |
| 136 | Andaman and Nicobar Islands | 471–72 |
| 137 | All India Educational Service | 472–73 |
| 138 | Leftist Faction of Communist Party | 473 |
| 139 | Uniform Sales Tax | 473–74 |
| 140 | Assassination of Shri Kairon | 474 |
| 141 | Fertilizer Plants | 475–76 |
| 142 | Oil exploration | 476–77 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 252 | हिन्दी परीक्षायें | 477 |
| 253 | राष्ट्रमण्डल छात्रवृत्ति योजना | 477–78 |
| 254 | हिन्दी के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां | 478 |
| 255 | शिकायत एकक | 478–79 |
| 256 | दुर्गापुर में उर्वरक कारखाना | 479–80 |
| 257 | न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करना | 480 |
| 258 | मैसूर सरकार के पदाधिकारियों को वरिष्ठता | 480–81 |
| 259 | सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता | 481 |
| 260 | सरकारी कर्मचारी आचरण निगम | 481–82 |
| 261 | इंडियन आयल कम्पनी में नौकरियां | 482 |
| 262 | पूर्वी पाकिस्तान से मिलती हुई सीमा की नाकाबन्दी | 483 |
| 263 | सतर्कता आयोग | 483–84 |
| 264 | समुद्र विज्ञान | 484 |
| 265 | अन्धों के लिये पुस्तकें | 484 |
| 266 | मद्रास में तेल शोधन कारखाना | 485 |
| 267 | गोहाटी तेल शोधन कारखाने में तैयार होने वाली गैस | 485 |
| 268 | तेल शोधक कारखानों का विस्तार | 485–86 |
| 269 | जमाखोरी तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग | 486 |
| 270 | दिल्ली प्रशासन विभाग में हिन्दी का प्रयोग | 486 |
| 271 | शराब का तस्कर व्यापार | 487 |
| 272 | दिल्ली में विस्फोटक को रोकने के लिये गुप्तचर विभाग के कर्मचारी | 487 |
| 273 | आन्तरिक सुरक्षा बल | 487–88 |
| 275 | अफ्रीकी अध्ययन | 488 |
| 276 | राष्ट्रीय अनुशासन योजना | 488–89 |
| 277 | राष्ट्रीय अनुशासन योजना का निदेशालय | 489 |
| 278 | दिल्ली नगर-निगम का कार्य-संचालन | 489–90 |
| 279 | ग्रीष्म कालीन विज्ञान कार्यक्रम | 490 |
| 280 | गैर-सरकारी इंजीनियरी कालिज | 491 |
| 281 | गोहाटी शोधन शाला | 491 |
| 282 | विदेशी धर्म प्रचारक | 491–92 |
| 283 | बस्तर के भूतपूर्व नरेश | 492 |
| 284 | माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी | 492–93 |
| 285 | तिब्बती बच्चों के लिये स्कूल | 493–94 |
| 286 | दिल्ली में हत्यायें | 494 |

WRIT TEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*


| *Unstarred Question Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 252 | Hindi Examinations | 477 |
| 253 | Commonwealth Scholarships Scheme | 477–78 |
| 254 | Scholarships for Study of Hindi | 478 |
| 255 | Complaint Cells | 478–79 |
| 256 | Fertilizer Plant at Durgapur | 479- 80 |
| 257 | Separation of Judiciary from Executive | 480 |
| 258 | Seniority of Mysore Government Officers | 480–81 |
| 259 | Recognition of Unions of Government Employees | 481 |
| 260 | Government Servants' Conduct Rules | 481–82 |
| 261 | Jobs in I.O.C. | 482 |
| 262 | Sealing off East Pakistan border | 483 |
| 263 | Vigilance Commissions | 483–84 |
| 264 | Oceanography | 484 |
| 265 | Braille Books | 484 |
| 266 | Madras Refinery | 485 |
| 267 | Gas from Gauhati Refinery | 485 |
| 268 | Expansion of Oil Refineries | 485–86 |
| 269 | Use of D.I.R. against Hoarders and Profiteers | 486 |
| 270 | Hindi in Delhi Administration | 486 |
| 271 | Smuggling of Liquor | 487 |
| 272 | Staff to check explosions in Delhi. | 487 |
| 273 | Internal Security Force | 487–88 |
| 275 | African Studies | 488 |
| 276 | National Discipline Scheme. | 488–89 |
| 277 | Directorate of National Discipline Scheme | 489 |
| 278 | Delhi Municipal Corporation | 489–90 |
| 279 | Summer Science Programme | 490 |
| 280 | Private Engineering Colleges | 491 |
| 281 | Gauhati Refinery | 491 |
| 282 | Foreign Missionaries | 491–92 |
| 283 | Ex-Ruler of Bastar | 492 |
| 284 | Hindi in Secondary Schools | 492–93 |
| 285 | Schools for Tibetan Children | 493–94 |
| 286 | Murders in Delhi | 494 |

| अतारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 287 | अखिल भारतीय वन तथा इंजीनियर सेवायें | 495 |
| 288 | सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस्तियां तथा दायित्व घोषित करना | 495–96 |
| 289 | सीमित प्रतियोगी परीक्षा | 496 |
| 290 | केन्द्रीय सतर्कता आयोग | 497 |
| 291 | विश्वविद्यालयों को अनुदान | 497 |
| 292 | नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध | 497–98 |
| 293 | क्रिकेट | 498 |
| 294 | वैज्ञानिक अनुसन्धान | 498–99 |
| 295 | निरक्षरता | 499 |
| 296 | भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति | 499–500 |
| 297 | काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसी गिरोह | 500 |
| 298 | वैज्ञानिक पूल | 500–501 |
| 299 | "फैक्ट" म विस्फोट | 501 |
| 300 | कोयाली तेल शोधक कारखाना | 501–502 |
| 302 | खनन इंजीनियरिंग संस्था में हड़ताल | 502 |
| 303 | साम्यवादी नजरबन्दी | 503 |
| 304 | माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग | 503 |
| 305 | संस्कृत, अरबी तथा पाली का अध्ययन | 504 |
| 306 | जासूसों की गिरफ्तारी | 504 |
| 309 | केरल के स्कूलों के अध्यापक | 504 |
| 310 | विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां | 504 |
| 311 | कालीबांग में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई | 505 |
| 312 | कछार में भारतीय चाय संस्था की योजना | 505 |
| 313 | नामरूप उर्वरक कारखाना | 505–06 |
| 314 | केरल में विद्यालयों के अध्यापक | 506 |
| 315 | रिफायनरी गैस | 506 |
| 316 | विदेशी भाषाओं की संस्थायें | 507 |
| 317 | बुनियादी शिक्षा सप्ताह | 507 |
| 318 | गुजरात में गैस का मूल्य | 508 |
| 319 | पुनर्वास उद्योग निगम | 508 |
| 320 | उड़ीसा के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सभा भवन | 508–09 |
| 321 | स्त्रियों के लिये पालीटेक्निक्स | 509 |
| 322 | उड़ीसा उच्च न्यायालय | 510 |
| 323 | उड़ीसा में पैट्रोलियम की खपत | 510 |
| 324 | उड़ीसा में जूनियर तकनीकी विद्यालय | 510 |
| 325 | गैर-सरकारी क्षेत्र से मांगे गये अधिकारी | 511 |

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*


| *Unstarred Question Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 287 | All India Forest and Engineers Services | 495 |
| 288 | Declaration of Assets and Liabilities by Government Employees | 495–96 |
| 289 | Limited Competitive Examination | 496 |
| 290 | Central Vigilance Commission | 497 |
| 291 | Grants to Universities | 497 |
| 292 | Ban on Creation of Posts | 497–98 |
| 293 | Cricket | 498 |
| 294 | Scientific Research | 498–99 |
| 295 | Illiteracy | 499 |
| 296 | S.Cs. and S.Ts. in I.A.S. | 499–500 |
| 297 | Pak. spy ring in Kashmir | 500 |
| 298 | Scientific Pool | 500–01 |
| 299 | Explosion in FACT | 501 |
| 300 | Koyali Refinery | 501–02 |
| 302 | Strike in Mining Engineering Institutes | 502 |
| 303 | Communist Detenues | 503 |
| 304 | Secondary Education Grants Commission | 503 |
| 305 | Study of Sanskrit, Arabic, Persian and Pali | 504 |
| 306 | Arrest of Spies | 504 |
| 309 | School Teachers of Kerala | 504 |
| 310 | Scholarship for Studies Abroad | 504 |
| 311 | Archaeological Excavations in Kali Banga | 505 |
| 312 | Indian Tea Association Scheme in Cachar | 505 |
| 313 | Namrup Fertilizer Plant | 505–06 |
| 314 | School Teachers in Kerala | 506 |
| 315 | Refinery Gas | 506 |
| 316 | Institutes of Foreign Languages | 507 |
| 317 | Basic Education Week | 507 |
| 318 | Price of Gas in Gujarat | 508 |
| 319 | Rehabilitation Industries Corporation | 508 |
| 320 | Auditoria in Orissa Schools and Colleges | 508–09 |
| 321 | Polytechnics for Women | 509 |
| 322 | Orissa High Court | 510 |
| 323 | Consumption of Petroleum in Orissa | 510 |
| 324 | Junior Technical Schools in Orisssa | 510 |
| 325 | Officers borrowed from Private Sector | 511 |

**अतारांकित**


| प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 327 | केरल में विभागीय विद्यालय | 511 |
| 328 | दिल्ली के महाविद्यालयों में प्रवेश | 511 |
| 329 | पांडिचेरी में तेल की खोज | 512 |
| 330 | तीन भाषाओं का फार्मूला | 512 |
| 331 | भारत प्रतिरक्षा निगम के अन्तर्गत केरल में नजरबन्द व्यक्ति | 512–13 |
| 332 | दिल्ली में "शाटगन" के कारतूसों की कमी | 513 |

**गोवा के बारे में** . . . . . 513

**प्रश्न काल के विनियमन के बारे में** . . . . 514

**निधन सम्बन्धी उल्लेख** . . . . . 514

(श्री शंकरराव खण्डेराव दिगे)

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** . . 514–15

दक्षिण-पूर्वी रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों का हटाया जाना

**सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . 515–16

विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता के अन्यासियों की कार्यपालिका समिति का वार्षिक प्रतिवेदन . . . . . 516

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति** . . 516

छप्पनवां प्रतिवेदन

**22 फरवरी, 1965 को उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में** . . 517

**राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव** . . . . 517–42

श्रीमती अकम्मा देवी . . . . 519

डा० गोविन्द दास . . . . 519–20

श्री दाजी . . . . 520–22

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . . . 522–25

श्री मानवेन्द्र शाह . . . . 525–26

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती . . . . 526–27

श्री गु० सिं० मुसाफिर . . . . 527–28

श्री प्र० रं० पटेल . . . . 528–29

श्रीमती गायत्री देवी . . . . 529–31

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा . . . . 531–32

श्री बूजराज सिंह . . . . 532–34

श्री हिम्मतसिंहका . . . . 534–35

श्री अ० सि० सहगल . . . . 536–36

श्री समनानी . . . . 536–37

डा० राम मनोहर लोहिया . . . . 537–40

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या . . . . 540–42

| *Unstarred Question Nos.* | *Subject* | PAGES |
|---|---|---|
| 327 | Departmental Schools in Kerala | 511 |
| 328 | Admission in Delhi Colleges | 511 |
| 329 | Oil in Pondicherry | 512 |
| 330 | Three Language Formula | 512 |
| 331 | Detenues in Kerala under D.I.R. | 512–13 |
| 332 | Shortage of Shotgun Cartridges in Delhi | 513 |
| *Re* : Goa | | 513 |
| *Re* : Regulation of Question Hour | | 514 |
| Obituary reference | | 514 |
| | (Shri Shankarrao Khanderao Dige) | |
| Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | | 514-15 |
| | Discharge of casual labour on South Eastern Railway | |
| Papers laid on the Table | | 515-16 |
| Annual Report of Executive Committee of Irustees of the Victoria Memorial Calcutta | | 516 |
| Committee on Private Members' Bills and Resolutions | | 516 |
| | Fifty-sixth Report | |
| *Re* : Point of Order raised in 22-2-65 | | 517 |
| Motion on the President's Address | | 517—42 |
| | Shrimati Akkamma Devi | 519 |
| | Dr. Govid Das. | 519-20 |
| | Shri Daji. | 520—22 |
| | Shri Harish Chandra Mathur | 522—25 |
| | Shri Manabendra Shah | 525-26 |
| | Shri Jagdev Singh Siddhanti | 526-27 |
| | Shri G.S. Musafir | 527-28 |
| | Shri P.R. Patel. | 528-29 |
| | Shrimati Gayatri Devi | 529—31 |
| | Shrimati Lakshmikanthamma | 531-32 |
| | Shri Brij Raj Singh | 532—34 |
| | Shri Himatsingka | 534-35 |
| | Shri A.S. Saigal | 535-36 |
| | Shri Samnani | 536-37 |
| | Dr. Ram Manohar Lohia | 537—40 |
| | Shri P. Venkatasubbaiah | 540—42 |

# लोक-सभा

## LOK SABHA

बुधवार, 24 फरवरी, 1965/5 फाल्गुन, 1886 (शक)

*Wednesday, Feb. 24, 1965/Phalguna, 5, 1886 (Saka)*

---

**लोक सभा ग्यारह बजे समवत हुई**

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**रामेश्वरम में तूफान**

+

†117. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री हेडा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री गो० महन्ती :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

श्री सेझियान :
डा० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री मधु लिमये :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री चुनी लाल :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री हेम राज :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री सूर्य प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 दिसम्बर, 1964 को रामेश्वरम् में भारी तूफान आया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें जान और माल की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) विपदाग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई सहायता दी गई है, तो वह क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) मद्रास के दक्षिण-पूर्वी समुद्र-तट पर 22 और 23 दिसम्बर, 1964 को तूफान और बाढ़ें आईं ।

(ख) और (ग) एक विवरण, जिस में इस बारे में सूचना दी गई है, सदन के सभा-पटल पर रख दिया है ।

**[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-3835/65]**

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि अधिकारियों ने मौसम के बारे में रेडियो द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह नहीं की और तबाही से बचने के कोई उपाय नहीं किये गये ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** जी नहीं । रेडियो ने 21 तथा 22 दिसम्बर, 1964 को चेतावनी दी थी । तूफान के दिन स्थानीय अधिकारियों ने भी चेतावनी दी थी और बहुत से मछुवों ने इस का लाभ उठाया और मछली पकड़ने नहीं गये ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** विवरण में कहा गया है कि मरने वालों की ठीक संख्या का अभी पता नहीं चला है । क्या इसको जानने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और कि कुल कितनी भूमि समुद्र में चली गई है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। हमारे विचार से मरने वालों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी । जहां तक सम्पत्ति की हानि के बारे में मैंने विवरण में कुछ जानकारी दी है ।

**श्री विश्वनाथ राय :** क्या आने वाले तूफानों के बारे में चेतावनी देने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** जी हां व्यवस्था है परन्तु वह उसमें सुधार करने की सोच रहे हैं ।

**Shri Yashpal Singh :** Is it a fact that there is no arrangement for drinking water there and people were without water; if so, the loss sustained on account of this ?

**Shri L. N. Mishra :** As everything was destroyed suddenly, difficulties were experienced. For some time drinking water was not available there and it was sent afterwards. It is correct that people suffered.

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या सरकार ने कोई प्रयत्न किए हैं जिनसे मालूम हो सके कि तूफान क्यों आया था ? क्या यह भारत के तट के निकट किसी ज्वालामुखी के फटने के कारण था अथवा किसी और कारण से ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** हमें किसी ज्वालामुखी के फटने की जानकारी नहीं । तूफान आने के कारणों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । परन्तु यह चेतावनी दे दी गई थी कि मद्रास के दक्षिणी तट पर तूफान आने वाला है ।

**Shri Naval Prabhakar :** Referring to the loss of property the statement says that 445 fishing boats were completely destroyed and 850 boats were badly damaged. I want to know whether any financial aid has been given to these people.

**Shri L. N. Mishra :** The loss was heavy. Financial assistance is being given. So far fishermen are concerned assistance is being given as follows :

Those who had nylon nets are being given Rs. 450 as subsidy and Rs. 450 as loan and others Rs. 300—half subsidy and half loan.

**Shri Rameshwar Tantia :** Whether adequate arrangements are being made for the future so that in the case of cyclones precautionary measures are taken in advance ?

**Shri L.N. Mishra :** Precautionary measures can be taken but cyclone cannot be stopped.

**श्री कपूर सिंह :** अभी सभा में जो उत्तर दिया गया है कि रामेश्वरम में तबाही मुख्य रूप से तूफान के कारण हुई थी और ज्वालामुखी फटने के कारण नहीं हुई थी । क्या यह भी जानने की कोशिश की गई थी कि इस तबाही का कारण कोई भूकम्पीय तरंग तो नहीं थी ? क्या हमारे पास कोई समुद्री विज्ञान विशेषज्ञ हैं जो इस के बारे में पता लगा सकें ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** मुझे ज्वालामुखी फटने के बारे में जानकारी नहीं है ।

**श्री कपूर सिंह :** भूकम्पीय तरंग के बारे में क्या उत्तर है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं सदस्य के इस सुझाव पर ध्यान दूंगा ।

**श्री कपूर सिंह :** मैंने कोई सुझाव नहीं दिया । मुझे तो जानकारी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि क्या इस तूफान का कारण कोई भूकम्पीय तरंग तो नहीं थी ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

**श्री कपूर सिंह :** क्या आपके पास समुद्री विज्ञान का कोई विशेषज्ञ है ?

**अध्यक्ष महोदय :** इस समय उनके पास जानकारी नहीं है ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Those who were killed and those whose property was destroyed, I want to know whether any claims have been prefered by them ?

**Mr. Speaker :** What claims can be there in the case of cyclone.

**Shri Madhu Limaye** Whether Government will give full compensation to those who suffered loss, if not, whether any permanent scheme will be drawn up for future eventualities ?

**Shri L.N. Mishra:** The Madras Government has formulated a big scheme and it will be spending about Rs. 1,35 lakhs. It is trying to give assistance to all. Nothing can be said about future.

**Shri Madhu Limaye :** Will they be compensated for entire loss ?

**Mr. Speaker :** He has answered that.

**श्रीमती सावित्री निगम** : अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि चेतावनी के होते हुए भी कुछ मछुवे मछलियां पकड़ने गये थे । क्या स्थानीय अधिकारियों ने ऐसा कोई आदेश जारी किया था जिस से सभी को समुद्र में जाने से रोक दिया गया हो और क्या चेतावनी का समाचार मछुवों के झोंपड़ों में भी पहुंचाया गया था ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं ने यह नहीं कहा कि कुछ मछुवे गये थे मैं ने तो यह कहा है कि बहुत से नहीं गये ।

**Shri Bibhuti Mishra :** The statement says :

"पी० एफ० सर्किल में लगभग 289 सिंचाई के टेंकों को टूटने की हानि हुई तथा 95 टेंकों की तेज हवा के कारण क्षति हुई " तथा

"लगभग 9,000 एकड़ खेती योग्य भूमि में मिट्टी जम गई है या बालू पट गई है यह टैंकों में टूट फूट के कारण है "

The hon. Minister said that Rs. 1,35 lakhs are being given as assistance. I want to know whether money is being given to the farmers so that tanks could be repaired and fields could be improved by removing the sand from the fields.

**Shri L. N. Mishra :** I think Madras Government will look into this. I do not have figures in this regard.

**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या वहां जीवन सामान्य की तरह हो गया है ? क्या वहां संचार व्यवस्था तथा रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं ? और क्या छोटे कारीगर अपने काम पहले की तरह करने लगे हैं ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : नुकसान के बारे में मैं ने कहा है इस में संचार भी आ जाता है । रेलगाड़ियों और संचार व्यवस्था की बहुत हानि हुई है । मेरे पास नष्ट हुई सम्पति की पूरी जानकारी नहीं ।

**श्री श्याम लाल सर्राफ** : मैंने पूछा है कि क्या वहां अब जीवन सामान्य हो गया है ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : मेरे विचार में वहां पर शीघ्रता से सामान्यता आती जा रही है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । श्री टांटिया ।

**श्री रामेश्वर टांटिया** : प्रश्न संख्या 118.

**श्री राजाराम** : डा० श्रीनिवासन, श्री परमशिवन तथा अन्य लोगों के नाम सूची में हैं । हमें अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया गया । आप को एक एक कर के सभी नामों को लेना चाहिये । तमिलनाड के सभी सदस्यों की उपेक्षा कर दी गई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मैंने उनको पहचाना नहीं । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरा उन की उपेक्षा करने का कोई इरादा नहीं था ।

**श्री सेझियान** : मेरा नाम भी है । मैं भी खड़ा हुआ था ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अगले प्रश्न के लिये बुला लिया है ।

**सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श व्यवस्था**

+

*118. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री प्रभात कार :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
**श्री बड़े :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री महेश्वर नायक :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श व्यवस्था तथा अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय संबंधी योजना की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इसे लागू करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) तथा (ख) सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यथाशीघ्र इस योजना को कार्यान्वित किया जाय । सरकारी कर्मचारियों के बहुत से संगठनों से सलाह मांगी गई है और उन में से कुछ ने योजना की कुछ बातों पर आपत्ति उठायी है । उन आपत्तियों पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलायी जायेगी ताकि योजना लागू करने के तरीके ढूंढ़े जायें ।

**Shri Rameshwar Tantia :** When was this advisory committee set up ? Is it not getting the cooperation of various trade unions ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):** It is not about setting up advisory committee. A body like Whitley Council is to be set up. We have prepared an outline about that and discussions are in progress at present.

**Shri Rameshwar Tantia :** When this scheme was formulated ? What are the reasons for its non-implementation ?

**Shri L.N. Mishra :** There was strike in 1960. After that this scheme was prepared. The Cabinet approved it in 1963. Discussions are in progress.

**Shri Yashpal Singh :** Is it a fact that there is difference of opinion on the subject in the Ministry of Home Affairs and in the Ministry of Labour and therefore public is suffering ?

**Shri L. N. Mishra :** It is not a fact.

**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि सम्बन्धित कर्मचारी संघों ने दस महीने के पहले अपनी प्रतिक्रिया सरकार को बता दी थी और उस के पश्चात् सरकार ने न तो उनकी बात मानी है और न ही उन को बातचीत के लिये बुलाया है । इस प्रकार इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

**श्री ल० ना० मिश्र** : यह सच नहीं है । मामला आगे बढ़ रहा है । आज भी विचार विमर्श हो रहा है । अतः यह कहना कि दस महीनों में कोई प्रगति नहीं हुई ठीक नहीं है ।

**डा० रानेन सेन** : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि सरकारी कर्मचारी संघों ने अपनी प्रतिक्रिया सरकार को दे दी है और उस पर विचार हो रहा है । सरकार के सुझावों के बारे में उन की प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं ब्यौरा नहीं दे सकता । इस विषय पर अभी विचार हो रहा है और यह उचित नहीं होगा कि उन को इस समय बताया जाय ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों ने विशेष रूप से "नेशनल फेडरेशन आफ़ इंडियन रेलवेमैन" ने कहा है वह व्हिटले कौंसिल को नहीं मानेंगे क्योंकि वह औद्योगिक कर्मचारी हैं ? और क्या उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्ध लागू किये जायें ? सरकार उन उपबन्धों को लागू करने में कितना समय लगायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : इतना लम्बा प्रश्न ।

**श्री ल० ना० मिश्र** : जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रश्न वह एक अलग प्रश्न है । जहां तक नैशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है माननीय सदस्य उस के एक पदाधिकारी हैं मेरे विचार से वह उन की बात जानते हैं ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : मेरा प्रश्न है

**अध्यक्ष महोदय** : जब प्रश्न ही इतना लम्बा हो तो मैं मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता । जब आप अन्त तक पहुंचते हैं तो वह आरम्भ का भाग भूल जाते हैं।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : हम ने सरकार को संकेत दिया है कि हम सरकार के एक विभाग के कर्मचारी हैं तथा इसीलिए औद्योगिक कर्मचारी नहीं हैं और अतः हमें व्हिटले कौंसिल स्वीकार नहीं है । हम ने सरकार से मांग की है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित किया जाय । मैं सरकार की इसके बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : माननीय सदस्य ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में विलम्ब के कारणों को स्वयं बता दिया है कि संगठन किन बातों पर जोर दे रहा है । अतः जिन विषयों पर मतभेद हो उन को हल करने में शीघ्रता नहीं की जा सकती । सरकार की रेलवे मंत्रालय से बात चीत हुई है और मुझे आशा है कि मत भेद दूर हो जायेंगे और हम किसी समझौते पर पहुंच जायेंगे ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : सरकार ने क्या शर्तें रखी हैं कि जिन को कर्मचारी संघों को पूरा करना है ताकि वह कौंसिल में भाग ले सकें ?

**श्री नन्दा** : एक पूरी योजना है, शर्तों का कोई प्रश्न नहीं है । योजना के कई भाग हैं। कई भागों पर कई संगठनों को शंकायें हैं या आपत्तियां हैं। हम उन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच नहीं है कि बातचीत इस लिए असफल रही है कि सरकार ने हड़ताल करने के कर्मचारियों के अधिकार को छीन लिया है ? यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है जब कि इसका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जायगा ?

**श्री नन्दा** : यह तो ऐच्छिक व्यवस्था होगी । नई व्यवस्था से कर्मचारियों को कई लाभ मिलेंगे । मध्यस्थता की जा रही है । मध्यस्थता और हड़ताल दोनों एक साथ नहीं चल सकतीं । अतः सरकार ने संघों से कहा है कि उनको मानना होगा कि हड़तालें नहीं होंगी ।

**श्री दाजी** : क्या सरकार मध्यस्थ-निर्णय से सहमत है ?

**श्री नन्दा** : दोनों बातें साथ साथ होंगी । एक बात यह है कि श्रमिकों के बहुत से मामले मध्यस्थ-निर्णय से निपट जायेंगे ।

**श्री दाजी** : बहुत से नहीं सभी में होना चाहिये। यदि आप इस से सहमत हैं तो वह तैयार हैं ।

**श्री नन्दा :** व्यक्तिगत मामलों आदि के बारे में और तरीके भी हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में ऐसी प्रणाली है जिस से न्याय मिलने का आश्वासन मिल जाता है। अन्य महत्वपूर्ण मामलों में मध्यस्थ-निर्णय हो सकता है। मेरा विश्वास है कि हम संविधान में कोई परिवर्तन किये बिना ही किसी समझौते पर पहुंच जायेंगे और हड़तालों के बारे में भी समझौता हो जायेगा।

**श्रीमती सावित्री निगम :** सरकार को इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में 4 साल लग गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई अन्तरिम प्रबन्ध करेगी ताकि सरकारी कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा किया जा सके ?

**श्री नन्दा :** सरकार ने 4 साल नहीं लगाये। सरकार ने तो एक योजना पेश की परन्तु दूसरे लोग ही समय लगा रहे हैं। समय समय पर सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

**श्री अल्वारेस :** क्या यह सच नहीं है कि रेलवे कर्मचारी संगठनों ने इस संयुक्त परामर्श व्यवस्था का विरोध किया है और वर्तमान व्यवस्था के जारी रखने की मांग की है ?

**श्री नन्दा :** वह पिछले प्रश्न के उत्तर में बता दिया गया है।

**श्री प्रिय गुप्त :** सरकार के बहुत से मंत्रालय हैं और विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा की शर्तें हैं। क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि ह्विटले कौंसिल के सूत्रपात से, औद्योगिक कर्मचारियों जैसे रेलवे वालों के वर्तमान अधिकारों को छीन लिया जायगा ?

**श्री नन्दा :** नहीं, श्रीमान्। जो भी सुविधायें अब उपलब्ध हैं वह तो उसी प्रकार रहेंगी।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Government assure that a final decision will be taken in near future ? Will it be indicated as to how long will it take in arriving at a decision ?

**Shri Nanda :** So far Government is concerned it will try to expedite. If others do not delay then it will be done soon. I think that other party should be called and efforts should be made.

**Shri Daji :** If you call them it will be done.

**Shri Nanda :** Alright, thank you.

**श्री दी० चं० शर्मा :** सभी को हड़ताल करने का अधिकार होता जा रहा है शिक्षक और डाक्टर भी हड़ताल पर जाने लगे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की योजना के अन्तर्गत क्या यह सभी आ जायेंगे ?

**श्री नन्दा :** यह सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होती।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि वर्तमान कर्मचारी कौंसिलें अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही हैं क्योंकि अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं होता यदि हां, तो संयुक्त सलाहकार व्यवस्था द्वारा क्या परिवर्तन लाये जा रहे हैं ?

**श्री हाथी :** कर्मचारी कौंसिलें हैं परन्तु अनुभव से यह पता चला है कि सभी झगड़े हल नहीं हो रहे हैं। कर्मचारियों को कभी कभी हड़ताल करनी पड़ती है अतः ह्विटले कौंसिल पर विचार हो रहा है ।

**श्री हेडा :** सरकार उन संगठनों में यह लागू क्यों नहीं कर रही जिनमें इस को स्वीकार कर लिया गया है ?

**श्री हाथी :** किसी संगठन ने इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है सभी ने कुछ शर्तें लगाई हैं ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** 119

**श्री पें० वेंकटासुब्बैया :** 131 को भी इसी के साथ ले लिया जाय ।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि मंत्री महोदय के लिए सुविधाजनक हो तो दोनों इकट्ठे ले लिये जायें ।

## Use of Hindi

\+

*119. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Surendra Pal Singh :**
**Shri P. C. Borooah :**
**Shri P. R. Chakraverti :**
**Shri Naval Prabhakar :**
**Shri Yashpal Singh :**
**Shri M. L. Dwivedi :**
**Shri Bhagwat Jha Azad :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
**Shrimati Savitri Nigam :**
**Shri K. N. Tiwary :**
**Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri Daljit Singh :**
**Shri D. N. Tiwary :**
**Shri Chandak :**
**Shri R. S. Pandey :**
**Dr. Ram Manohar Lohia :**
**Shri Kishen Pattnayak :**
**Shri Madhu Limaye :**
**Shri R. Barua :**
**Shri Kolla Venkaiah :**
**Shri Manabendra Shah :**
**Dr. L. M. Singhvi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the specific measures taken by the Central Government to implement the provisions of the Constitution concerning the replacement of English by Hindi as official language of the country with effect from the 26th January, 1965 ;

(b) whether Government have issued any instructions to the State Governments in this regard ; and

(c) if so, the nature thereof ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Gulzari Lal Nanda):** (a) The question of replacement of English by Hindi from 26th January, 1965 did not arise as provision had been made by Parliament under Section 3 of the Official Languages Act 1963, for the continued use of English, in addition to Hindi, for all the official purposes of the Union for which it was being used before that date. Various preparatory measures for the progressive use of Hindi were taken in hand by Government some years ago. The specific measures taken in the context of introduction of Hindi as official language from 26th January, 1965 include—(i) publication of the Gazette of India in both Hindi and English; and (ii) issue of instructions for (a) printing of the headings of forms and registers hereafter in both Hindi and English, and (b) issue of one letter from each Ministry in Hindi on 27th January, 1965 to States which have adopted Hindi as their official Language.

(b) and (c). No instructions have been issued to the State Governments. It was agreed at the Conference of Chief Ministers' held on December 13, 1964 that (i) States which have adopted Hindi as official language might use Hindi for communication between themselves ; (ii) that there should be a convention that for communication with non-Hindi-Speaking States, English shall continue to be used, and if the original communication was in Hindi, an authorised English translation would accompany it ; and (iii) that if a State writes to the Central Government in Hindi, an English translation would ordinarily accompany it.

## हिन्दी विरोधी प्रदर्शन

*131. श्री पें० वेंकटासुब्बैया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री गुलशन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ह० वी० कौजलगी :
श्री हेम राज :
श्री पराशर :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विभति मिश्र :

**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी के राजभाषा घोषित होने के सम्बन्ध में मद्रास, केरल और आन्ध्र प्रदेश में प्रदर्शन हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अहिन्दी भाषी लोगों की शंकायें दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) हिन्दी के 26 जनवरी, 1965 से राजभाषा के रूप में लागू होने के प्रश्न पर प्रदर्शन हुए हैं। संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत हिन्दी अपने आप ही राजभाषा बन गई और किसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं थी ।

(ख) 23 जनवरी को केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री ने मद्रास में बताया था कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी सावधानी बर्ती है कि अहिन्दी भाषी राज्यों अथवा केन्द्रीय मंत्रालयों तथा कार्यालयों के हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो। त्रिवेन्द्रम से बरास्ता मद्रास लौटते हुए 25 जनवरी को उन्होंने स्थिति को फिर दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ भी किया जायेगा वह 13 दिसम्बर, 1964 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसार ही किया जायेगा ।

2. 26 जनवरी, 1965 को उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने रेडियो के सन्देश में बताया कि संवैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत हिन्दी 26 जनवरी, 1965 से संघ राजभाषा बन जायेगी, परन्तु हिन्दी न जानने वाले व्यक्तियों को कोई कठिनाई अथवा असुविधा नहीं होगी क्योंकि संसद ने पहले कानून द्वारा यह उपबन्ध किया है कि अंग्रेज़ी को हिन्दी के साथ साथ सभी सरकारी काम काज के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। उन्होंने सार्वजनिक आश्वासन भी दिये कि (क) संघ के विभिन्न सरकारी काम काज के लिए हिन्दी को ऐसे तरीके से काम में लाया जायेगा कि सरकारी काम के करने में कोई कठिनाई न हो अथवा उन व्यक्तियों को कोई असुविधा न हो जो इस समय हिन्दी नहीं जानते ; (ख) हिन्दी लागू करने की गति को निर्धारित करने में अन्य बातों के साथ-साथ अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के ज्ञान के प्रसार तथा सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी के ज्ञान की मात्रा को ध्यान में रखा जायेगा; (ग) कि केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती के मामले में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को कोई हानि नहीं होगी और इन सेवाओं में आने के लिये किसी भी उम्मीदवार के लिए हिन्दी का पहले से ज्ञान होना आवश्यक नहीं होगा। 28 जनवरी, 1965 को कलकत्ता में पूर्वी खण्ड परिषद् की बैठक में अपने भाषण के दौरान गृह-मंत्री द्वारा इन आश्वासनों को दोहराया गया था ।

3. 11 फरवरी, 1965 को रेडियो पर राष्ट्र के नाम सन्देश देते हुए प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने व्यापक रूप से स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि अहिन्दी भाषी लोगों को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वा-

सनों का सरकार पालन करेगी, और यह कि इन आश्वासनों का शाब्दिक रूप में तथा इनकी भावना को बिना किसी शर्त के पूरा किया जायेगा। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि यदि उनकी कोई शिकायतें हैं तो वह और उनके साथी उनको सुनने के लिए तैयार हैं और मतभेद और गलतफहमियों को दूर करने के लिए इन मामलों पर चर्चा करने के लिए तयार हैं। 17 फरवरी, 1965 को प्रधान मंत्री ने भाषा के प्रश्न पर समाधान ढूंढने के लिए प्रतिपक्षी नेताओं से बातचीत करने की अपनी इच्छा की सार्वजनिक रूप से घोषणा की। भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा अहिन्दी भाषी लोगों को दिये गये आश्वासनों पर विचार करने के लिए उन्होंने 23 और 24 फरवरी, 1965 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन भी बुलाया।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Which of the States have started using Hindi in their official work and which are those with whom Centre has started doing its correspondence in Hindi ?

**Shri Hathi :** U.P. has started its work in Hindi, but as regards the correspondence with Central Government, their letters are continuing to come in English.

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** I want to know the names of those States who have refused to introduce Hindi. What are the names of the States that are revolting against Hindi ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) :** No such State has refused as ought not to have refused.

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** प्रश्न संख्या 119 के संबंध में विवरण के पैरा 2 में यह दिया गया है कि 13 दिसम्बर, 1964 को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में यह तय पाया था कि यदि कोई राज्य, जिसने हिन्दी को राजभाषा के रूप में ग्रहण कर लिया है, केन्द्र को हिन्दी में लिखता हैं तो साधारणतया उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजा जायेगा। क्या हिन्दी भाषी क्षेत्र अब भी इस अनुदेश का पालन करेंगे और यदि हां, तो क्यों ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** जी, हां।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** आचार्य बिनोबा भावे ने प्रादेशिक भाषा को दाहिनी आंख, हिन्दी को बांई आंख और अंग्रेजी को ऐनक बताया है। नेत्रों में शक्ति का संचार करने के लिये जिससे कि हम ऐनक के बिना ही रह सकें, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**श्री नन्दा :** दाहिनी और बाई दोनों आंखें एक समान उपयोगी हैं और ऐनक भी जितनी देर तक आवश्यक हो उपयोगी होती है।

**श्री पें० वेंकटासुब्बैया :** इस बात को देखते हुए कि हिन्दी को लादने के विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप जन धन आदि की हानि हुई और प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आश्वासन को भी ध्यान में रख कर भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को संविहित रूप देने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करना चाहती है जिससे कि अहिन्दी भाषी लोगों की इन शंकाओं को दूर किया जा सके कि उन पर हिन्दी लागू की जा रही है ?

**श्री नन्दा :** ये घटनाएं निश्चय ही अत्यंत दुखद थीं। भविष्य के संबंध में जो भी भय तथा शंकाएं पैदा हो गई हैं उनको संतोषजनक रूप से दूर करने के लिये कदम उठाये जायेंगे और मामला विचाराधीन है।

**Shri Kishan Patnaik :** In view of the fact that some of the States have grown allergic to the reading of Hindi may I know whether steps will be taken to ensure that no Hindi Papers are sent to such States.

**Shri Nanda :** Sometimes it so happens, but this allergy can be removed.

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण में एक सुझाव है कि जिन राज्यों में हिन्दी को ग्रहण किया है वे पत्र व्यवहार के लिये हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं, और यह कि अहिन्दी भाषी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करने के लिये अंग्रेजी को प्रयोग में लाया जायेगा । हिन्दी भाषी राज्य तथा अहिन्दी भाषी राज्य के बीच पत्र व्यवहार के मामले में गृह मंत्रालय क्या तरीका अपनाना चाहता है ?

**श्री नन्दा :** इस पर निर्णय कर लिया गया है; यह अंग्रेजी में होगा । यदि किसी भी राज्य को हम कोई पत्र हिन्दी में लिखते हैं तो इसके साथ इसका प्रमाणीकृत अंग्रेजी अनुवाद भेजना होगा ।

**Shri A. S. Saigal :** May I know whether the Southern States could not comply with the Central Government's proposal to encourage Hindi, if so, the reasons therefor ?

**Shri Nanda :** There is no question of not complying.

**Shri M. L. Dwivedi :** May I know whether Hindi/English translations will be furnished in correspondence with various States in all the cases, if so, the number of such States, as also the number of those States to whom the translations will not be sent ?

**Shri Nanda :** Conditions can change only gradually. As regards the Centre, correspondence with non-Hindi States will be in English, and with Hindi-speaking States it would be possible to correspond in Hindi, but that will be accompanied by English translation.

**श्री शिंकरे :** यह देखते हुए कि इस प्रश्न का सरकार की शिक्षा संबंधी नीति से काफी सीधा संबंध है, क्या सरकार शिक्षा को एक केन्द्रीय विषय बना कर देश में एक जैसी शिक्षा के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह एक पृथक मामला है ।

**श्री सेझियान :** गृह मंत्री ने कहा कि यदि कोई राज्य केन्द्र को हिन्दी में पत्र लिखेगा तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद होगा । परन्तु विवरण का अन्तिम वाक्य इस प्रकार है :

> "यदि कोई राज्य केन्द्र को हिन्दी में लिखता है, तो साधारणतया इसके साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजा जायेगा ।"

क्या "साधारणतया" शब्द का अर्थ यह है कि वे अंग्रेजी अनुवाद भेजने के लिये बाध्य नहीं होंगे ?

**श्री नन्दा :** कुछ भी हो, इस बात का आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा कि उनके लिये अंग्रेजी दस्तावेज उपलब्ध हों जो उन्हें अंग्रेजी में चाहते हैं ।

**Shri Madhu Limaye :** Is it a fact that the Chief Ministers had agreed to the suggestion of Shri Vinoba Bhave before he broke fast that Hindi will not be imposed on the non-Hindi-speaking States and that English will not be imposed on the Hindi-speaking States, if so, whether Government propose to introduce Hindi immediately in the Central Government Departments, such as Railways, Postal Department, Income Tax Department, in the Hindi-speaking States ?

**Shri Nanda :** These are two different things. It is true that the Chief Ministers had agreed to the suggestion of Vinobaji. The question of not imposing English in the Departments and having only Hindi does not arise in view of the fact that the forms etc. will be both in English and Hindi.

**Shri Kishan Patnaik :** How can it be so ?

**Shri Madhu Limaye :** I have not asked only about correspondence or forms. I want to know whether Hindi will be introduced in those Departments in the entire work.

**Mr. Speaker :** Now he may sit down.

**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : उन जोशीले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी जिन्होंने अहिन्दी भाषी राज्यों को केवल हिन्दी में ही परिपत्र भेजे हैं और साथ में अंग्रेजी अनुवाद नहीं भेजा है जिसकी कि उनसे आशा की जाती है ?

**श्री नन्दा** : इस प्रकार की बहुत कम घटनाएं हुई हैं। हमारे अधिकारी भी हमारी तरह कभी कभी गलती कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलती न की हो ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह देखते हुए कि यह एक अच्छा सुझाव है कि अहिन्दी भाषी राज्यों को अंग्रेजी को ग्रहण नहीं करना चाहिये अपितु उन्हें अपनी प्रादेशिक भाषाओं में ही काम करना चाहिये तो क्या केन्द्र तथा अहिन्दी भाषी राज्यों के बीच अथवा अहिन्दी भाषी राज्यों और अन्य राज्यों के बीच अंग्रेजी अथवा हिन्दी अनुवाद के साथ उनकी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में पत्रव्यवहार करने की अनुमति दी जायेगी ?

**श्री नन्दा** : इस से मामला और अधिक उलझ जायेगा। इस समय केवल इतना ही काफी है कि हमने इस बात का उपबन्ध किया है कि अहिन्दी भाषी राज्यों को नुक्सान न पहुंचे क्योंकि उनके पास जो भी पत्र भेजा जायेगा उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद होगा। जहां प्रादेशिक भाषा का संबंध है राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर के काम में इसको प्रयोग कर सकती हैं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मान लीजिये हम उनको अंग्रेजी में नहीं लिखते, हम मूल पत्र को अपनी भाषा में भेजते हैं और उनकी इच्छानुसार उसके साथ अंग्रेजी अथवा हिन्दी अनुवाद लगा दें तो क्या ऐसा करने की अनुमति होगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस समय वह इससे सहमत नहीं है ।

**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : देश में इस समय जो स्थिति पैदा हो गई है उसको देखते हुए, सरकार हिन्दी को अधिक सरल बनाने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है जिससे कि देश के बहुसंख्यक लोग इसको समझ सकें ?

**श्री नन्दा** : यह बहुत वांछनीय है ।

**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार ने सभी राज्यों को यह काफी स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दी पंजाबी जैसी पुरानी भाषाओं को हडप नहीं करेगी ?

**श्री नन्दा** : मेरी मात्री भाषा पंजाबी है ।

**श्री कपूर सिंह** : कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि उनकी मात्री भाषा पंजाबी है, वह इससे प्यार करते हैं इसलिये वह इसका ख्याल रखेंगे ।

**श्री रंगा** : इसको देखते हुए कि इस मामले के संबंध में सरकार की ओर से अनेक आश्वासन तथा वक्तव्य दिये गये हैं, क्या सरकार कानून बना कर आश्वासन देने पर विचार कर रही है और इस बात की गारन्टी देगी कि अहिन्दी भाषी दक्षिणी भारत के राज्यों द्वारा अंग्रेजी का जो स्थान मांगा गया है वह दिया जायेगा ?

**श्री नन्दा** : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं ।

**श्री रंगा** : अंग्रेजी के बराबर प्रयोग के लिये उन्होंने कानूनी आश्वासन की मांग की है ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या कानूनी आश्वासन दिया जायेगा ?

**श्री नन्दा** : दूसरा प्रश्न भी इसी दिशा में था । मैंने कहा कि इस मामले पर निश्चय ही विचार किया जा रहा है ।

**Shri K. N. Tiwari :** From the today's statement of Prime Minister it appears that public has taken part in a greater measure in the disturbances that took place in Madras and in other non-Hindi States on the language issue. The reason for these disturbances was that some misunderstandings have been created there to the extent that in future children of those States will have to call their mothers 'Mataji' and not "Amma". Are Government taking steps to remove such misunderstandings ?

**श्री सेझियान** : उत्तर प्रदेश में न कि तामिलनाद में ।

**Shri Nanda :** This can be one of the many reasons. All the preventive steps will be taken for the future.

**श्री जी० भ० कृपालानी** : कितने राज्यों ने अपने प्रशासन में अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा को लिया है ?

**श्री नन्दा** : सभी राज्य इस काम को तेजी से कर रहे हैं । कुछ ने काफी प्रगति की है ; कुछ अन्य राज्यों ने अभी उतनी प्रगति नहीं की है ।

**श्री दाजी** : राजभाषा अधिनियम की क्रियान्विति के मामले में विशेषत: इस उपबन्ध के बारे में कि अंग्रेजी को संघ के सभी प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल किया जाये, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको लागू करने के लिये तथा 26 जनवरी के पश्चात् हिन्दी परिपत्रों के साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजने के लिये क्या आवश्यक कदम उठाये जायें सरकार ने यह बताने के लिये यदि कोई परिपत्र जारी किया था वह क्या है जिससे कि ऐसी आकस्मिकताओं को रोका जा सके जैसे खाद्य मंत्रालय ने पहले एक परिपत्र केवल हिन्दी में जारी किया और फिर बाद में उसे वापिस ले लिया अथवा बम्बई के मजिस्ट्रेट द्वारा कालीकट के मजिस्ट्रेट को भेजा गया समन वापिस कर दिया गया क्योंकि उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं था ।

**श्री नन्दा** : सभी परिपत्रों को एक पुस्तिका के रूप में छापा गया है और जो भी पत्र जारी किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है और वह सभी संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध होता है ।

## रद्द की गयी औद्योगिकी का आयात

\+
*120. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक ने रद्द की गयी विदेशी औद्योगिकी का भारत में बड़े पैमाने पर आयात करने के विरुद्ध शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला):** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3838/65]**

**श्रीमती सावित्री निगम** : ऐसे जिम्मेदार अधिकारी ने ऐसा ब्यान क्यों दिया ?

**श्री मु० क० चागला** : इसका कारण विवरण में दिया गया है। विदेशी तकनीकी जानकारी पर हमारी निर्भरता के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये वक्तव्य दिया गया था । हम इस बात के बहुत उत्सुक हैं कि हम अपना तकनीकी ज्ञान बढ़ायें और हमेशा विदेशी जानकारी पर ही निर्भर न करें। हमारे पास 28 प्रयोगशालाएं हैं जहां पर योग्य वैज्ञानिक हैं। वक्तव्य देने का कारण यह था कि हम अपने लोगों को प्रोत्साहन दें और सदा ही विदेशी तकनीशियनों पर निर्भर न करें ।

**श्री कृ० चं० पन्त** : विवरण के अन्तिम पृष्ठ में यह दिया गया है :

"आशा है कि यथा समय स्वदेशी जानकारी को प्रोत्साहन देने तथा जहां तक संभव होगा विदेशी सहयोग को तेजी से निकालने के लिये और कदम उठाये जायेंगे।"

क्या मैं जान सकता हूं कि वे क्या कदम हैं ?

**श्री मु० क० चागला** : दो कदम तो ये हैं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को लाइसेंसिंग समिति तथा विदेशी शस्त्र समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है । इसका कारण यह है कि इससे पहले कि हम विदेशों से तकनीकी जानकारी में हमारे उद्योगपतियों को यह जानने के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि भारतीय जानकारी उपलब्ध है अथवा नहीं ।

**Shri Yashpal Singh :** May I know the reasons for obtaining engineers from abroad when we have highly qualified engineers who are being called to America and paid Rs. 2,000 per day whereas so many engineers, draftsmen, overseers of the Roorkee University are idle here ?

**Shri M.C. Chagla :** I am also saying the same thing that there is no need for getting from outside. We should absorb our own intilligent engineers.

**Shri Bade :** Is it a fact that the Director General of Indian Council of Scientific and Industrial Research has said in his speech that the only reason for obtaining scientists from abroad when we have good scientists here is that Secretaries and other interested people of this place call them for selfish motive which lowers the morale of our scientists ?

**श्री मु० क० चागला :** यदि हमारे पास यहां पर योग्य वैज्ञानिक हैं जो हमारे उद्योगों को तकनीकी जानकारी दे सकते हैं और फिर भी हम यदि तकनीकी जानकारी लेने के लिये विदेशों का मुंह देखते हैं तो निस्सन्देह ही इससे हमारे वैज्ञानिकों की नैतिक गिरावट होगी ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** Is it a fact that the persons working in Indian Industrial Establishments are not issued licences because they don't have money to install machinery etc. If so, whether Government are taking steps to issue licences to them ?

**Mr. Speaker :** How does the question of issuing licences arise in it ?

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् अथवा सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है कि यदि कोई उद्योगपति अथवा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम विदेशी तकनीक को प्रयुक्त करना चाहे तो उस व्यवस्था के अधीन इसकी जांच हो सके कि हमारे पास वह तकनीकी जानकारी है अथवा नहीं और तब विदेशियों को भारत में प्रवेश के लिये विसा देने की आज्ञा दे जब ऐसी जानकारी वाला कोई व्यक्ति न मिले ?

**श्री मु० क० चागला :** बिलकुल यही चीज करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और इसी लिये अब हम ने लाइसेंसिंग समिति और विदेशी करार समिति में प्रतिनिधि भेजा है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का वहां प्रतिनिधि है ।

**श्री के० दे० मालवीय :** क्या ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं कि जब कि अन्य मंत्रालयों ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की सिफारिशों को बेबुनियाद कारणों पर नामंजूर कर दिया है ? क्या मंत्री महोदय यह कहने की स्थिति में हैं कि ऐसी सिफारिशें अन्य मंत्रालयों द्वारा नामंजूर नहीं की गई हैं ?

**श्री मु० क० चागला :** मैं ने यह कब कहा है कि नामंजूर नहीं की गईं ? मेरी शिकायत यह है कि केवल यही नहीं कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् से सलाह नहीं ली गई परन्तु कभी कभी जब हम ने बताया कि हमारे पास तकनीकी जानकारी है, फिर भी बाहर से तकनीकी जानकारी मंगाने के लिये सहयोग के करार किये गये हैं ।

**श्री के० दे० मालवीय :** फिर यह सुनिश्चित करने के लिये देश में जो भी पक्व तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है उसको काम में लाया जाये और जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है इसे विदेशों से प्राप्त न किया जाये, समन्वित कार्यवाही के लिये सरकार क्या कर रही है ?

**श्री मु० क० चागला :** मेरा ख्याल है, मैं ने इसे स्पष्ट कर दिया है । मैं फिर बताये देता हूं । हम इस बात के लिये प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में ऐसा कोई सहयोग करार नहीं

किया जायेगा जिसमें, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की सलाह के बिना और इस बात का पता लगाये बिना कि क्या हमारे वैज्ञानिक जानकारी नहीं दे सकते हैं, विदेशी जानकारी मंगाने का आशय हो।

**श्री पी० रा० रामकृष्णन** : वैज्ञानिक तथा औद्यागिक अनुसन्धान परिषद् अथवा स्वदेशी जानकारी से सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

**श्री मु० क० चागला** : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् जानकारी नहीं रखती थी। इसीलिये उसको लाइसेंसिंग समिति और वैदेशिक करार समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। भविष्य में लाइसेंस जारी करने से पूर्व, परिषद् अभ्यावेदन कर सकती है, "लाइसेंस जारी मत कीजिए ; हमारे पास तकनीकी जानकारी है"।

**श्री हिम्मतसिंहका** : क्या मंत्री महोदय इससे अवगत हैं कि यह परिषद् सहयोग के रास्ते में बाधा खड़ी कर देती है जबकि उसके पास कोई तकनीकी जानकारी नहीं होती है ?

**श्री मु० क० चागला** : जी, नहीं। यह सच नहीं है।

**श्री दाजी** : शिक्षा मंत्री का उत्तर स्पष्ट नहीं है। वह कहते हैं कि परिषद् अभ्यावेदन दे सकती है कि लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये। क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है कि यदि परिषद् कहती है कि वह तकनीकी जानकारी दे सकती है तो विदेशी जानकारी के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी ? क्या सरकार ने स्पष्ट निर्णय कर लिया है ?

**श्री मु० क० चागला** : यह काम शिक्षा मंत्रालय का नहीं है। शिक्षा मंत्रालय तो सम्बन्धित मंत्रालय को केवल इतना बता सकता है कि हमारे पास तकनीकी जानकारी है। यदि वह मंत्रालय हमारी बात को न माने और इसके लिये . . .

**श्री बड़े** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मंत्री यह बता सकते हैं कि वह अन्य मंत्रालय के लिये जिम्मेदार नहीं है ? मंत्रियों की सभी की जिम्मेवारी है . . .

**अध्यक्ष महोदय** : वह ऐसा कह सकते हैं। मैं ने पहले भी बतलाया है कि प्रश्न-काल में मंत्री को केवल अपने विषय सम्बन्धी प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है जिनके लिये वह मुख्यत: जिम्मेवार है। यहां पर सांझी जिम्मेवारी लागू नहीं होती। वह कृपया नियम संख्या 41 देखें।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की यह पुरानी शिकायत रही है कि उद्योग ने इसको इस कारण नामंजूर कर दिया है कि हमारे वैज्ञानिकों का ज्ञान केवल किताबी है और यह कि उनको व्यवहारिक अनुभव नहीं है और इसलिये इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या सरकार ने इसकी जांच की है कि उद्योग क्यों नामंजूर कर देता है, वह क्या चाहता है ? उद्योग तकनीकी ज्ञान को क्यों नामंजूर कर रहा है जो कि सुगमता से उपलब्ध है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई अनमान लगाया गया है ?

**श्री मु० क० चागला** : यह कहना कि हमारे वैज्ञानिकों का ज्ञान किताबी है बड़े अपमान जनक शब्द हैं। वे प्रथम श्रेणी के मस्तिष्क हैं। प्रधान मंत्री ने हाल ही में एक अणु-संयंत्र का उद्घाटन किया जो कि सारे का सारा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस शिकायत की जांच की गई है। और क्या कोई अनुमान लगाया गया है ?

**श्री मु० क० चागला** : एक अनुमान लगाया गया है। मुझे खेद है कि हमारे उद्योग-पतियों को हमारे वैज्ञानिकों पर कोई भरोसा नहीं है, परन्तु बाहर के व्यक्तियों पर अधिक एतबार करते हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्रालय का मंत्रि मण्डल स्तर पर सामूहिक चर्चा द्वारा निर्णय करने के काम से इतना कम सम्बन्ध है कि यह मंत्रालय अभी तक सरकार को यह नहीं समझा सका है कि हमें निर्णय करना चाहिये कि हम विदेशी विशेषज्ञ नहीं लेंगे जब कि हमारे पास देश में योग्य व्यक्ति वास्तव में उपलब्ध हैं ?

**श्री मु० क० चागला** : मुझे विश्वास है कि सरकार यह निर्णय करेगी।

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : शिक्षा मंत्री ने हाल ही में इस मामले की सूचना हमें दी थी और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की हाल की एक बैठक में भी इसका ज़िक्र किया गया था। अब हम ने निर्णय कर लिया है कि पहले से अच्छा समन्वय होगा, और इस बात का निश्चय ही ख्याल रखा जायेगा कि यदि हमारे पास आवश्ययक तकनीकी जानकारी है तो कम से कम, जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री के० दे० मालवीय ने उल्लेख किया, वे निश्चय ही स्वदेशी विशेषज्ञ अथवा हमारे वैज्ञानिकों को हमारी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में पहले नियुक्त किया जायेगा; और फिर यदि बाद में आवश्यक हुआ तो जो विशेषज्ञ यहां उपलब्ध नहीं हैं उनको विदेशों से बुलाया जायेगा।

## वैज्ञानिकों की अकादमी

+

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
**श्रीमती सावित्री निगम** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
**श्री क० न० तिवारी** :
**श्री यशपाल सिंह** :
**श्री स० मो० बनर्जी** :
**श्री रा० गि० दुबे** :
**महाराजकुमार विजय आनन्द** :
**श्री द्वा० ना० तिवारी** :
**श्री ओंकार लाल बेरवा** :
*121. **श्री दे० द० पुरी** :
**श्री रामचन्द उलाका** :
**श्री धुलेश्वर मीना** :
**श्री मधु लिमये** :
**श्री किशन पटनायक** :
**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :

**श्री प्र० के० देव :**
**श्री कपूर सिंह :**
**श्रीमती शारदा मुकर्जी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी वैज्ञानिक नीति और उसके राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए वैज्ञानिकों की एक अकादमी स्थापित करने के प्रधान मंत्री के प्रस्ताव के सभी पहलुओं का अध्ययन कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) से (ग). वैज्ञानिकों की एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** इस प्रस्तावित अकादमी के कृत्य वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् के कार्य से किस प्रकार भिन्न होंगे और इस बात के लिए क्या उपाय किये गये हैं जिससे इन दोनों के कार्य अतिछाही न हो ?

**श्री मु० क० चागला :** प्रधान मंत्री द्वारा विचाराधीन वैज्ञानिकों की राष्ट्रीय अकादमी वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् से बिल्कुल भिन्न है । यह ब्रिटेन की रायल अकादमी औफ साइंटिस्ट्स, अमरीका की नेशनल अकादमी और रूस की नेशनल अकादमी औफ साइंटिस्ट्स की तरह की है । वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् का कार्य प्रयोगशालाएं बनाना है जो औद्योगिक प्रयोजनों म विज्ञान को लागू करेंगी । वैज्ञानिकों की राष्ट्रीय अकादमी में भारत के कुछ बड़े प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होंगे जो वैज्ञानिक नीति के बारे म सरकार को सलाह देंगे और अन्य प्रकार से विज्ञान की देखभाल करेंगे ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** इस अकादमी में जो वरिष्ठ और प्रमुख वैज्ञानिक होंगे वे अंशकालिक रूप में कार्य करेंगे या पूर्णकालिक रूप में ?

**श्री मु० क० चागला :** इसका ब्योरा तैयार नहीं किया गया है ।

**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या इससे उन सब प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों को, जो विदेशों में बस गये हैं, वापस आने और राष्ट्रीय विकास के कार्य में योग देने का अवसर प्राप्त होगा ?

**श्री मु० क० चागला :** में तो यह चाहता हूं कि विदेशों म जो भी भारतीय वैज्ञानिक हो, वह वापस आए और अपने देश म कार्य करे ।

**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या सरकार ने डा० भाभा की अध्यक्षता में पुनर्विलोकन समिति के इन विचारों पर भी ध्यान दिया है कि ये अकादमी सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों और इन्हें पूर्ण स्वायत्तता दी जाये ?

**श्री मु० क० चागला :** जब यह अकादमी बनाई जाएगी तब इस सुझाव पर भी विचार किया जाएगा ।

**Shri K. N. Tiwari :** May I know whether the details are being worked out by the Ministry of Education or by some sub-Committee of Scientists ?

**श्री मु० क० चागला :** प्रधान मंत्री द्वारा हाल में दिये गये सुझाव के अतिरिक्त इसमें और अधिक प्रगति नहीं हुई है। इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है कि कौनसा मंत्रालय ब्योरा तैयार करे।

**Shri Yashpal Singh :** There are already best engineers in our departments and no plan of ours failed for lack of talent but it failed for lack of labour. Why this new Academi is needed which would put new burdens on tax-payers ?

**श्री मु० क० चागला :** देश में विज्ञान की प्रगति के लिए हमें वैज्ञानिकों को मान्यता देनी है। अमरीका में ऐसा किया गया है, ब्रिटेन में ऐसा किया गया है, रूस में ऐसा किया गया है। अतः राष्ट्रीय अकादमी वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करती है।

**Shri Onkar Lal Berwa :** The Indian Scientists go abroad as there is much difference in the emoluments of Indian Scientists and foreign scientists. Would the Government lower down this difference between their emoluments in India and in abroad or give them the same emoluments ?

**श्री मु० क० चागला :** यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

**Shri Madhu Limaye :** Before implementing the suggestion of setting up this new Academy will the Government assess the work done so far, especially in the research field, by our national laboratories, which has its effect on industrialisation and after that they would consider over the setting up of this proposed academy.

**श्री मु० क० चागला :** जी, हां। मैं इस सुझाव पर ध्यान दूंगा।

**श्री कपूर सिंह :** क्या ये वैज्ञानिक केवल विज्ञान की खोज और उसके विस्तार का ही कार्य करेंगे और किसी नीति के राजनीतिक पहलू से सम्बन्धित नहीं होंगे।

**श्री मु० क० चागला :** वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ नहीं हैं।

**श्री शिंकरे :** उन्हें होना ही नहीं चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत :** बाज़दफा वे राजनीति में घुस जाते हैं।

**श्री कपूर सिंह :** मैंने पूछा था कि क्या उन्हें वैज्ञानिक नीति और राष्ट्रीय जीवन पर उसकी प्रतिक्रिया के बारे में परामर्श देने को कहा जाएगा।

**श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस अकादमी पर असैनिक कर्मचारी और तानाशाह लोग नहीं छाएंगे क्योंकि वैज्ञानिकों में असंतोष का यह भी एक मुख्य कारण है ? यदि इस पर तानाशाह और असैनिक कर्मचारी छाये रहे तो इससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

**श्री मु० क० चागला :** राष्ट्रीय अकादमी में वैज्ञानिक ही छाये रहेंगे।

**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** इस निकाय और खोज प्रोत्साहन बोर्ड के बीच किस प्रकार का समन्वय और सम्बन्ध रहेगा ?

**श्री मु० क० चागला :** जैसे मैंने बताया है, ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है। अभी तो इस नयी संस्था की स्थापना को ही स्वीकार करना है। ब्यौरा तैयार करने में कुछ समय लगेगा। हमें कई मामलों पर विचार करना होगा।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** देश में अन्य संस्थाएं हैं जैसे राष्ट्रीय विज्ञान संस्था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ आदि जहां हमारे वैज्ञानिकों को सरकार के सम्पर्क में आने और अपनी सलाह देने का, जो कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से बिल्कुल भिन्न है, स्वतंत्र अवसर मिलता है। फिर हम एक अन्य संस्था, वैज्ञानिकों की अकादमी, क्यों बना रहे हैं जब कि अभी तक इसका कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया गया है ?

**श्री मु० क० चागला :** इस समय चार संस्थाएं हैं--राष्ट्रीय विज्ञान संस्था, नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर, भारत के विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी, इलाहाबाद और अन्य कई वैज्ञानिक संस्थाएं हैं। विचार यह है कि कई संगठनों में वैज्ञानिकों को रखने की बजाय एक केन्द्रीय संगठन में रखा जाए।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या इसका मतलब यह है कि इन अन्य संगठनों को समाप्त कर दिया जाएगा ?

**श्री मु० क० चागला :** यह भी विचाराणीय विषय है।

**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या मैं जान सकता हूं कि देश में वैज्ञानिक ज्ञान और साधनों को एक स्थान पर रखने के अतिरिक्त क्या हमारी वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक खोज आदि के लिए एक ठोस और अच्छी नीति बनाई जाएगी और क्या बड़े बड़े भारतीय वैज्ञानिकों को, जिन्होंने विदेशों में बड़े महान कार्य किए हैं, वापस बुलाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे ताकि यह अकादमी पूर्णतः सफल हो ?

**श्री मु० क० चागला :** इस अकादमी को सफल बनाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे, ये एक नीति बनायेंगे, वे इस नीति पर सरकार को परामर्श देंगे और यदि वे विदेशों में वैज्ञानिकों का सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे तो वह भी उन्हें प्राप्त होगा।

**श्री राम सहाय पाण्डेय :** अनेक वैज्ञानिक और विद्यार्थी, सरकार की सहायता पर अग्रेतर अध्ययन के लिए विदेशों में जाते हैं। क्या वे सभी लोग वापस आ जाते हैं क्योंकि इनमें से आधे लोग, विदेशों में सुविधाएं उत्तम होने के कारण, वहीं रह जाते हैं।

**श्री मु० क० चागला :** यह बात सही नहीं है; हमने एक साइंस पूल बना दिया है और हमारे अधिकांश वैज्ञानिक वापस आ रहे हैं और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब उनको अमरीका और ब्रिटेन में अधिक वेतन भी दिया गया तो वे लोग भारत आ गये।

**श्री दी० चं० शर्मा :** अब तक हमने जो अकादमियां बनायी हैं, अर्थात् साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और अन्य, उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या फिर इस देश में अकादमियों की संख्या बढ़ाना उचित है ?

**श्री मु० क० चागला :** जब कि यह अकादमी अभी बनी भी नहीं है तो यह कैसे कह सकते है कि इसका कार्य संतोषजनक नहीं होगा ?

**श्री कु० चं० पन्त :** मंत्री महोदय ने यह कहा है कि वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ नहीं हैं तो क्या इसका यह मतलब है कि यह अकादमी एक पूर्णागीण विज्ञान मंत्रालय के अधीन होगी ?

**अध्यक्ष महोदय :** श्री कछवाय ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** The hon. Minister has said that many of our scientists are coming back from abroad. I want to know the number of scientists who have come back so far.

**Shri M. C. Chagla :** Twice or thrice this question of scientists was raised and it was informed as to how many have come back and how many were given jobs here. If he again wants this information, I will pass it on to him.

## Procedure of Enquiry into Charges of Corruption

\+

*122 **Shri Yashpal Singh :**
**Shri Bhagwat Jha Azad :**
**Shri Harish Chandra Mahtur :**
**Shri M. L. Dwivedi :**
**Shri S. C. Samanta :**
**Shri S. M. Banerjee :**
**Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri K. N. Tiwari :**
**Shri A. N. Vidyalankar :**
**Shri Vidya Charan Shukla :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal to further revise the procedure and policy regarding enquiry into charges of corruption against persons in political authority such as Ministers at the Centre and in the States ; and

(b) if so, the main features thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) :** (*a*) No, Sir.

(*b*) Does not arise.

**Shri Yashpal Singh :** There is apprehension in the minds of the public. The Ministers of the same party indulge in corruption and the senior Ministers of the same party enquire into the corruption charge, it is not justified. Have the Government decided to entrust this work to the Supreme Court or the High Court ?

**Shri Hathi :** No Sir, The Government have not decided to entrust this matter to the judges of High Courts.

**Shri Yashpal Singh :** May I know the number of cases which are being enquired into at present and number of cases in which the help of the High Court or Supreme Court has been sought ?

**श्री हाथी :** यह तो जांच के स्वरूप पर निर्भर करता है । यदि सरकार कोई आयोग नियुक्त करती है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, तो वह अलग बात है ।

**Shri Hari Vishnu Kamath :** The question was different as to how many cases are pending enquiry by the Government and how many are pending in the Supreme Court or High Court.

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मंत्रियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारे पास जितने भी मामले थे, हमने निपटा दिये हैं । जम्मू तथा काश्मीर के मामले में हमने जांच आयोग नियुक्त नहीं किया है । बाकी मामलों में जांच उस तरह की गयी जो तरीके हमने पहले बताए हैं ।

**Shri Bagri :** On a point of order Sir, the question of the Hon. Member, Shri Yashpal Singh is regarding enquiry againt ministers in the centre. Could the Hon. Minister say as to the number of Central Ministers against whom complaints were received.

**Mr. Speaker :** This has already been replied to.

**Shri Madhu Limaye :** I have also one point of order regarding conduct of Business in the House.

**Mr. Speaker :** There is no question of conduct of business.

**Shri Madhu Limaye :** It is.

**Mr. Speaker :** Please wait.

**Shri M. L. Dwivedi :** May I know whether the steps taken by the Government so far to eradicate corruption are satisfactory ; if not why it was not considered to revise the same ?

**Shri Nanda :** This is a very wide question. Naturally, the action taken so far have been useful. I am not prepared to say that everything has been corrected.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### पटाखों के अवैध कारखाने

*123. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री दलजीत सिंह :

**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री बड़े :**
**श्री बसुमतारी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राज्यीय छापों के दौरान दिल्ली गुप्तचर विभाग के विशेष कर्मचारियों को अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले दो कारखानों का पता लगा और उन्होंने कई हजार पौंड विस्फोटक पदार्थ अपने कब्जे में लिया ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इसमें किन्हीं विदेशियों का हाथ है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस के गुप्तचर विभाग के विशेष कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश में मेरठ में 30 दिसम्बर, 1964 को एक छापा मारा और दो व्यक्तियों के पास से सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पटके जाने वाले 10,000 पटाखे अपने कब्जे में लिये। दिल्ली पुलिस के गुप्तचर विभाग के विशेष कर्मचारियों ने एक और छापा 13 जनवरी, 1965 को पंजाब के जींद स्थान पर मारा और दो अन्य व्यक्तियों के पास से 7,000 ऐसे ही पटाखे और पकड़े। फिर भी अवैध रूप से पटाखे बनाने वाला कोई कारखाना नहीं पकड़ा गया।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884 की धारा 6 के अधीन चार मामले, दो मेरठ में और दो जींद में, दर्ज किये गये और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों की जांच क्रमशः उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस ने शुरू कर दी है।

## Deportation of Pakistani Infiltrants

*124. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
**Shri Surendra Pal Singh :**
**Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri K. N. Tiwari :**
**Shri Ram Harkh Yadav :**
**Shri Vishwa Nath Pandey :**
**Shri P. R. Chakravarti :**
**Shri Hem Raj :**
**Shrimati Renuka Barkataki :**
**Shri Ravindra Varma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) The progress made so far in deporting the Pakistani infiltrators from Assam, Manipur and Tripura ;

(b) at what stage is the proposal regarding the creation of the proposed depopulated belt on Assam border ; and

(c) whether any reports regarding further infiltration of Pakistanis have been received and if so, the steps being taken by Government to check the same ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Hathi):** (a) During the period from 1961 to 1964, 1,09,145 Pakistani infiltrators were deported from Assam and 19,277 from Tripura. 13 Pakistani infiltrators were deported from Manipur in 1964.

(b) A detailed survey is being made by a senior officer experienced in revenue matters appointed by the State Government and his report is awaited.

(c) The reports received show that the infiltration is now on a much lesser scale. This is because of the various measures taken to strengthen and increase the number of border outposts and to intensify patrolling on the border.

## India Office Library

*125. **Shri M. L. Dwivedi :**
**Shri S. C. Samanta :**
**Shri R. S. Tiwary :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the progress so far made in the discussions regarding the transfer of the India Office Library, London to India ;

(b) the reasons for delay in the transfer of that Library ; and

(c) the steps taken by him towards an early settlement of this matter ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) Some progress was made but no settlement has yet been arrived at. It is not possible to give details of the progress as there is an understanding between the three Governments that details of negotiations should not be disclosed till a final settlement is reached.

(b) Different viewpoints have to be reconciled before the problem can be solved.

(c) Strenuous efforts have been made for the settlement of the matter as early as possible.

## हल्दिया में लुब्रीकेटिंग तेल संयंत्र

श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

*126. महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दाजी :
श्री कोया :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री रा० बरुआ :
श्री ल० ना० भंजदेव :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित तेल शोधनशाला के साथ साथ हल्दिया में एक लुब्रीकेटिंग तेल संयंत्र लगाने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(घ) क्या कुछ विदेशी तेल कम्पनियों के साथ उनके सहयोग के बारे में चल रही बातचीत को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) सरकार ने एक लुब्रीकेटिंग तेल संयंत्र को हल्दिया शोधनशाला के अभिन्न अंग के रूप में बनाने का फैसला किया है ।

(ख) इस का अभी तक ठीक तरह से अनुमान नहीं लगाया गया है किन्तु इसकी लागत लगभग 9 करोड़ रुपये हो सकती है ।

(ग) प्रतिवर्ष लगभग 200,000 मीटरी टन से ले कर 250,000 मीटरी टन तक ।

(घ) शोधनशाला के लिए 15 अप्रैल, 1965 तक निवेदों को मांगा गया है ।

## मद्रास उच्चन्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति

*127. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास बार के एक सदस्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति

को किस दिन याचिका प्रस्तुत की गई थी ;

(ख) राष्ट्रपति को उक्त याचिका के समर्थन में संबंधित कागजात किस दिन प्राप्त हुये ;

(ग) राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री को संसद् सदस्यों का स्मरण-पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ ;

(घ) मद्रास के मुख्य न्यायाधिपति ने किस तारीख को त्यागपत्र दिया ; और

(ङ) क्या उनके त्यागपत्र देने से संविधान के अनुच्छेद 217 (3) के अन्तर्गत जांच नहीं की जा सकती ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) 13 मई, 1964 ।

(ख) 31 अगस्त, 1964 ।

(ग) 23 सितम्बर, 1964 ।

(घ) 1 नवम्बर, 1964 ।

(ङ) जी, हां ।

## हिन्दी में प्रशासनिक शब्दावलि

*128. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री नवल प्रभाकर :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी में पारिभाषिक विधिक तथा प्रशासनिक शब्दावलि निश्चित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्दी भाषी राज्यों ने इसे अपनाना स्वीकार कर लिया है ;

(ग) निश्चित शब्दावलि को देश भर में लोकप्रिय बनाने तथा लागू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(घ) क्या विधि तथा अन्य सरकारी दस्तावेजों के मामले में हिन्दी शब्दावलि बदलने का एक समान ढंग ढूंढने के लिये राज्यों तथा केन्द्र के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाने का विचार है ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) शिक्षा मंत्रालय केवल तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावलि तैयार करने के लिए उत्तरदायी है । प्रथम डिग्री स्तर तक के सात बुनियादी विज्ञानों (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पतिशास्त्र, प्राणि विज्ञान, भूगोल और भूगर्भ विज्ञान) से संबंधित तकनीकी शब्दावली को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और विज्ञान शब्दावली के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है । अन्य विषयों की शब्दावली को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई की जा रही है । प्रशासनिक शब्दावली को भी अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उसे प्रकाशित कर दिया गया है । कानूनी शब्दावली विधि मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है ।

(ख) प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली को, विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और हिन्दी भाषी राज्यों समेत विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के विषय-विशेषज्ञों के सहयोग से अन्तिम रूप दिया गया है । इसलिए यह विश्वास किया जा सकता है कि यह शब्दावली सभी हिन्दी भाषी राज्यों को स्वीकार्य होगी ।

(ग) प्रामाणिक शब्दावली को लोकप्रिय बनाया जा रहा है और उसे अपनाया जा रहा है। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थाओं और प्रकाशकों द्वारा हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की तैयार की जाने वाली सभी मूल रचनाओं तथा प्रामाणिक रचनाओं के अनुवाद में भी इसी शब्दावली के प्रयोग पर बल दिया जाता है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि अपने स्कूलों तथा कालेजों के लिए वे केवल वही पाठ्य पुस्तकें निर्धारित करें जिनमें प्रामाणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया हो।

(घ) तकनीकी और प्रशासनिक शब्दावली तैयार करने तथा उसमें समन्वय करने हेतु जिसके लिए यह मंत्रालय उत्तरदायी है, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के विषय-विशेषज्ञों और केन्द्रीय सरकार आदि के प्रतिनिधियों की विशेषज्ञ सलाहकार समितियां पहले से ही कार्य कर रही हैं।

**पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के बड़ी संख्या में आने के बारे में जांच आयोग**

*129. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री सुधांशु दास :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री हम बरुआ :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्रीमती रेणुका राय :**
**श्री राम सहाय पांडेय :**
**श्री है० वी० कोजलगी :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्रीमती शारदा मुकर्जी :**
**श्री रा० बरूआ :**
**श्री ल० ना० भंजदेव :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्री कोया :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सामूहिक आगमन के प्रश्न की जांच

करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के कौन-कौन सदस्य हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) अधिसूचना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--3837/65]**

## नेफा में शरणार्थियों का पुनर्वास

130. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से हाल में आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को नेफा में अछूते क्षेत्रों में बसाने के लिए योजनायें विचाराधीन हैं ; और

(ख) क्या नेफा में उपलब्ध अछूती भूमि का कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो भूमि कितनी है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण कार्य चल रहा है । पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उपलब्ध कुल भूमि का सर्वेक्षण कार्य पूरा होने पर पता चलेगा । इतने समय में, नेफा प्रशासन ने नेफा में लगाये गये शिविरों में लगभग 1052 परिवार रखे हैं और वह उनको नोढिंग घाटी में और नीरथ पुन्टियर डिवीज़न में बसाने के लिए व्यवस्था कर रही है ।

## अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिये हिन्दी माध्यम

*132. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री विश्वनाथ पांडेय :**
**श्री राम सहाय पांडेय :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय का वास्तविक रूप क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). वर्ष 1959 में सरकारी भाषा सम्बन्धी संसदीय समिति की सिफारिश पर यह निर्णय किया गया था कि संघ लोक सेवा

आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके परामर्श से कुछ समय बाद हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू करने के लिये कार्रवाई की जाये। संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के परामर्श से उत्तर की कापियों की जांच का एक समान स्तर निर्धारित करने के लिए बीच की कोई संतोषजनक योजना बनाई जा रही है। इसके बाद निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा।

## गंगा के मैदान में तेल

*133. श्री विश्वनाथ राय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय भूतत्वीय सम्मेलन में भाग लेने वाले रूसी भूतत्व-वेत्ताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि गंगा-सिन्ध के मैदान में तेल मिलने की सम्भावना है और यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार को इस क्षेत्र में तेल की खोज के विस्तृत परीक्षात्मक छिद्रण का कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव की व्यावहारिकता की जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) हाल में दिसम्बर में हुए सम्मेलनों में भाग लेने वाले रूसी भूतत्व-वेत्ताओं में से एक ने बताया कि उसकी सम्मति में गंगा-सिन्ध के मैदान में तेल मिलने की अच्छी सम्भावना है।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का भी हमेशा यही विचार रहा है और वह पिछले कई सालों से इस प्रदेश में भूतत्वीय एवं भूभौतिक सर्वेक्षणों और समन्वेषी व्यधन कार्यों को कर रहा है।

## अन्दमान में पुनर्वास

*134. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुधांशु दास :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने कुछ समय पहले विशेषज्ञों का एक दल अन्दमान द्वीप समूह इस बात का पता लगाने के लिए भेजा था कि वहां कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में दल ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) :** (क) पुनर्वास मंत्रालय के चार अधिकारियों के एक छोटे से दल ने दिसम्बर/जनवरी में (25-12-1964 से 1-1-1965) तक मध्यवर्गीय अन्दमान द्वीप समूह में वनों को साफ करने और भूमि को कृषि योग्य बनाने के काम को तेजी से करने, इन कार्यों पर शरणार्थियों को लगाने और उनके परिवारों के लिए एक शिविर बनाने की संभावना का पता लगाने के लिये द्वीप समूह का दौरा किया। इसके बाद वहां 5 फरवरी, 1965 को एक अन्तर्विभागीय दल गया जो 20 फरवरी, 1965 को वापस आ गया है ।

(ख) और (ग). पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों के दल ने अपने दौरे में बेतापुर तलहटी क्षेत्र में 4000 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने और वहां लगभग 600 परिवार

बसाने की योजना बनाई । इसने राष्ट्रीय विकास दल के 400 सहकारियों को भी स्थानान्तरित करने के लिए और उनको मध्य अन्दमान द्वीपसमूह में काम पर लगाने के लिए भी प्रस्ताव बनाए । इस दल ने सामान्य रूप से यह भी बताया है कि यहां कृषि-वन उद्योगों, बागानों, मत्स्य-पालन आदि के विकास के लिये भी काफी गुंजायश है । अन्तर्विभागीय दल का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि यह दल अभी हाल ही में वापस आया है ।

**Allegations against the Chief Minister of Bihar**

*135. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
**Shri D. C. Sharma :**
**Shri Yashpal Singh :**
**Shri S. M. Banerjee :**
**Shri Bhagwat Jha Azad :**
**Shri Hari Vishnu Kamath**
**Shri Daljit Singh :**
**Shri Madhu Limaye :**
**Shri Kolla Venkaiah :**
**Shri M N. Swamy :**
**Shri P. Venkatasubbaiah :**
**Shri P. C. Borooah :**
**Shri Bibhuti Mishra :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of the legislators of Bihar presented a memorandum consisting of 400 pages to the President listing various allegations against the Chief Minister of that state ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Nanda) :** (a) A memorandum making certain allegations against the Chief Minister of Bihar was submitted to the President by ten persons including one M.P. and nine members of the Bihar Legislature.. The memorandum including its appendices consists of 101 pages and not 400 pages.

(b) The memorandum and the material received from the Chief Minister have been examined and the Prime Minister has mentioned the conclusion reached, in a statement in the House.

**अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह**

श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम हरख यादव :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

*136. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में लोकतन्त्रात्मक सरकार बनाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन इस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति एक प्रशासक द्वारा चलाते हैं। इस प्रशासक के पद का पदनाम मुख्य आयुक्त है। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

*137. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प० ह० भील :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय शिक्षा सेवा सम्बन्धी गठन के प्रस्ताव के बारे में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सेवा के कब तक गठित हो जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है और योजना की मुख्य बातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

**साम्यवादी दल के वामपक्षी गुट**

*138. **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि भारत के साम्यवादी दल के तथाकथित "वामपक्षी" गुट को चीन से धन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना, किस लिए तथा उसे किस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनकी सरकारों अथवा भारत में स्थित जिनके दूतावासों का इस अनुचित कार्य में हाथ है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). इस मामले पर सभा में विचार करना लोक-हित में नहीं है ।

**समान बिक्री कर**

*139. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1084 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरीय खण्ड में बिक्री कर की समान दर लागू करने सम्बन्धी प्रश्न पर उत्तरीय खण्ड परिषद् की उप-समिति द्वारा इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उप-समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). उत्तरीय खण्ड की परिषद् की सातवीं बैठक में, जो 14 और 15 अक्तूबर, 1963 को चंडीगढ़ में हुई थी, उत्तरीय खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा प्रशासनों में बिक्री कर के तरीकों/दरों में समानता लाने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति की स्थापना की गई थी । इस समिति की सिफारिशों पर उत्तरीय खण्ड की परिषद् की पिछली (आठवीं) बैठक में, जो जयपुर में 12 नवम्बर, 1964 को हुई थी, विचार किया गया था । उस बैठक की कार्यवाही का

ब्यौरा, जिसमें अन्य बातों के साथ समिति की सिफारिशों पर उत्तरीय खण्ड की परिषद के निर्णय भी दिये जायेंगे, अन्तिम रूप से तैयार होते ही सदा की भांति संसद् के पुस्तकाल में रख दिया जायगा। फिर इस मामले में आगे की कार्यवाही करने का काम खण्ड के सदस्य राज्यों की सरकारों का होगा

**श्री कैरों की हत्या**

*140.
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दाजी :
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नि० चं० चटर्जी :
श्री बाल्मीकी :
श्री न० प्र० यादव :
श्री राम सेवक यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री पन्ना लाल बारुपाल :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 फरवरी, 1965 को हुई सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या की छानबीन के काम में केन्द्रीय जांच विभाग ने जांच पुलिस की सहायता की है ; और

(ख) क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

## उर्वरक कारखाने

*141. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ज० ब० सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री ओंकार लाल बेरवा
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दलजीत सिंह :
श्री दे० द० पुरी
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री राम सेवक :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री उइके :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हेडा :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कोया :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री अमरीका के गैर-सरकारी व्यापार संघ के सहयोग से भारत में स्थापित किये जाने वाले पांच उर्वरक कारखानों सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में 23 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 636 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त अमरीकी व्यापार संघ ने अपना व्यावहारिकता प्रतिवदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में नये उर्वरक तथा पैट्रो-रासायनिक उद्योग स्थापित करने के लिए कुछ अन्य विदेशी सरकारों तथा/अथवा फर्मों से बातचीत चल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन में मानक रूपांकन के 5 बड़े आकार वाले संयंत्रों की स्थापना का सुझाव दिया गया है जिनमें से तीन तटीय स्थानों पर और दो अन्तरस्थलीय होंगे । इन से एक मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन (एन) 500,000 मीटरी टन फासफोरस ($पी_2 ओ_5$) और 250,000 मीटरी टन पोटासियम ($K_2O$) उत्पादन किया जायेगा। इन पर 202.30 करोड़ रुपये की कुल लागत होने का अनुमान है । प्रतिवेदन के प्रस्तावों पर बातचीत हो रही है ।

(ग) विदेशी सरकारों से कोई बात आगे नहीं चल रही है । कई विदेशी फर्मों के साथ पट्रो-केमीकल उद्योगों की स्थापना के लिए बातचीत चल रही है । कुछ फर्मों ने उर्वरक संयंत्रों की स्थापना में भी दिलचस्पी दिखाई है ।

(घ) अभी तक उनके प्रस्तावों पर निर्णय नहीं हुआ है ।

**तेल की खोज**

*142. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री रा० स० तिवारी :**
**श्री रा० गि० दुबे :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री राम हरख यादव :**
**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री दाजी :**
**श्री राम सेवक :**
**श्री विद्याचरण शुक्ल :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में तट के निकट तेल की खोज करने के लिए रियायत देने के बारे में ईरानी, प्राधिकारियों तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग—ई० एन० आई०—फिलिप्स ग्रुप के बीच समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) जी, हां ।

(ख) आवश्यक सूचना से सम्बन्धित एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3838/65]।

## हिन्दी परीक्षायें

252. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ हिन्दी परीक्षाओं की अवधि को बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितनी-कितनी वृद्धि की गई है ;

(ग) जिन परीक्षाओं की अवधि में वृद्धि की गई है उन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). इस बारे में जारी की गई दो प्रेस विज्ञप्तियों की प्रतियां, जिनमें सारी जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रखी जाती हैं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—3839/65]।

## राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना

253. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्र मण्डल छात्रवृति/अधि-छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1963–64 में भारतीयों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ;

(ख) इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ;

(ग) छात्रवृत्तियों तथा उनका लाभ उठाने वालों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) योजना के आरम्भ से भारतीयों को अब तक कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) 79।

(ख) पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। मार्ग का खर्चा, रहने का भत्ता, अध्ययन शुल्क तथा प्रयोगशालाओं की फीस के खर्चे छात्रवृत्ति देने वाले देश वहन करते हैं। भारत सरकार उम्मीदवारों को इन्टरव्यू में उपस्थित होने के लिये भाड़े का खर्चा देती है और चयन समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता समिति की बैठक में भाग लेने के लिये देती है।

(ग) छात्रवृत्तियां इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानवशास्त्र तथा ललित कलाओं के अध्ययन तथा गवेषणा के लिए प्रदान की जाती हैं। इसमें मार्ग का खर्चा, रहने का भत्ता, अध्ययन

शुल्क, तथा प्रयोगशाला की फीस आदि आ जाते हैं। तथा यह छात्रवृत्तियां राष्ट्रमंडल के राष्ट्रजनों के लिये होती हैं ।

(घ) 339 ।

**हिन्दी के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां**

**254. श्री वैं० तेंवर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कालेज छात्रों को जो हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप में लेते हैं छात्रवृत्तियां देने के सिद्धांत क्या हैं ; और

(ख) 1964-65 में मद्रास राज्य से छात्रवृत्ति के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने मंजूर किये गये ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) छात्रवृत्तियां देने के लिये छात्रों का चुनाव, एक चुनाव समिति प्रतिभा के आधार पर करती है । यह छात्रवृत्तियां बजट के अन्तर्गत दी जाती हैं। छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालय में अध्ययन के सभी स्तरों तथा हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये दी जाती है ।

(ख) मद्रास के 564 उम्मीदवारों में से 319 को छात्रवृत्तियां दी गईं। मद्रास का कोटा 190 छात्रवृत्तियों का था परन्तु अन्य राज्यों में उपयोग में न लायी गई धनराशि इस राज्य में उपयोग में लायी गई है ।

**शिकायत एकक**

**255. श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को शिकायत एकक स्थापित करने की सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालयों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) (i) निम्नलिखित मंत्रालयों ने, जिनका जनता से काफी सम्पर्क आता है, या तो अलग से शिकायत एकक स्थापित कर लिये हैं या प्राप्त होने वाली शिकायतों को अन्य प्रकार से निबटाने का उपयुक्त प्रबन्ध कर लिया है :—

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय

शिक्षा मंत्रालय

परराष्ट्र मंत्रालय

वित्त मंत्रालय (कम्पनियों के मामले और बीमा का विभाग)

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

स्वास्थ्य मंत्रालय

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय

सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय
पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय
रेलवे मंत्रालय
पुनर्वास मंत्रालय
इस्पात और खान मंत्रालय
निर्माण तथा आवास मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा विभाग

(ii) निम्नलिखित मंत्रालयों ने, जिनका जनता से अधिक सम्पर्क नहीं आता अथवा जिनके पास बहुत कम शिकायतें आती हैं, अलग से शिकायत एक स्थापित करना जरूरी नहीं समझा :—

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय
प्रतिरक्षा मंत्रालय
वित्त मंत्रालय (व्यय तथा समन्वय विभाग)
गृह मंत्रालय
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
विधि मंत्रालय
परिवहन मंत्रालय
परमाणु ऊर्जा विभाग
मंत्रि मण्डलीय मामलों का विभाग
संचार विभाग
संसदीय मामलों का विभाग
सांख्यिकी विभाग
योजना आयोग

(iii) शेष में मामला विचाराधीन है ।

## दुर्गापुर में उर्वरक कारखाना

256. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री ओंकार लाल बैरवा :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री मुहम्मद इलियास :**
**श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** (क) जी हां ।

(ख) कारखाने की क्षमता नाईट्रोजन की 1,25,000 टन और पी$_2$ ओ की 1,08,500 टन होगी । 5,60,000 टन अमोनियम फासफेट तथा 55,000 टन यूरिया प्रतिवर्ष बनाया जायेगा । कारखाने की कुल लागत का अनुमान 35·63 करोड़ रु० होने का अनुमान है । इस में से 13·99 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा में होगा ।

**न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करना**

257. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री रामचन्द्र उल्लाका :**
**श्री घुलेश्वर मीना :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री राम सेवक यादव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो गई है ;

(ख) यदि नहीं तो वे कौन से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां यह अलग नहीं हुई ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) तथा (ग). एक वोट जिस में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय क्षेत्रों की स्थिति बतायी गई है संलग्न है **[पुस्तकालय में रखा गया; देखिय संख्या एल० टी० 3840/65]** ।

**मैसूर सरकार के पदाधिकारियों की वरिष्ठता**

258. **श्री रा० गि० दुबे :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने कृषि विभाग के पदाधिकारियों की वरिष्ठता सूची के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या बेलगांव डिवीजन से शिकायत प्राप्त हुई है कि मैसूर सरकार ने उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने में उचित और न्यायपूर्ण बर्ताब नहीं किया है ; और

(ग) क्या राज्य सलाहकार समिति ने अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). मैसूर सरकार ने भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राजपत्रित (गजेटिड) पदालि की एक अन्तर-राज्य वरिष्ठता सूची छापी है । जहां तक गैर गजेटिड कर्मचारीवर्ग अर्थात सुप्रिन्टेन्डेंट्स, मैनेजर्स, हेड क्लर्कस, स्टेनोग्राफर्स, टाइपिस्ट्स, ड्राफ्ट्समैन, ट्रेसर्स, लेबोरेटरी असिस्टेंट्स तथा सर्वेयर्स का सम्बन्ध है उनके बारे में अस्थायी अन्तर-राज्य वरिष्ठ सूची छाप दी गई है । उसके विरोध में मिली आपत्तियां सरकार की टिप्पणियों के साथ राज्य

सलाहकार समिति को भेज दी गई हैं । समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। श्रेणी I और II के क्लर्कों के बारे में पुनरीक्षित अस्थायी अन्तर-राज्य वरिष्ठता सूचियां भी छाप दी गई है । उसके विरोध में मिली आपत्तियों की पड़ताल हो रही है उसके पश्चात उनको राज्य सलाहकार समिति को भेज दिया जायेगा । कृषि प्रदर्शकों, फील्ड असिस्टेंट्स, फील्डमैन तथा कृषि इंजीनियरिंग एक के सम्बंध में पुनरीक्षित अस्थायी वरिष्ठता सूचियां अभी राज्य सरकार छापेगी । "बम्बई" क्षेत्र के कृषि प्रदर्शकों की पदाली में पदों में समानता लाने के विरोध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं । यह अभ्यावेदन समय से पहले मिल गये हैं क्योंकि इन के बारे में सूची अभी छापी नहीं गई है ।

## सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता

259. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों को मान्यता देने सम्बन्धी नये नियम बना लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) संगठनों/संघों को मान्यता देने के बारे में हिदायतें कर्मचारी संगठनों को परिचालित कर दी गई हैं और यह प्रश्न संयुक्त सलाहकार और अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय योजना से सम्बद्ध है । इन हिदायतों को अन्तिम रूप, कर्मचारी संघों द्वारा इस योजना को सिद्धान्त रूप में मानने के पश्चात्, दिया जायेगा ।

## सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

260. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री भागवत झा आज़ाद :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री श्याम लाल सर्राफ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों में 1964 में संशोधन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या कुछ संशोधनों का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों के प्रतिकूल हुआ है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) जी, हां ।

(ख) संशोधनों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) अधीक्षक पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी डालना ताकि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा तथा कर्त्तव्यनिष्ठा सुनिश्चित कर सकें ।

(2) सरकारी संरक्षण प्राप्त फर्मों में अपने परिवार के व्यक्तियों को नौकरी आदि दिलाने के लिए अपने सरकारी प्रभाव तथा पद का सरकारी कर्मचारी उपयोग न करें ।

(3) सरकारी कर्मचारियों द्वारा मुफ्त सेवायें जसे परिवहन, खाना, रहना आदि निकट सम्बन्धी तथा मित्रों के अतिरिक्त अन्य ऐसे लोगों से प्राप्त करने पर रोक लगाना जिन सरकारी कर्मचारियों से कोई काम न हो । तथा ऐसे व्यक्तियों से आतिथ्य सत्कार प्राप्त करने पर रोक लगाना जिनका सरकार से लेन देन हो तथा साथ ही साथ औद्योगिक या व्यापारिक फर्मों के साथ भी जिनका काम पड़ता हो ।

(4) इस बात की व्यवस्था कि सरकारी कर्मचारी नियत समय के पश्चात् अपनी चल तथा अचल सम्पत्ति तथा आस्तियों, ऋण और दायित्वों के विवरण सरकार को दें ।

(ग) पुनरीक्षित आचरण नियमों के कारण सरकारी कर्मचारियों को उपहार स्वीकार करने और आस्तियों और दायित्वों के विवरण देने की जिम्मेदारी डाल दी गई है ।

## इण्डियन आयल कम्पनी में नौकरियां

261. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के बहुत से कर्मचारियों ने इण्डियन आयल कम्पनी में रोजगार पाने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1965 तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ; और

(ग) उन में से कितनों को नौकरियां दी गईं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) से (ग). भारत में गैर-सरकारी तेल कम्पनियों के कर्मचारियों से इंडियन आयल कारपोरेशन के मार्केटिंग और रिफाइनरी डिवीजन के मुख्यालय में रोज़गार पाने के लिये कुल 505 तथा 93 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे । इन में से 128 को मार्केटिंग डिवीज़न में तथा 38 को रिफाइनरी डिवीज़न में नौकरी दी गई है ।

## पूर्वी पाकिस्तान से मिलती हुई सीमा की नाकाबन्दी

262. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और आसाम की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह या तो पूर्वी पाकिस्तान से मिलते हुए क्षेत्र की नाकाबन्दी कर दे या 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् प्रव्रजन प्रमाण पत्रों के बिना उन राज्यों में आये शरणार्थियों को बसाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री महाबीर त्यागी)** : (क) तथा (ख). अक्तूबर, 1964 में केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया था कि 1 नवम्बर, 1964 से सहायता तथा पुनर्वास की सुविधायें केवल उन शरणार्थियों को दी जायें जिन के पास प्रव्रजन प्रमाणपत्र हों। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि जब तक बिना प्रव्रजन प्रमाण पत्र के आने वालों का भारत में आना बन्द न होगा तब तक उपरोक्त निर्णय से कई समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात को बताया गया है कि जब तक प्रव्रजन प्रमाण पत्र बिना आने वालों का पूर्वी पाकिस्तान से आना नहीं रोका जायेगा तब तक जो लोग प्रव्रजन प्रमाणपत्रों से आते हैं केवल उनको सहायता तथा पुनर्वास सहायता देने से राज्य के लिए समस्यायें उठ खड़ी होंगी। इसीलिए पश्चिम बंगाल सरकार को सलाह दी गई थी कि प्रव्रजन प्रमाण पत्रों के बिना आने वाले बहुत अधिक कष्ट में होने वाले व्यक्तियों को शिविरों में भेजने के बारे में विचार करे।

आसाम और त्रिपुरा की सरकारों ने भी इसी प्रकार की बात कही थी। उन को भी पश्चिमी बंगाल को दी गई सलाह के अनुसार काम करने को कहा गया है।

इस विषय में भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों की सलाह से सदैव विचार करती रहती है।

## सतर्कता आयोग

263. श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नमूने पर केवल छः राज्यों में

सतर्कता आयोग स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बाकी राज्यों ने ऐसे आयोगों की स्थापना नहीं करने के क्या कारण बताये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) मैसूर, नागालैंड तथा उड़ीसा सरकारों ने केन्द्र के नमूने पर सतर्कता आयोग स्थापित करने का निर्णय कर लिया है । बिहार सरकार ने एक भ्रष्टाचार विरोधी बोर्ड की स्थापना की है इस में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सभी बातें हैं। पंजाब सरकार ने भी एक सतर्कता आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है । इसका ब्यौरा मंगाया जा रहा हैं । जम्मू-काश्मीर, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ऐसे संगठन बनाये है परन्तु उन में तथा केन्द्रीय नमूने के संगठनों में मामूली अन्तर है । केरल और पश्चिमी बंगाल सरकारें अभी इस विषय पर विचार कर रही हैं।

## समुद्र विज्ञान

**264. श्री रामनाथन् चेट्टियार :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन करने के लिये पूर्वी तट पर कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर है और उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान में समुद्र विज्ञान का गहन अध्ययन हो रहा है । यह अभियान भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट का भी अध्ययन करेगा ।

(ख) यह अध्ययन 30 से $120^{\circ}$ के अन्तर्गत आने वाला पूरा हिन्द महासागर आता है । परन्तु भारतीय कार्यक्रम के अनुसार मुख्य रूप से अरब सागर के उत्तरी भागों अर्थात् भूमध्य रेखा से 60 अक्षां. तक पश्चिम सीमा और अन्डमान और निकोबार द्वीपों के साथ साथ सुमात्रा तक पूर्वी सीमा के बीच का भाग आता है ।

## Braille Books

265. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Public Library is arranging braille books for the blind :

(b) if so, the expenditure involved in production of those books ; and

(c) the number of books to be placed in the Library as also the number of the blind to be benefited by these books ?

**Minister of Education (Shri M.C. Chagla)** : (a) Yes, Sir.

(b) Production of braille books has not been taken up by the library :

(c) To-date the Library has 2123 braille books in its Braille Section with 303 members on its rolls.

**मद्रास में तेल शोधक कारखाना**

266. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री रा० गि० दुबे :**
**श्री दे० द० पुरी :**
**श्री राम सेवक :**
**श्री फ० गो० सेन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में तेल शोधक कारखाने की स्थापना में सहयोग देने के बारे में प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) कौन से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकार किये गये सहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी / अमरीकन इन्टरनेशनल आयल कम्पनी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। समझौते में जो शर्तें होंगी उन पर विचार हो रहा है।

**गोहाटी तेल शोधन कारखाने में तैयार होने वाली गैस**

267. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी तेल शोधन कारखाने द्वारा गोहाटी तथा शिलांग में घरेलू कार्यों के लिए गैस के संभरण के सम्बन्ध में गत जुलाई में सरकार को एक योजना प्राप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) स्वीकृत योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** :(क) से (ग). इंडियन आयल कारपोरेशन (रिफाइनरी डिवीजन) से इसी महीने में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उस पर विचार हो रहा है।

**तेल शोधक कारखानों का विस्तार**

268. **श्री ज० ब० सिंह :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री विभूति मिश्र :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखानों के विस्तार के लिए विदेशी तेल कम्पनियों

की प्रार्थना पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) यह अनावश्यक समझा गया है कि इन शोधक कारखानों का इस समय विस्तार किया जाय ।

**जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग**

269. **श्री ज० ब० सिंह :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रामपुरे :**
**श्री वारियर :**
**श्री दाजी :**
**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज और अत्यावश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों का उपयोग किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिए भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अब तक कुल कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया अथवा उन पर मुकदमे चलाये गये ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

**Hindi in Delhi Administration**

**270. Shri Naval Prabhakar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has issued orders to the effect that all work be done in Hindi from the 26th January, 1965 ; and

(b) if so, the extent to which these orders have been implemented so far ?

**Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra):** (a) No.

(b) Does not arise.

## शराब का तस्कर व्यापार

271. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और मद्रास जैसे मद्य-निषेध वाले नगरों में हवाई मार्ग से शराब का तस्कर व्यापार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही में पता लगने वाले मामलों की संख्या क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** (क) हाल के सालों में बम्बई और मद्रास जैसे मद्य-निषेध वाले नगरों में विमान द्वारा मशीनों के पारसल के रूप में शराब के तस्कर व्यापार की कोई घटना जानकारी में नहीं आयी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## दिल्ली में विस्फोटक को रोकने के लिए गुप्तचर विभाग के कर्मचारी

272. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री बड़े :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री सुधांशु दास :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विस्फोटकों को रोकने और उन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए गुप्तचर विभाग के विशेष कर्मचारियों को पुनर्गठन करने और उनकी संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) इस विषय पर विचार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## आन्तरिक सुरक्षा बल

273. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के गृह-मंत्री के इस सुझाव की जांच कर ली है जिस में कहा गया है कि रूरकेला में हाल में हुए साम्प्रदायिक दंगे और विभिन्न भागों में

विद्यार्थियों में फैली अशांति केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में एक सशक्त और एकीकृत आन्तरिक सुरक्षा बल की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाते हैं; और

(ख) सारे देश में पुलिस बल का एकसा स्तर सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (हाथी)** : (क) भारत सरकार को कोई ऐसा सुझाव नहीं मिला ।

(ख) जी नहीं ।

### अफ्रीकी अध्ययन

275. **श्री हेड़ा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों ने अफ़्रीकी अध्ययन की प्रायोजना की है ;

(ख) कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों को कुल कितनी सहायता अथवा राज-सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या अफ़्रीकी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ।

(ख) 1,33,250 रु० 85 पैसे । इस के साथ साथ 1961–62 से कार्य संचालन के खर्चे भी हैं जो विश्वविद्यालय के दिये जाने वाले अनुदान से किये जाते हैं ।

(ग) कुछ योजनाओं पर विचार हो रहा है ।

### National Discipline Scheme

*276.* **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the former Director-General of the National Discipline Scheme hired a house at Sariska Palace near Alwar for the training institute without concluding a proper agreement ;

(b) whether it is also a fact that lakhs of rupees have been spent by Government on the repair of the house ;

(c) whether this constitutes an irregularity on the part of the former Director General of National Discipline Scheme ; and

(d) if so, the action taken against him ?

**Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :** (a) Yes, Sir. Letters were, however, exchanged between the former Director General and the palace owner. A draft lease deed was also got ready on the basis of the letters of exchange which could not be finalised during the life time of the former Director-General.

(b) Approximately an amount of Rs.1·31 lakhs has been spent on necessary repairs and purchase of essential equipment such as water pump, generator, etc. which are Government property.

(c) No serious irregularity was committed inasmuch as letters of intent were exchanged between the parties which provided a basis for agreement for all practical purposes.

(d) Question does not arise.

**Directorate of National Discipline Scheme**

*277.* **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) Whether it is a fact that serious financial irregularities have been found in the working of the Directorate of National Discipline Scheme;

(b) if so, the details and the reasons therefor ; and

(c) the reasons for not appointing an independent committee by the Government for enquiring into the mismanagement under this scheme ?

**Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):** (a) There does not appear to be any serious financial irregularity in the working of the Directorate of National Discipline Scheme. However, the Audit authorities have pointed out certain irregularities which are of a technical nature.

(b) Details of these irregularities are : (i) drawal of amounts from the Treasury on advance bills obtained from the firms on whom indents for the supply of stores were placed ; (ii) improper maintenance of stock accounts ; (iii) non-execution of lease deed in respect of accommodation for the Central Training Institute at Sariska ; and (iv) non-recovery of lodging and service charges from the trainees and staff.

(c) As the irregularities detailed above were found to be only of a technical nature, Government did not consider it fit to appoint an independent committee for enquiry into these matters.

**दिल्ली नगर निगम का कार्य-संचालन**

278. **महाराज कुमार विजय आनन्द :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकारों की विविधता विकास कार्यों के क्रियान्वित करने में अनावश्यक देरी और अकुशलता में परिणत हुई है ;

(ख) प्रशासन में सुधार करने और प्रशासनिक कार्य-व्यवस्था में संलग्नता पैदा करने की अधिकांश लोगों की मांग पर क्या सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम को व्यावहारिक रूप देने के लिए इसमें संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो संशोधन विधेयक के लोक-सभा में कब पेश किये जाने की सम्भावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (घ) भारत सरकार दिल्ली के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे को, जिसमें दिल्ली नगर निगम की

कार्यपालिका कार्य-व्यवस्था भी शामिल है, पुनर्गठित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। जब भावी ढांचे का फैसला कर लिया जायेगा, तब यदि आवश्यक समझा गया तो उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिस में दिल्ली नगर निगम अधिनियम में संशोधन करना भी शामिल है।

**ग्रीष्म कालीन विज्ञान कार्यक्रम**

279. **महाराज कुमार विजय आनन्द :**
**श्री हेडा :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में अमरीकी सहायता से चलाये गये ग्रीष्म कालीन विज्ञान कार्यक्रम का क्या परिणाम निकला ;

(ख) 1965 में इस कार्यक्रम के लिये अमरीका के साथ किये गये करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस कार्य-क्रम से कितने प्राफेसरों तथा अध्यापकों को लाभ होने की आशा है और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होगा--- उस में से मंत्रालय कितना व्यय वहन करेगा और संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य अभिकरणों से प्राप्त होने वाले अनुदानों तथा अन्य सहायता से कितना व्यय वहन किया जायेगा ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) 1964 में चलाई गई ग्रीष्म कालीन विज्ञान संस्थाओं में सारे देश से 640 हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा 658 कालेजों के अध्यापकों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम से, इस में भाग लेने वाले अध्यापकों के सामर्थ्य के अनुसार, वाद विषय को उन्नत करने के मुख्य उद्देश्यों को काफी हद तक प्राप्त किया गया है जिस से स्कूलों और कालेजों में विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।

(ख) समझौते में वर्ष 1965 के लिये 78 ग्रीष्म कालीन संस्थाएं खोलने की व्यवस्था है : 49 उच्च माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिये; 29 कालेजों के प्राध्यापकों के लिये, जिस में एक अध्यापक शिक्षकों के लिये भी है।

(ग) प्रत्येक संस्था में भाग लेने वालों की संख्या को 45 तक सीमित रखा जायेगा और इससे कुल कालेजों के 1400 अध्यापकों तथा माध्यमिक स्कूलों के 2200 अध्यापकों को लाभ होने की संभावना है।

(घ) वैज्ञानिक संस्थाओं के संघटन उनकी वस्तुओं की आवश्यकता सहित कुल 94.40 लाख रुपये का व्यय भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। अमरीका में भाग लेने वाले भारतीयों के लिये अमरीकन परामर्शदाताओं की सेवाओं तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने क लिये अमरीका कुल 85 लाख रुपये अनुदान के रूप में देगा।

## गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेज

280. **महाराज कुमार विजय आनन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री 18 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेजों तथा उससे सम्बद्ध कालेजों में कार्य की दशा और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं पर ध्यान रखने के लिये नियुक्त विशेष जांच समिति के प्रतिवेदन पर अध्ययन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस से क्या परिणाम निकले हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट मैसूर सरकार और सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को भेज दी गई है । रिपोर्ट पर अग्रेत्तर विचार उनकी टिप्पणियों के मिलने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह से किया जायेगा ।

## गोहाटी शोधन-शाला

281. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** :
**श्री रामचन्द्र उलाका** :
**श्री धुलेश्वर मीना** :
**श्री राम सहाय पांडेय** :
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :
**श्री रा० बरुआ** :
**श्री ल० ना० भंजदेव** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 2 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 802 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या गोहाटी शोधन शाला के विस्तार के लिये रूमानिया की सरकार के प्रस्ताव की जांच कर ली गई है ? और

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). इसकी अभी जांच की जा रही है ।

## Foreign Missionaries

282. **Shri Bade :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign missionaries working in India ;

(b) the amount received by them during 1963-64 from a broad and

(c) the number of persons employed in these missions who are not Indians?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi):** (a) The number of registered foreign missionaries in India as on 1-1-1964 was 4,320.

(b) According to the information available, a sum of rupees 1077 lakhs was received during 1963 and a sum of rupees 844 lakhs during the period January-September, 1964.

(c) The information is not available.

## बस्तर के भूतपूर्व नरेश

283. श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या बस्तर के भूत पूर्व महाराज, श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव, ने सरकार से प्रार्थना की है कि बस्तर के मामलों की विस्तृत प्रशासनीय जांच की जानी चाहिये ;

(ख) क्या उन्होंने सरकार को धमकी दी है कि यदि जांच नहीं की गई तो वह संसद् के समक्ष भूख हड़ताल प्रारम्भ कर देंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी):** (क) और (ख). बस्तर से चार व्यक्तियों के, जिनमें श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव एक थे, एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत सरकार को मांगों की एक सूची भेजी थी । उन में से एक मांग यह थी कि बस्तर के मामलों को वहीं पर अध्ययन करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति की जाये। एक धमकी भी दी गई थी कि यदि इन मांगों को नहीं माना गया तो श्री प्रवीण चन्द्र भंजदेव इसके विरोध में उपवास रखेंगे ।

(ग) यह सभी मामले जिनका मांगों में उल्लेख किया गया है, राज्य-सरकार के कार्य-क्षेत्र से सम्बन्धित हैं और भारत सरकार का इन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

## Hindi in Secondary Schools

**284. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various State Governments have informed the Centre regarding the financial difficulties standing in the way of introducing Hindi at the secondary stage ; and

(b) if so, the amount sanctioned by the Centre State-wise in this behalf?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla)** : (a) and (b) Financial assistance is given to the non-Hindi speaking States for the appointment of one Hindi teacher in each Primary, Middle and High/Higher Secondary Schools. Upto 1961-62, the quantum of assistance was 60% of the expenditure on this scheme thereafter it is the entire expenditure.

The State Governments of Madras, Kerala, Mysore, West Bengal, Gujarat and Andhra Pradesh are getting these funds. Three States Maharashtra, Jammu and Kashmir, Punjab (Punjabi Region) are not availing of this financial assistance. During the current financial year, the following amounts have been claimed under this scheme :

| Name of the State | Backlog of the previous years | Estimated expenditure during the current financial year (1964-65) |
|---|---|---|
| Assam | 1,076 | 1,77,240 |
| Gujarat | 2,53,565 | 2,09,050 |
| Kerala | 19,10,631 | 27,41,962 |
| Madras | 18,64,740 | 42,41,280 |
| Mysore | 9,53,159 | 55,58,000 |
| Orissa | 10,555 | 1,35,088 |
| West Bengal | (Minus Rs. 1,88,732 representing the ur-utilised portion of the grants sanctioned in the previous years). | 4,72,320 |

Information from Andhra Pradesh has not yet been received.

## Schools for Tibetan Children

285 **Shri Bade :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have opened schools in the country for Tibetan children :

(b) if so, whether the number of such schools was increased during 1963-64 ;

(c) the number of children who received education during 1963-64 ; and

(d) the number of children studying there during 1964-65 so far and the expenditure being incurred on them by Government ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) Yes, Sir, through grants to Tibetan Schools Society.

(b) Yes, Sir, by one residential, and four day schools.

(c) 4637 (Residential, 2524 ; Others, 2113).

(d) Approximately 5078 ; in October, 1964. (Residential, 3548 ; Others, 1530). Expenditure Rs. 32·5 lakhs. (This includes expenditure on new schools started in 1964-65.)

## दिल्ली में हत्यायें

286. **श्री दलजीत सिंह :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री रामपुरे :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में दिल्ली और नई दिल्ली में कितनी हत्यायें हुईं और क्या उन में पहले से बृद्धि हुई है ;

(ख) इन के क्या कारण थे ; और

(ग) इन बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) 1-8-64 से 31-1-65 की अवधि के दौरान दिल्ली में हत्याओं के 14 सच्चे मामले पुलिस ने दर्ज किये थे और नई दिल्ली में 5 सच्चे मामले दर्ज किये थे। गत वर्ष की इसी अवधि में पुरानी दिल्ली में पुलिस ने 23 सच्चे मामले दर्ज किये थे और नई दिल्ली में छः मामले दर्ज किये थे। अतः गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पिछले छः महीनों में हत्याओं के सच्चे मामलों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) इन हत्याओं के कारण इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| घरेलू झगड़े | 4 |
| पिछली शत्रुता | 4 |
| आकस्मिक कलह | 3 |
| प्रेम लीलायें | 3 |
| विविध और अज्ञात कारण | 5 |

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## अखिल भारतीय वन तथा इंजीनियर सेवायें

287. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय वन सेवा तथा इंजीनियर सेवा के गठन में होने वाले विलम्ब के क्या विशिष्ट कारण हैं ; और

(ख) इन दो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कब तक हो जाने की संभावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). क्योंकि इन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने में राज्य सरकारों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों से सलाह करने, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों का समाधान करते और सब को स्वीकार्य योजना का विकास करने में कुछ देर लगना अनिवार्य है । फिर भी इन सेवाओं का यथासम्भव जल्दी गठन करने के लिये हर एक प्रयत्न किया जा रहा है ।

## सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस्तियां तथा दायित्व घोषित करना

288. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की चल और अचल सम्पत्तियों तथा उन के ऋणों और अन्य दायित्वों के ब्योरों समेत आस्तियों और दायित्वों के सामयिक प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में निश्चित संशोधित नियम क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पहले वाले आचार नियमों में भी प्रायः इसी प्रकार का उपबन्ध है ;

(ग) पहले वाले नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के कितने प्रतिवेदन दिये गये ; और

(घ) नये पुनरीक्षित आचार नियमों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों द्वारा कितने प्रतिवेदन दिये गये ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचार) नियम, 1964 के अन्तर्गत, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी के पदों को धारण करने वालों के अतिरिक्त, किसी सेवा में अथवा किसी पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसी अन्तरावधियों के बाद जैसी कि सरकार निर्धारित करे, अपनी आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण एक ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जिस में--

(1) अचल सम्पत्ति का जो उस को विरसे में मिली हो अथवा जिस पर उस का अधिकार हो अथवा उस द्वारा अर्जित की गई हो अथवा उस के पास पट्टे और बंधक पर हो, चाहे उसके नाम में हो अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो ;

(2) अंश, ऋणपत्र और नकदी का जिस में विरसे में मिले अथवा उसी प्रकार उसके अधिकार में, उस द्वारा अर्जित किये गये अथवा उस द्वारा धृत बैंक निक्षेप में शामिल हैं ;

(3) अन्य अचल सम्पत्ति का जो उस को विरसे में मिली हो अथवा उसी प्रकार उस के अधिकार में हो, उस द्वारा अर्जित की गई हो अथवा उसके पास हो ;

(4) ऋण तथा दायित्व जो उस द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उठाये गये हों; पूरा विवरण होगा ।

(ख) केन्द्रीय असैनिक सेवायें (आचरण) नियम, 1955 के नियम 15 (3) के अधीन पहली तथा दूसरी श्रेणी की सेवा के प्रत्येक सदस्य को सरकारी सेवा की प्रथम नियुक्ति पर और उस के पश्चात प्रत्येक 12 मास की अन्तरावधियों में एक विहित फार्म पर सभी अचल सम्पत्ति का, जिस पर उस का अधिकार हो, उस द्वारा अर्जित की गई हो या विरसे में मिली हो, या उस के पास पट्टे अथवा बंधक पर हो, चाहे उस के अपने नाम पर हो या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर हो या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो, विवरण देना पड़ता है । उस सामयिक विवरण में चल सम्पत्ति, और ऋण और अन्य दायित्वों के बारे में तथ्यों को सम्मिलित करने की व्यवस्था नहीं थी ।

(ग) क्योंकि पहले नियमों के अनुसार प्रत्येक पहली तथा दूसरी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय और उस के पश्चात प्रत्येक वर्ष अपनी अचल सम्पत्ति का एक विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था, अत: जितने पहली तथा दूसरी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी हैं उतने ही पहली रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट दी गई थी ।

(घ) नये आचार नियमों के अन्तर्गत प्रतिवेदन नहीं दिये गये हैं क्योंकि नये आचार नियमों के अन्तर्गत विवरण प्रपत्र का नियतन तथा उनकी सामयिकता सरकार के विचाराधीन है । इस बीच में विवरण पुराने नियमों के अनुसार प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

## सीमित प्रतियोगी परीक्षा

**289. श्री सेज्ञियान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा केन्द्र की प्रथम श्रेणी की सेवाओं में भर्ती के लिये सीमित प्रतियोगी परीक्षा करने सम्बंधी योजना पर विचार किया गया था ;

(ख) इस प्रस्ताव पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय कर लिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)**: (क) भारतीय प्रशासन सेवा भारतीय विदेश सेवा और केन्द्र की प्रथम श्रेणी की अन्य सेवाओं में भर्ती के लिये सीमित प्रतियोगी परीक्षा करने सम्बन्धी योजना पर मुख्य मंत्रियों के किसी सम्मेलन में विचार नहीं किया गया किन्तु, मार्च, 1963 में हुए राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई थी । फिर भी 1964 में गृह-कार्य मंत्री ने इस मामले के बारे में मुख्य मंत्रियों को लिखा है ।

(ख) अधिकांश राज्यों ने इस योजना की स्वीकृति नहीं दी है ।

(ग) अभी इस योजना पर आगे कार्यवाही न करने का निर्णय किया गया है ।

**केन्द्रीय सतर्कता आयोग**

290. **श्री बाल कृष्ण दासनिक :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में सतर्कता आयोग को अब तक प्राप्त मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ख) कितने मामलों को निबटाया गया और क्या परिणाम निकले ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया** । देखिये संख्या एल० टी 3041/65]।

**विश्वविद्यालयों को अनुदान**

291. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में विविध विश्व-विद्यालयों को (विश्वविद्यालय वार) आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिये अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गई है ;

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय को दिये गये ऋण पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस दर पर ब्याज लिया है ;

(ग) क्या कुछ विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा संस्थाओं ने ब्याज के भुगतान से छूट देने के लिये प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इस प्रकार कितनी राशि की छूट दी गई है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग द्वारा तीसरी योजना काल में विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयोग अपने निगमन के अधिनियम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को ऋण देने के लिये सक्षम नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध**

292. **श्री चुनी लाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब लगाया गया था ;

(ग) जब से प्रतिबन्ध लगाया गया है उसके बाद सचिवों, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों के कितने नये पद बनाये गये हैं ; और

(घ) प्रतिबन्ध होने पर नये पद बनाने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) 13 जून, 1963 ।

(ग) सचिव 7 (एक पद अतिरिक्त सचिव के स्थान पर)
विशेष सचिव 1 (19-5-1964 से असतत)
अतिरिक्त सचिव 11 (4 पद संयुक्त सचिवों के स्थानों पर, एक पद प्रसुप्तावस्था में रखा हुआ)

(घ) मोटे तौर से यह कारण हैं :—

(1) नये मंत्रालयों/विभागों का गठन ;
(2) विद्यमान मंत्रालयों/विभागों का पुनर्गठन ;
(3) विद्यमान मंत्रालयों/विभागों में गतिविधियों में विस्तार और उस से कार्य में वृद्धि ।

**क्रिकेट**

293. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्षेत्र में भारत पिछड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**वैज्ञानिक अनुसंधान**

294. **श्री दे० द० पुरी :**
**श्री श्यामलाल सर्राफ :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री कपूर सिंह :**
**श्री प्र० कु० घोष :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सुझाव को विचार करने के बाद मान लिया है कि राष्ट्रीय आय का कम से कम एक प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय किया जाये, और

(ख) अनुसंधान सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)**: (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये नियत की जाने वाली निधि की मात्रा के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक मंत्रणा समिति ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के वेग को बढ़ावा देने के लिये निम्न सिफारिशें की हैं :—

(1) वज्ञानिक अनुसंधान और विकास में लगे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि करनी चाहिये और उनके स्तर में सुधार लाना चाहिये ।

(2) सामग्री, उपकरण और औजार विशेषकर वे जो रक्षा के लिये नये सामान, औजार और हथियार बनाने के लिये अपेक्षित हैं, बिना रोक टोक के दिये जाने चाहियें;

(3) देश के परिवेशी तथा प्राकृतिक साधनों का अच्छी प्रकार से शोषण करने के अध्ययन में तीव्रता लानी चाहिये ;

(4) देश को इस धारणा से दूर रखा जाना चाहिये कि विकास में अनुसंधान एक किस्म का विलास है। इसको यह अनुभव कराना चाहिये कि वर्तमान स्थिति में अनुसंधान और विकास, विशेषकर प्रतिरक्षा के लिये, एक परमावश्यक चीज है ; और

(5) आय व्ययक की सामान्य सीमाओं के अन्दर नये वैज्ञानिक पदों और वैज्ञानिक संस्थाओं के बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये ।

ये सिफारिशें, आवश्यक कार्यवाही करने और इनका अनुपालन करने के लिये विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के ध्यान में लायी गई हैं ।

## Illiteracy

295. **Shri Kishan Patnaik :**
**Shri Indrajit Gupta :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of illiterates in the country has gone up to 33 crores in 1964 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) :** (a) The latest available information on illiteracy relates to 1961 census. According to this, the total number of illiterate persons in the country is 333,709,021 or 33·4 crores in 1961.

(b) The Government are keen to ensure that effective steps should be taken to substantially reduce (if elimination is not feasible) illiteracy. The pace of the programme is, however, largely dependent on enthusiastic participation of the people and voluntary efforts. Where these have been available good results have been achieved. Government is encouraging and supporting these efforts.

## भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति

296. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962--64 वर्षों में भारतीय प्रशासन सेवा के लिए अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्तियों को चुना गया ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को ऐसी परीक्षा के लिए सरकारी व्यय पर शिक्षा दी गई ; और

(ग) इस सेवा में समस्त पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारतीय प्रशासन सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। 1961, 1962 और 1963 में ली गई संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 1962, 1963 और 1964 में भारतीय प्रशासन सेवा के लिये नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः इस प्रकार हैं :—

| परीक्षा का वर्ष | नियुक्ति का वर्ष | नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या | नियुक्त किये गये अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1961 | 1962 | 22 | 4 |
| 1962 | 1963 | 11 | 4 |
| 1963 | 1964 | 14 | 5 |

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इन तीनों वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित कोटे के रिक्त स्थानों को सम्बद्ध वर्गों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके भर लिया गया था ।

### काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसी गिरोह

297. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में हाल ही में एक पाकिस्तानी जासूस गिरोह पकड़ा गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जासूसी गिरोह को समाप्त करने के लिए अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) जम्मू तथा काश्मीर पुलिस ने राज्य में विस्फोटों के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1964 में मेधर क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और दिसम्बर, 1964 में जम्मू क्षेत्र से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पक्का सन्देह किया जाता है कि इन व्यक्तियों का सम्बन्ध जम्मू तथा काश्मीर में पाकिस्तानी जासूसी गिरोह से है ।

### Scientific Pool

**298. Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of Indian experts and scientists studying abroad whose applications for scientific pool were received during 1963-64 and in 1964-65 so far ;

(b) whether some persons out of those came here for interview and if so, the number thereof and the number of those selected ; and

(c) the name of the place where interview was taken ?

**The Minister of Education (Shri M.C. Chagla) :** (a) Indian Scientists studying or under training abroad are not required to apply for placement in the Scientists' Pool. They are registered in the National Register which is maintained for the purpose. Between 1-1-1963 and 1-2-65, 2510 cases of persons with recent foreign training were considered for selection to Scientists' Pool.

(b) 383 persons, who reported return to India, were called for interview. Of these, 283 actually appeared and 199 were selected.

(c) The Union Public Service Commission, New Delhi.

## "फैक्ट" में विस्फोट

299. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जनवरी, 1965 को "फैक्ट" के तेल गैस निर्माण कारखाने में हुए विस्फोट के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले और कितनी क्षति हुई ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) और (ख) 14 जनवरी, 1964 को कारखाने में न कोई विस्फोट हुआ था और न ही आग लगी थी। तथापि स्थान-सीमित संक्षारण के कारण एक पाइप में एक छोटा विदार हो गया था। वैभागिक जांच की गई थी जिस से पता चला कि यह केवल एक दुर्घटना थी। केवल 500 रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है।

## कोयाली तेल शोधक कारखाना

300. **श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयाली तेल शोधक कारखाने के प्रथम चरण का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चालू हो जायेगा ; और

(ग) क्या रूस के साथ किये गये समझौते के अनुसार उपकरण, सामग्री और विशेषज्ञ आने आरम्भ हो गये हैं ?

**पैट्रोलियस और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) अगस्त, 1965 तक ।

(ग) जी, समझौते के अनुसार।

## खनन इंजीनियरिंग संस्था में हड़ताल

302. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या 61 के 18 नवम्बर, 1964 को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग शिक्षा के संयुक्त बोर्ड ने खनन इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान के विद्यार्थियों की हड़ताल के कारणों की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी सिफारिशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) और (ख). संयुक्त बोर्ड ने खनन इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को उन के शिक्षण के पूरा होने पर सेवा नियोजन के प्रश्न की छानबीन की है। बोर्ड की सुसंगत सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

### विवरण

### संयुक्त बोर्ड द्वारा अपनी 15-12-64 की बैठक में, खनन इंजीनियरिंग शिक्षा और प्रशिक्षण के सम्बन्ध में, की गई सिफारिशें

1. अर्हतावान सेविवर्ग की खानों में सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्तियों के लिए परिनियत व्यवस्था करने के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिये।

2. खनन इंजीनियरिंग स्नातकों को कोयला खान इंजीनियर के रूप में नियुक्त करने के पात्र बनाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्ष की अवधि का एक नवीकरण पाठ्य-क्रम आरम्भ करना चाहिये। इस पाठ्य-क्रम के दौरान स्नातकों को वही वृत्तिका दी जानी चाहिये जो सरकारी योजना के अन्तर्गत व्यवहारिक प्रशिक्षण वृतिका ग्राहियों को दी जाती हैं ।

3. भारतीय खान विभाग और खानों के मुख्य परीक्षणालय को अपने रिक्त पदों को भरने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

4. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को प्रत्येक वर्ष लगभग 10 खनन स्नातकों को अनुसन्धान अधिछात्रवृत्तियों की पेशकश करनी चाहिये ।

5. जहां कहीं सम्भव हो, खनन पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों को, यदि वे चाहें, तो अन्य पाठ्यक्रम में जाने के लिए आज्ञा दी जाये ।

6. चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विकास कार्यक्रम के लिए खनन इंजीनियरों की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिये। खनन इंजीनियरिंग प्रतिष्ठानों की प्रशिक्षण क्षमता का इन आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिये।

**साम्यवादी नजरबन्दी**

303. **श्री नम्बियार :**
**श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को हिदायतें भेज दी हैं कि हाल ही में उनके आदेश पर भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये साम्यवादियों को किस प्रकार तथा किन परिस्थितियों में रखा जाये ;

(ख) क्या उनके साथ हवालात, पत्र लिखने, मिलने आदि के मामले में कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का यह आदेश है कि किसी नजरबन्द व्यक्ति को उसके निकट सम्बन्धी की गम्भीर बीमारी अथवा मृत्यु के मामले में भी "पैरोल" पर रिहा न किया जाये ;

(घ) क्या नजरबन्दी की ऐसी शर्तों के बारे में कोई समान नियम जारी किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या वे सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) :** ये नजरबन्दियां प्रत्येक मामले की जांच पर राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों के अधीनकी गई है और केन्द्रीय सरकारी आदेश का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन की नज़रबन्दी की शर्तों के बारे में हिदायतें जारी करना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि भारत प्रतिरक्षा नियमों के नियम 30 (4) के अन्तर्गत राज्य सरकारें नज़रबन्दी की शर्तों को नियत कर सकती हैं। तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार नज़रबन्द व्यक्तियों को हवालात, पत्र लिखने और मिलने सम्बन्धी मामलों में पर्याप्त सुविधायें दी जाती हैं। सम्बन्धित नज़रबन्द व्यक्ति इस बारे में किन्हीं शिकायतों का मामला राज्य सरकारों के साथ उठा सकता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

**माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग**

304. **श्री मान सिंह पृ० पटेल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के लिए एक अनुदान आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) और (ख) प्रश्न के कानूनी पहलू पर विचार करने पर यह पाया गया है कि संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी संविहित आयोग को स्थापित करने का अधिकार नहीं है।

### संस्कृत, अरबी तथा पाली का अध्ययन

305. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964–65 में (एक) संस्कृत, (दो) अरबी, (तीन) फारसी तथा (चार) पाली की शिक्षा की उन्नति के लिये कितनी राशि व्यय की गई ?

**शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन)**: जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### जासूसों की गिरफ्तारी

306. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 में कुल कितने जासूसों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) वे जासूस किन देशों की ओर से कार्य कर रहे थे ; और

(ग) उन जासूसों की नागरिकता-वार अलग अलग संख्या क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). यह जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा ?

### केरल के स्कूलों के अध्यापक

309. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति के प्रशासन के दौरान केरल सरकार ने स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) इससे अध्यापक किस सीमा तक संतुष्ट हैं ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### Scholarship for studies abroad

310. **Shri Hem Raj :** Will the Minister of **Education** be pleased to State :

(a) the nature of foreign scholarships available to Indian youths for technical higher education ; and

(b) their monthly amounts, the names of countries and the subjects for which they are available and the conditions governing their award ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) and (b) ?Information is contained in the publication entitled "Scholarships for Study Abroad and at Home—Fourth Revised Edition 1964", copies of which are available in the Parliament Library.

## Archaeological Excavations in Kali Banga

311. **Shri P. L. Barupal :**
**Shri Surya Prashad :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the excavation of old remains at village Kali Banga in District Shri Ganganagar of Rajasthan State ; and

(b) the total expenditure likely to be incurred thereon ?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) :** (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

## कछार में भारतीय चाय संस्था की योजना

312. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कछार में भारतीय चाय संस्था की योजना की असफलता पर विचार करने के लिए संगठित जांच समिति ने क्या अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन देने में कितना समय लगेगा ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) समिति की बैठकें 31 जनवरी, पहली और दूसरी फरवरी, 1965 को हुई थीं। रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी क्योंकि कुछ और साक्षियों की जांच करनी है । आशा है कि रिपोर्ट अप्रैल, 1965 तक मिल जायेगी ।

## नामरूप उर्वरक कारखाना

313. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस निकलने से उत्पन्न बाधाओं को ध्यान में रखते हुए नामरूप उर्वरक कारखाना किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नया स्थान चुन लिया गया है और निर्माण के बारे में कुछ प्रगति हुई है; और

(ग) इस स्थानान्तरण पर कितना अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक नया स्थान जो पुराने से अधिक दूरी पर नहीं है, चुना गया है। मिट्टी का परीक्षण, जिससे पता चला है कि कारखाने के लिए यह स्थान उपयुक्त है, पूरा होने पर स्थान को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा। इस स्थान पर अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ग) अभी यह निश्चय नहीं किया गया है कि नये स्थान पर स्थानान्तरण में क्या कोई अथवा कितना अतिरिक्त खर्चा अन्तर्गस्त है।

**केरल में विद्यालयों के अध्यापक**

314. **श्री हे० वी० कौजलगी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों ने 11 जनवरी, 1965 को एक दिवसीय 'काम रोको' हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल के क्या कारण थे ;

(ग) कितने अध्यापकों ने इसमें भाग लिया; और

(घ) क्या सरकार उनके विरुद्ध अनुशासनीय कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)**: (क) से (घ). जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**रिफायनरी गैस**

315. **श्री प्रभात कार :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री दाजी :**
**श्री वारियर :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में गैर-सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा छाप (ब्राण्ड) के नामों के अन्तर्गत बेची गई तरलित रिफायनरी गैस की लागत के ढांचे की जांच कर ली है ;

(ख) भारत में बेची गई तरलित रिफायनरी गैस के उत्पादन की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकारी तेल शोधन कारखानों का रिफायनरी गैस बेचने के क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई विचार है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) खेद है कि यह जानकारी, भारत प्रतिरक्षा नियमों द्वारा लागू निर्बन्धनों को दृष्टि में रखते हुए, नहीं दी जा सकती है।

(ग) जी, हां। यह प्रस्ताव है कि बरौनी रिफायनरी से मिलने वाली तरल पैट्रोलियम गैस को इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई की विपणन डिवीजन बोतलों में भरे और बेचे।

## विदेशी भाषाओं की संस्थायें

316. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रूसी भाषा के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिये संस्थाएं स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## बुनियादी शिक्षा सप्ताह

317. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** :
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 20 जनवरी, 1965 को एक बुनियादी शिक्षा सप्ताह मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सप्ताह की मुख्य बातें क्या थीं ; और

(ग) चालू योजना के पहले तीन वर्षों में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में अनुमानत: क्या प्रगति हुई है और योजना की शेष अवधि में बुनियादी शिक्षा की उन्नति का कार्यक्रम क्या है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला )** : (क) जी, हां ।

(ख) (1) स्कूलों में प्रदर्शनी-संघटन; (2) वाद-विवाद, प्रपठन, व्याख्यान और अध्ययन; (3) खेल और मेच; (4) सफ़ाई आन्दोलन; (5) माता पिता और अध्याप़कों के बीच बैठकें; और (6) रेडियो प्रसारण ।

(ग) देश में वर्ष 1960–61 में बुनियादी स्कूलों की संख्या 80,218 से बढ़ कर 1961–62 में 89,482 हो गई है । इन स्कूलों में प्रवेश करने वाले बच्चों की 1960–61 में संख्या 97,21,432 से बढ़ कर 1961–62 में 1,12,61,491 हो गई है । इसी प्रकार बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या इस अवधि में 1,078 से बढ़ कर 1,115 हो गई है (वर्ष 1962–63 और इस से आगे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ) ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में, लगभग 57,760 स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में रूपान्तरित करना; शेष स्कूलों को बुनियादी नमूने पर चलाना; सभी प्रशिक्षण संस्थाओं को बुनियादी तरीकों के अनुसार चलाना; नागर क्षेत्रों में बुनियादी स्कूलों को स्थापित करना और बुनियादी शिक्षा का प्रत्येक स्थानीय समुदाय की विकास गतिविधियों से सम्पर्क जोड़ना, समविष्ट है ।

## गुजरात में गैस का मूल्य

318. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में गैस के मूल्य के निर्धारण का प्रश्न मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंप दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि अभी मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी कार्यवाही हो रही है ।

(ग) अभी पूर्वानुमान लगाना कठिन है ।

## पुनर्वास उद्योग निगम

319. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा विभिन्न उद्योगों को दिये गये ऋण की 31 जनवरी, 1965 को कितनी धनराशि बकाया थी ?

**पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी)** : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया --देखिए संख्या एल० टी० संख्या 3842/65]** ।

## उड़ीसा के विद्यालयों और महाविद्यालयों में सभा भवन

320. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में 1964-65 के दौरान सभा भवनों के निर्माण के लिए केन्द्र ने कितनी राशि मंजूर की है ;

(ख) इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस राज्य को 1965-66 में कथित कार्य के लिए कितनी राशि दी जायेगी ?

**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) 20,000 रुपये ।

(ख) (1) गोपबन्धु हाई स्कूल, बेगुनिया . 10,000 रुपये

(2) सालिपुर हाई स्कूल, सालिपुर . . 10,000 रुपये

(ग) उड़ीसा के लिए स्वीकृत पांच परियोजनाओं (जिनमें उपरोक्त दो परियोजना भी शामिल हैं) को 51,399 रुपयों का किस्तों में भुगतान करना बाकी है। इस का भुगतान निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर किया जायेगा।

## स्त्रियों के लिए पॉलीटेक्निकस

321. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्त्रियों के लिए विद्यमान पांलीटेक्निक्स की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) 1965-66 के दौरान खोले जाने वाले ऐसे पांलीटेक्निक्स की राज्यवार संख्या क्या होगी ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :**

(क)

| | |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 2 |
| आसाम | 1 |
| दिल्ली | 1 |
| गुजरात | 1 |
| केरल | 3 |
| मद्रास | 3 |
| मध्य प्रदेश | 1 |
| मैसूर | 2 |
| पंजाब | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 1 |
| पश्चिमी बंगाल | 1 |
| कुल | 17 |

(ख) 1965-66 में स्त्रियों के लिये एक गुजरात और एक बिहार में पांलीटेक्निक खोलने का विचार है।

**उड़ीसा उच्च-न्यायालय**

322. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में उड़ीसा उच्चन्यायालय, कटक में कितनी लेख्य याचिकायें दायर की गई; और

(ख) इनमें से कितनों पर निर्णय किया जा चुका है और कितनी निर्णय के लिये पड़ी है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी ) :** (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**उड़ीसा में पेट्रोलियम की खपत**

323. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा में पैट्रोलियम और पैट्रोलियम के उत्पादों की कुल कितनी खपत हुई; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) यह अनुमान लगाया गया है कि 1964–65 के दौरान उड़ीसा मैं पैट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत लगभग 1·9 लाख मीट्रिक टन होगी ।

(ख) खेद है कि भारत प्रतिरक्षा नियमों द्वारा लगाये गये निर्बन्धनों को दृष्टि में रखते हुए यह ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है ।

**उड़ीसा में जूनियर तकनीकी विद्यालय**

324. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में जूनियर तकनीकी विद्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) उड़ीसा में 1965–66 में कितने ऐसे विद्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) वे किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला ) :** (क) दो ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## गैर सरकारी क्षेत्र से मांगे गये अधिकारी

**325. श्री रामपुरे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात्काल की घोषणा के बाद केन्द्र सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र से कितने पदाधिकारी काम करने के लिए बुलाये हैं ;

(ख) इनमें से कितने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा द्वारा नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) कितने गैर-सरकारी क्षेत्र को वापस भेजे गये हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी ) :** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## केरल में विभागीय विद्यालय

**327. श्री अ० व० राघवन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1965–66 के दौरान और विभागीय या सहायता प्राप्त विद्यालयों को मंजूरी नहीं देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो दो लाख से अधिक नये प्रवेशार्थियों को स्थान देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) वर्तमान विद्यालयों में अतिरिक्त खंड खोलने से कहां तक समस्या हल हो सकेगी ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला ) :** (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## दिल्ली के कालिजों में प्रवेश

**328. { श्री रा० बरुआ :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्यार्थी कांग्रेस ने 30 जनवरी, 1965 को हुई अपनी बैठक में अनुरोध किया है कि बी० ए० की कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिये हायर सेकेन्डरी परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को वापिस लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला ) :** (क) सरकार को इस बारे में दिल्ली विद्यार्थी कांग्रेस से अभी तक कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## पांडिचेरी में तेल की खोज

329. **श्री रा० बरुआ :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी क्षेत्र में तेल पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

**पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर ) :** (क) और (ख). कारेक्कल के निकट पहले कुएं के खोदने से हाड्रोकार्बन्स के कुछ संकेत मिले हैं। कुएं को 1700 मीटर तक खोदा गया था और गैस तथा तेल के चिह्न मिले हैं। यह जानने के लिये कि क्या वहां पर्याप्त भंडार हैं और अधिक कुएं खोदना आवश्यक है ?

## तीन भाषाओं का फार्मूला

330. **श्री रा० बरुआ :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को, विशेषकर अहिन्दी भाषी राज्यों को तीन भाषाओं के फार्मूले को क्रियान्वित करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

**शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला ) :** (क) सभी राज्य सरकारों को फार्मूले को क्रियान्वित करने के लिये कहा गया है ।

(ख) इस कार्य के लिये कोई अलग राशि मंजूर नहीं की गई है ।

## भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत केरल में नजरबन्द व्यक्ति

331. **श्री कोल्ला बैंकैया :**
**श्री नम्बियार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने अपने नामनिर्देशन पत्र भेज दिये हैं तथा 4 मार्च, 1965 को केरल में होने वाले विधान सभा के चुनावों के लिये उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं ;

(ख) क्या उनकी रिहाई के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ताकि वे चुनाव के लिये प्रचार कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी ) :** (क) 41 ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कोई नहीं ।

**दिल्ली में 'शाटगन' के कारतूसों की कमी**

**332. श्री महेश्वर नायक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में देश में बने 'शाटगन' के कारतूसों की **भारी** कमी है और जिन दूकानों पर कारतूस थोड़ी संख्या में हैं उन्हें निर्धारित मूल्य से दुगने मूल्य पर बेच रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । परन्तु ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कारतूस निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के आयुद्ध कारखाने देश की प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक अधिक महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं।

(ग) आयुद्ध कारखानों की क्षमता को बढ़ाने का विचार है ।

## गोआ के बारे में

*RE* : GOA

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, the point of order that I raise is in regard to the merger of Goa with Maharashtra and Daman and Diu with . . . . (*Interruptions*)
Let me read out all the rules etc. and then you give your ruling.

**Mr. Speaker :** The hon. Member may resume his seat. I have several times repeated that no point of order can be raised in regard to an item which is not before the House.

After the Question Hour was over, we wanted to conduct other business and he raised a different issue. Any Member who soever wishes to raise a point which is not related to the business before the House should address a letter to me in advance to that effect, and when I give him an opportunity for it, only then he can raise it. The hon. Member cannot raise any question or point in regard to rules etc. at his own whim. A matter which is not within my knowledge cannot be allowed to be raised on the floor of the House. The hon. Member should, therefore, write to me giving information of the subject matter that he wants to raise about. I will fix the time and then give him an opportunity to raise the matter.

———

## प्रश्न काल के विनियमन के बारे में

## *RE*: REGULATION OF QUESTION HOUR

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : व्यवस्था के प्रश्न, प्रश्न-काल के दौरान उठाये जाने पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाते हैं, अतः मेरा अनुरोध है कि आप इस बारे में एक बैठक बुलायें ताकि ऐसे प्रश्नों को कम किया जा सके।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सुझाव का स्वागत करूंगा। मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं।

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मैं प्रो० मुकर्जी के सुझाव का समर्थन करता हूं। क्योंकि प्रश्न काल में व्यवस्था के प्रश्नों पर कुछ रोक लगायी जानी चाहिए।

**श्री शिंकरे** (मरमागोआ) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में गत सत्र में प्रश्न काल के लिए लगभग 20 प्रश्नों की सूची होती थी किन्तु इस सत्र में शुरु से ही 30 प्रश्न सूची में रखे जा रहे हैं और केवल 6 या 7 प्रश्नों का ही उत्तर दिया जाता है। अतः क्या आप संसद् कार्य मंत्री को आगे प्रश्नों की संख्या कम करने के बारे में निदेश देंगे...

**कई माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

---

## निधन सम्बन्धी उल्लेख

## OBITUARY REFERENCE

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस सदन को श्री शंकरराव खण्डेराव दिगे, जिनका निधन 18 फरवरी, 1965 को कोल्हापुर में हुआ, के बारे में सूचित करना है। वह 1957—62 की अवधि में दूसरी लोक-सभा के सदस्य थे।

सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिये थोड़ी देर तक मौन खड़े हो जायें।

**इसके बाद सदस्यगण सम्मान में थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे।**

**The Members then stood in silence for a short while.**

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### दक्षिण-पूर्व रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों का हटाया जाना

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर): मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"दक्षिण-पूर्व रेलवे में खड़गपुर, कोलाघाट और दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में नैमित्तिक और अस्थायी रेलवे मजदूरों का नौकरी से हटाया जाना।"

**रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : दक्षिण पूर्व रेलवे में निर्माण के कुछ काम कम कर दिये गये जिसकी वगह से कुछ नैमित्तिक मजदूर फालतू हो गये। ऐसी स्थिति में फालतू मजदूरों को काम से हटा देना अनिवार्य हो गया। चूंकि नैमित्तिक मजदूर केवल ऐसे काम पर लगाये जाते हैं जो बिल्कुल नैमित्तिक किस्म के होते हैं और जिनका रेलों के अनरक्षण और परिचालन-कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता, इसलिए इस तरह के मजदूरों को अनिश्चित काल तक नौकरी में रखना सम्भव नहीं है। फिर भी, जब कभी कोई ऐसा काम हाथ में लिया जायेगा जिसमें इन हटाये गये मजदूरों को रखने की जरूरत पड़ेगी, तो इन्हें फिर काम पर लगाने की कोशिश की जायेगी।

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेलवे अधिकारियों ने इन हटाये गये मजदूरों को फिर काम पर लगाने के बारे में और जब कभी कोई नया काम हाथ में लेने का अवसर आता है तो उसके बारे में उन्हें सूचित करने की कोई व्यवस्था की है ?

**डा० राम सुभग सिंह** : जब कभी कोई निर्माण कार्य हाथ में लिया जाता है तो स्थानीय मजदूर काम पर लगाये जाते हैं। प्रत्येक मजदूर को लिखित रूप में सूचित करना सम्भव नहीं है। और न ऐसी प्रथा ही है। अतः उन्हें स्वयं ही मालूम करना चाहिये कि कहां पर काम चालू होने वाला है।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

*(एक) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची 3 में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 28 नवम्बर, 1964 की जी०एस०आर० 1660।
**[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3610/64।]**

(दो) भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954, की अनुसूची 3 में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1716।

(तीन) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1718 में प्रकाशित भारतीय प्रशासन सेवा (पदाली) संशोधन नियम, 1964।

(चार) दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1719 में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (पदाली) संशोधन नियम, 1964।
**[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—3707/64।]**

---

*यह अधिसूचना पहले 14 दिसम्बर, 1964 को टेबल पर रखी गई थी और प्रक्रिया नियमों के नियम 234(2) के अन्तर्गत पुनः सभा पटल पर रखी गई।

केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 10 सितम्बर 1964 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत केरल लोक सेवा आयोग (परामर्श) वियिनम, 1957 में कुछ संशोधन करने वाली, दिनांक 1 सितम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित, अधिसुचना संख्या जी० ओ० एम० एस० 430 की एक प्रति, उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3585/64।]**

केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 10 सितम्बर, 1964 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगरपालिका अधिनियम, 1960, की धारा 345 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 8 दिसम्बर, 1964 के केरल राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 392/64, जिस में केरल नगरपालिका पुस्तकालयों तथा वाचनालयों को सहायक अनुदानों का भुगतान) नियम, 1964 दर्ज है, की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3834/65।]**

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 30 जनवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 162 में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। दखिए संख्या 3801/65।]**

---

## विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता के प्रन्यासियों की कार्यपालिका समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

## Annual Report of Executive Committee of Trustees of the Victoria Memorial, Calcutta

**शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं कलकत्ता स्थित विक्टोरिया स्मारक के प्रन्यासियों की कार्यपालिका समिति की 31 मार्च, 1963 को समाप्त हुए वर्ष की (वार्षिक प्रतिवेदन) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3802/65।]**

---

## गैर सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

## Committee on Private Members' Bills and Resolutions Fifty-sixth Report

### छप्पनवां प्रतिवेदन

**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का छप्पनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

# २२ फरवरी १९६५ को उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के बारे में

*RE* : POINT OF ORDER RAISED ON 22-2-65

**अध्यक्ष महोदय :** मैं ने हाल ही में कहा था कि मैं उस व्यवस्था के प्रश्न पर विनिश्चिय दूंगा जो कि मेरे विचाराधीन है । किन्तु मुझे कुछ विदेशी शिष्टमण्डलों तथा अन्य लोगो से मिलना था इसलिये मुझे उसका अध्ययन करने का अवकाश नहीं मिला । मैं परसों प्रश्नकाल के बाद उसकी घोषणा करूंगा ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : किन्तु जिस अवसर पर उस विशेष प्रतिवेदन का निर्देश, इस सभा के तथा जनता के लाभ के लिए किया गया है, वह अवसर निकल जायेगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं । हमें आगे आय-व्ययक तथा अन्य कई विषयों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा जिन में उन सभी प्रश्नों पर जो कि सदस्यों के दिमाग में हैं, आलोचना, चर्चा अथवा विचार करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा ।

**Shri Madhu Limaye :** Sir, a rediculous situation has arisen in the House. References are being made by the Members in their speeches to the C.B.I. Report when the Deputy Speaker is in the Chair. My submission is that you may kindly take an early decision as to whether the said report can be laid on the Table or you may ask the Government to place the Report along with other relevent papers on the Table of the House.

**Mr. Speaker:** I cannot stop any hon. Member referring to that Report. So far as my ruling is concerned, I have already informed the House about it.

**श्री हरि विष्णु कामत** ( होशंगाबाद ) : एक स्पष्टीकरण का प्रश्न है । क्या कोई मंत्री सरकार की ओर से आज या कल, आपके विनिश्चय से पूर्व, कोई वक्तव्य देगा ?

**अध्यक्ष महोदय :** अवश्य । मैं गृह-कार्य मंत्री जी से कहूंगा ; किन्तु विधि मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री, जो भी चाहें, सरकार की ओर से वक्तव्य दे सकते हैं ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** आज या कल ?

**अध्यक्ष महोदय :** कल । मैं परसों अपना विनिश्चय देने से पूर्व, मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कहूंगा ताकि एक ही अवसर पर चर्चा हो सके । यही मैं विचार कर रहा था ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** अध्यक्ष महोदय , आपका शुक्रवार को दिया जाने वाला महत्व-पूर्ण विनिश्चय केवल केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग के प्रतिवेदन पर ही नहीं अपितु मंत्रि-मण्डल ( केबीनट) उप-समिति के निष्कर्षों को बताने वाले दस्तावेजों पर भी होगा । उस दिन दोनों को सदन के समक्ष लाया गया था ।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्रिमंडल उप-समिति ?

**श्री हरि विष्णु कामत :** जी, हां । मंत्रि मण्डल उपसमिति के निष्कर्ष । मैंने उससे भी निष्कर्ष पढ़े हैं ।

**श्री बड़े** (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, आपका विनिश्चय बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसका उद्धरण विभिन्न विधान सभाओं में दिया जायेगा । मुझे आशा है, कि आप, अपना विनिश्चय देने से पूर्व, हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सम्बन्ध में बहुत कुछ सुन चुका हूं । और इसके बारे में काफी चर्चा हो गयी है, । अब मैं और अधिक अवसर नहीं दे सकता । वह इस बारे में मुझ से मिल भी चुके हैं । मैंने उन से अनुरोध किया है कि वह मेरे पास पुस्तकें भेज दें किन्तु उन्होंने अभी तक भेजी नहीं ।

**श्री बड़े** : मैं आज भेजूंगा ।

**Shri Bagri** (H ssar) : Sir, you have not so far delivered your decision. This is also a decision that we should await your decision. You have imposed a restriction. It also appears to be partiality when you exercise a check till you announce your decision. I, therefore, request that this decision may be withheld and the Deputy Speaker's ruling may be allowed to be enforced.

**Mr. Speaker:** This point was raised and I had given my opinion thereon. Now there are a few hon. Members in this Parliament who deem it proper that I should be criticised. Just now it has been said that it was a matter of partiality and a restriction imposed.....

**Shri Bagri :** I said it also appears to be partiality.

**Mr. Speaker :** Now I can say that if I have done something wrong, the House has a remedy for that and it can kick me out any moment that it likes. The other day it was said that I should withdraw my words as I had used the word 'theft'. This is unprecedented in the history of Parliaments. I am not being given an opportunity even to explain the words that I used, and,on the other hand, it is demanded that I should withdraw my own words.

**श्री दीनेन भट्टाचार्य** ( सेरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का अवसर दिया जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : वह मुझे लिखकर दे दें । मैं उस पर विचार करूंगा ।

---

## राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव
## MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

**अध्यक्ष महोदय** : सदन अब निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा जिसे 19 फरवरी, 1965 को श्री हरिश्चन्द्र हेडा ने प्रस्तुत किया तथा महाराजकुमार विजय आनन्द ने जिसका अनुमोदन किया :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उन के अत्यन्त आभारी हैं' ।"

**श्रीमती अकम्मा देवी** (नीलगिरि): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी ने जो आश्वासन अहिन्दी-भाषी राज्यों के लोगों को दिया था उसे कानूनी रूप दिया जाये। जिससे उन के डर और शंका आदि दूर हो जावें।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]**

**[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]**

द्रविड़ नेता श्री मनोहरन ने काम रोको प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा है कि दक्षिण में जो उपद्रव हुए उनका मुख्य कारण यह है कि मुख्य मंत्री ने विद्यार्थियों से भेंट करने से इन्कार कर दिया था। यह सब असत्य है। सत्य यह है कि मुख्य मंत्री उस समय सचिवालय में ही नहीं थे। वह श्री नन्दा जी के स्वागत के लिये हवाई अड्डे पर गये थे। वहां के उद्योग मंत्री श्री वैन्कटारामन को जब विद्यार्थियों के आने का पता लगा तो वह तुरन्त वहां आये और उन से भेंट की और यह भी उन्हें बताया कि मुख्य मंत्री कहां गए हुए थे।

श्री मनोहरन ने मद्रास के मुख्य मंत्री के प्रति बहुत ही बुरे शब्दों का प्रयोग किया है और उन्हें हठी तथा खून का प्यासा तक कहा है। ऐसे असभ्य शब्द इस सदन में उनके प्रति यहां प्रयोग नहीं करने चाहियें। मैं तो कहूंगी कि वहां के मुख्य मंत्री ने बड़ी साहस से उस स्थिति पर काबू पाया और शांति स्थापित की और हम इस कार्य के कारण उनके आभारी हैं।

ऐसे ही श्री मनोहरन ने कांग्रेस को गुंडों का दल बताया है। मुझे इस सदन से एक सदस्य से इस प्रकार के शब्द सुनकर बहुत शर्म प्रतीत होती है। कांग्रेस जैसी शांतिप्रिय संस्था को ऐसा कहना ठीक नहीं है। यह विशेषण तो उनके दल के प्रति ही ठीक बैठते हैं।

अब मैं नौकरियों में कोटा प्रणाली के बारे में कहूंगी। यदि ऐसा किया गया तो प्रशासन में कार्यकुशलता समाप्त हो जावेगी। इसलिए नौकरियों में तो योग्यता ही को प्राथमिकता देनी चाहिये।

इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी अंग्रेजी भाषा का ही तब तक प्रयोग होते रहना चाहिये जब तक कि हमारे देश की अन्य सारी भाषायें पूरी तरह से विकसित होती हैं। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

**Dr. Govind Das** (Jabalpur) **:** Mr. Deputy Speaker, Sir, I have tried to study at a glance the speeches made by Members on the President's Address. Most of the Members are speaking on the most controversial issue namely, the language issue.

The Members inside this House as well as the people outside are already aware about my views on this issue. Even at the time of discussion on this issue in the Constituent Assembly, I made it clear that if we want the unity of this nation, we should have one language as its national language and only Hindi is fit to play that role. If a language which is spoken by 42 per cent people and understood by a still large number of people cannot be made as the national and official language of this country, then which other language can be selected for that purpose. At the same time that I am all for the development of those languages which have been mentioned as the national languages in our Constitution. Neither Hindi nor those languages can prosper if English continues here.

The greatest mistake which we made in this connection was to give a period of 15 years in the Constitution for change over from English to Hindi. Respected Tandon ji was against it and held the view that the more period

[Dr. Govind Das]

we give for this work, the more troubles we are creating to solve this problem and now we find that he was right. In 1963 we passed a law according to which English was to continue in this country for an indefinite period even after 26th January, 1965. You know that I was the only Congress member who voted against that Bill in spite of the direction of the Whip because I considered that measure as anti-national and I still hold that it was a great blunder in passing that.

Now, there are disturbances over it in Madras and at other places. If there is any aggrieved party, it is the Hindi-speaking people and not those in Madras and Bengal. The Prime Minister at the time of the passage of Bill in 1963 had stated that Hindi will be the first language of this country and English will be an associate language. Has it been done like that ? Has Hindi become the first language after 26th January, 1965 ?

We should have introduced Hindi even in 1963 and given it the status of first language. But I find that even after 26th January, 1965, wherever Hindi is being used it is being used not as a first language but as a second language. The Bill passed in 1963 on this issue was unconstitutional. So, if there was any ground for complaint, it was for the people of Hindi-speaking State and not otherwise. Since we believe in non-violence we are against the use of violence to solve this problem.

I have some complaint against the Prime Minister that he did not show the stiffness, which he should have, when there were riots in Madras. I do not think that there was any reason to call a conference of State Chief Ministers over this issue, which he called. Nor was there any necessity to call a conference of Congress Executive Committee. This was an indication of weakness. This has emboldened those who took part in riots over this. Similar effect was created by the resignation of two Central Ministers over it. By not accepting these resignations, the Prime Minister showed weakness. Even the Chief Ministers should not have taken any decision on it.

I must say that the late Prime Minister was against the amendment of Constitution over it, otherwise he would have brought a Constitutional Amendment Bill even in 1963. I must say that if any Bill is brought forward to change that Bill on the subject, I will oppose it in the same way as I did so in 1963, although I may be alone in doing so. I believe that unity of this country is linked with Hindi language. Man is the wisest creature among the living beings and wisdom can be expressed through words. Therefore next to independence, I gave greatest importance to the question of language. Hence, I will oppose any amendment in the Bill of 1963 and I hope such an amendment will not be passed by this House. Therefore, to act according to the advice of the Chief Ministers or to what the Congress Party Executive Committee say , will create a bad precedent for this country which can have serious repercussion in future. Therefore, I request you and the President of India through you not to let develop a situation which may show weakness of the Government or which may be against the unity and security of this country.

**श्री दाजी** (इन्दौर) : राष्ट्रपति के अभिभाषण ने हमारे सामने यह प्रश्न प्रस्तुत कर दिया है कि हम पिछले 8 महीनों का जाइज़ा लें और देखें कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री के चले जाने के बाद हमने क्या किया । यदि इन घटनाओं को दो वाक्यों में कहा जावे तो मैं कहूंगा कि इस से एक ढिलमिल विदेश नीति तथा प्रभावहीन गृह-नीति दिखाई देती है ।

वैसे तो अभिभाषण ने हमारे सामने एक खुशहाल तथा समाजवादी समाज के विकास की बात कही है परन्तु पिछले 8 महीनों में जो कुंछ हुआ उस से तो एक छोटी सी झलक भी यह संकेत नहीं करती कि हम उस ओर चल रहे हैं ।

अब मैं भाषा के बारे में कुछ कहूंगा । मैं श्री नन्दा से एक सीधी सी बात कहूंगा कि जो भाषण उन्होंने काम रोको प्रस्ताव पर दिया उससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि कोई पोलिस का इन्स्पेक्टर जनरल बोल रहा हो न कि ऐसे जैसे कि एक बड़े और विभिन्न रूपी देश के गृह-कार्य मंत्री बोलते हों । यह कोई केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि एक हिन्दी में परिपत्र क्यों जारी किया गया था जबकि इस बात का श्री चि० सुब्रह्मण्यम को पता भी नहीं था । ऐसे ही एक श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रालय से जारी किया गया और ऐसे ही गृह-कार्य मंत्री को पता दिये बिना बम्बई के एक मजिस्ट्रेट ने एक अपराधी के नाम कालीकट में समन जारी किया और जिसे वहां से वापिस कर दिया गया कि वे हिन्दी नहीं जानते थे । इसलिये गृह-कार्य मंत्री इन सब को कानून और व्यवस्था का नाम ले कर नहीं टाल सकते या यह कहें कि जो झगड़े इस बात पर हुये हैं वे गुंडों ने किये हैं । सरकार ने इस ओर बड़ी नासमझी से काम लिया है । मैं पूरी तरह से उस बात का विरोध करता हूं जो डा० गोविन्द दास ने कही है । यदि भाषा किसी देश को बांटने का कारण बने तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है ।

आखिरकार हमारी सरकार क्या चाहती है ? सरकार का क्या विचार है ? प्रत्येक मंत्रालय का अपना विभाग है और वह अपने विभाग का पूर्णत: स्वामी है । वित्त मंत्रालय की राय एक है और गृह-कार्य मंत्रालय अपना रास्ता अपना रहा है । अत: ये राजनीतिक मामला है और आज जो स्थिति हमारे समक्ष है वह बहुत ही भयंकर है । सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है । आप छिपे धन को ही ले लीजिये। उस सम्बन्ध में सरकार ने केवल छोटे-छोटे व्यक्तियों पर ही हाथ डाला है । किसी बड़े व्यक्ति पर हाथ नहीं डाला । बड़े-बड़े व्यक्तियों और बड़ी मछलियों के लाकरों को हाथ लगाने से घबराती है । वे लोग खुले आम अपना काम कर रहे हैं । आज हालत यह है कि छिपी हुई धन राशि देश में सामान्य करसी की तरह चल रही है । अनुमान यह है कि यह धन राशि लगभग 1000 करोड़ रुपये से 15000 करोड़ रुपये तक है। इस विशाल धनराशि को खोज निकालने में जब तक साहस के साथ काम ले कर कड़ी नीति नहीं अपनाई जाती कोई परिणाम नहीं निकल सकता । और तब तक मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता ।

देश में विदेशी पूंजी में वृद्धि हो रही है । उदाहरणार्थ भारत में 'स्विस एकस्व' के अन्तर्गत लिबिडियम का आयात 5,500 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया गया है। इटली में इसका आयात 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है । परन्तु एकस्व पत्र विधि के कारण हम इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं । फिर यह भी हुआ है कि बैंक दर के लगभग नाजक स्तर तक बढ़ जाने से भारतीय करन्सी की कमी हो गयी है । इसकी पूर्ति के लिए विदेशी विनियोजन का आश्रय लेना एक खतरनाक नीति है । रसायन उद्योग में 11.50 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगाई गई है । इस से पता चल सकता है कि किस प्रकार देश में विदेशी विनियोजन का बोलबाला हो रहा है । गत सात वर्षों में इस विदेशी विनियोजन के फलस्वरूप इस उद्योग में 13.46 करोड़ रुपये की बृहद राशि, लाभांश, अधिशुल्क तथा प्रौद्योगिक दामों के रूप में देश से बाहर चली गयी है । ऐसी नीति से देश की अपनी जानकारी के विकास में कमी हुई है ।

सरकार धीरे-धीरे दक्षिणी पक्ष की ओर झुक रही है और समाजवाद के अपने तथाकथित घोषित उद्देश्य का भी त्याग कर रही है । हमने गत वर्ष एक कानून पारित किया था कि जिन समवायों

[श्री दाजी]

ने हमारे ऋणों को नहीं लौटाया है, उनको समता पूंजी में बदल दिया जाये परन्तु हमने टाटा व्यवसायों अथवा "इंडियन आयरन्ज" के बारे में ऐसा नहीं किया है। राजकीय व्यापार असफल रहा है। पांचवां इस्पात संयंत्र एक विदेशी व्यापार संघटन को बेचा जा रहा है। भ्रष्टाचार ही देश के शासक दल के राजनैतिक जीवन का नियम बनता जा रहा है। उड़ीसा के राजकोष का 20 लाख रुपया एक मंत्री की पत्नी के पास चला गया है और अब भी यह मामला केवल 'अनुचित' कह कर ही टाला जा रहा है। ऐसी बातें खतरनाक हैं।

देश में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात राजनैतिक संकट का सघनतम होता जाना है जिसको निपटाने में केन्द्र असफल रहा है। केन्द्र दुर्बल हो गया है। गुटों में विवाद बढ़ रहे हैं। राज्यों में भी जहां पहले स्थिर मंत्रालय बने हुए थे अब वहां भी राजनैतिक नेतृत्व अपंग हो गया है और स्थानीय उपनेता शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। पृथक करने वाली भावनाएं राष्ट्र को लंगड़ा बना रही है तथा इनसे राष्ट्र विभक्त हो गया है। यही समय है जब हमें स्थिति को समझना होगा। जब तक सरकार साहस, कल्पना तथा हिम्मत से काम नहीं लेगी, केन्द्र दुर्बल होता जायेगा और इसके परिणामस्वरूप हमारी सारी कल्पनाएं भस्मीभूत हो जायेंगी।

अतः यह आज के राजनीतिक भारत का चित्र है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में जो भी चित्र खैंचा है उसमें बहुत सी बातों की उपेक्षा की गयी है। जो भी विश्लेषण सरकार के समझ रखा गया है वह गलत है। जब विश्लेषण ही गलत है तो उपचार कैसे ठीक हो सकता है। हम अपने गलत रास्ते को बदल कर समाजवाद के आदर्श की ओर आगे बढ़ना है। भाषा सम्बन्धी झगड़े तो हद हैं जो कि इस देश में हो सकते हैं। खाद्य संकट चल रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं और भ्रष्टाचार सर्वत्र चल रहा है। कोई सामूहिक उपचार चाहिए, अलग-अलग से तो कुछ हल नहीं हो सकता हमें पूरे साहस से समाजवाद के आदर्श को अपनाना चाहिए। और स्वतंत्रता और समाजवाद आदर्श के लिए हमेशा प्रत्येक बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जलौर) : मैंने अपने माननीय मित्रों के प्रभावशाली भाषण सुने हैं। श्री मुकर्जी और श्री दाजी ने अपनी प्रभावशाली शैलियों का प्रयोग कर अपने विचार व्यक्त किये। श्री कामत और श्री रंगा की आलोचना भी सुनी है। कई लोगों ने बड़ी आलोचना की है। मेरा निवेदन यह है कि लोगों का धैर्य अब समाप्त हो चुका है और राष्ट्र क्रांति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मेरे एक माननीय मित्र ने ठीक कहा है कि गत आठ मास का चित्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो इन आठ मास में लोगों ने सरकार के प्रति अटूट विश्वास प्रकट किया है। जून, 1964 से आज तक जो हुआ है वह मेरे सामने है। लोक-सभा के पांच चुनाव हुए हैं जिनमें से चार कांग्रेस ने जीते हैं। 17 विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं जिनमें से 14 कांग्रेस को मिले हैं।

गत छः मास इस देश के इतिहास में बहुत ही कठिन रहे हैं। कीमतें बढ़ी हैं और खाद्यान्नों की कमी सर्वत्र देखने में आई है। इन कठिनाई के दिनों में भी लोगों का निर्णय आपके सामने है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और मैसूर तथा आंध्र में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में राय दी है। यही कारण है कि हमारे साम्यवादी मित्र यह समझ रहे हैं कि वोट से वे नहीं जीत सकते अतः दूसरे हिंसावादी दंगों को अपनाने की सोच रहे हैं। यही कारण है कि इस देश में अशांति चल रही है।

स्वतंत्र दल के लोग भी आगे आ रहे हैं। महारानी साहब जयपुर के अपने क्षेत्र में भी लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में राय दी है। सचमुच वहां तो सामान्य चुनाव हो गया लगता है।

**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर) : क्या माननीय सदस्य मानेंगे कि पंचायतों के चुनावों में सरकारी मशीनरी प्रयोग में लाई गयी तथा घूस दी गई जबकि इस सभा में घोषणा की गई थी कि कांग्रेस दलों के स्तर पर चुनाव नहीं लड़ेगी और वहां भूमि सम्बन्धी कानून भी बदल दिये गये।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जो हार जाते हैं वह कई आरोप लगाते हैं। क्या महारानी साहिबा ने अपनी जीप गाड़ी सभी पंचायत समितियों को नहीं भेजी थी और जब उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को वापिस बुला लिया... **(अन्तर्बाधायें)**

**श्रीमती गायत्री देवी** : मैंने कोई जीप गाड़ी नहीं भेजी और न ही चुनावों में भाग लिया। यदि ऐसा होता तो परिणाम भिन्न ही होते.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति : कृपया बैठ जाइये।

**एक माननीय सदस्य** : जब उन्हें चुनौती दी गई है तो उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने की आज्ञा दी जानी चाहिए।

**श्री रंगा** : सरकार ने लोगों की जीप का इस्तेमाल किया ; उन्होंने अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग किया है और वह उसी सरकार की वकालत कर रहे हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : रंगा जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं और उनका आदर करता हूं परन्तु सच तो सच ही है जिसे बदला नहीं जा सकता और सच यह है कि 85 प्रतिशत स्थान कांग्रेस ने जीते हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

**उपाध्यक्ष महोदय** कृपया बैठ जाइये।

**श्रीमती गायत्री देवी** : जी नहीं। **(अन्तर्बाधायें)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। जब मैं खड़ा होऊं तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिये। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण भाषण देने वाले सदस्य के भाषण के पश्चात ही दिया जा सकता है... (अन्तर्बाधाएं)

**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दुर्भाग्यवश जैसा आपने कहा है वह ठीक नहीं है। नियम 357 के अनुसार आपकी अनुमति से किसी समय ही ऐसा किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप माननीय महिला सदस्य को आज्ञा दे देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये एक विनिर्णय पढ़ देता हूं। उसमें यह है कि यदि कोई सदस्य अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहे तो वह भाषण देने वाले सदस्य के चुप हो जाने पर ही ऐसा कर सकता है नहीं तो उसके भाषण समाप्त होने पर ही वह स्पष्टीकरण दे सकता है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या विनिर्णय द्वारा यह नियम रद्द किया जा सकता है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : विनिर्णय यही है वह मेरी अनुमति लें।

**श्री हरि विष्णु कामत** : हमें विश्वास है कि आप उन्हें अनुमति दे देंगे।

**Shri Bagri :** Under the rule you should give permission.

**Mr. Deputy Speaker :** Order, order. Two hon. members may not stand at a time.

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैंने अपने मित्रों के विरोध तथा जनता के स्पष्ट अडिग विश्वास का, जो उन्हें गत 8 मास से सरकार को प्राप्त है, वर्णन किया । मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या माननीय राष्ट्रपति जी ने सही अनुमान लगाया है ? हम तो सच बातें कहते हैं और सच्ची बात यह है कि जनता ने सभी अवसरों पर सरकार के कार्यों की पुष्टि की है । मैं नहीं जानता कि संविधान में राष्ट्रपति के मुख्य मंत्रियों, मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के बारे में क्या उपबन्ध हैं । आशा है प्रधान मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वह यह शिकायतें सीधी राष्ट्रपति जी को भेज देते हैं ? केन्द्रीय मंत्रिमंडल की संवैधानिक स्थिति क्या है ? क्या मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री अपने राज्यों के विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी नहीं है ? कहां तक तथा किस प्रकार वह राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं ? इस बारे में अधिकार तथा उपबन्ध क्या है ? इन शिकायतों की जांच करने की क्या प्रक्रिया है ?

मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी से यह भी कहना है कि मंत्रिमंडल उप-समिति से जांच के लिये कहना बहुत अच्छी बात नहीं है । इससे मंत्रिमंडल के उच्च नेता दलों में फंस सकते हैं । इससे लोगों को विश्वास तथा आस्था खो देने का भी खतरा है । इससे संविधान विरोधी बातें होने का भी डर है । पता नहीं हम एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना क्यों नहीं कर सकते जो इन शिकायतों की जांच करे तथा इसके बाद ही कार्यवाही की जाये । यह निकाय "ओमुबड्समेन" जैसा चाहे न हो और इसका क्षेत्राधिकार सीमित ही हो परन्तु अब समय है जब कि प्रधान मंत्री जी कम से कम एक उच्च शक्ति समिति का गठन करें जो मामले की जांच करके संसद को ऐसे स्वतंत्र निकाय की रूप-रेखा, ढांचा तथा प्रक्रिया आदि के बारे में बताये ।

[**डा० सरोजिनी महीषी** पीठासीन हुई ।]

[**Dr. Sarojini Mahishi** *in the Chair*]

जब कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भारत आने तथा हमारे लोगों की विदेश यात्रा का वर्णन किया गया है परन्तु प्रधान मंत्री जी की ब्रिटेन यात्रा का जो उस समय की गई थी जब संसद का सत्र चल रहा था और जो बहुत महत्वपूर्ण थी, कोई वर्णन नहीं किया गया। हमें उसका कारण बताया जाना चाहिये ।

मेरा विचार है कि हमारे प्रधान मंत्री की ब्रिटेन यात्रा का वहां के प्रधान मंत्री पर बहुत प्रभाव पड़ा है क्योंकि वह हर समय हर स्थान पर इसका वर्णन करते हैं । मेरे विचार में प्रधान मंत्री को हमें विश्वास में लेना चाहिये और उसके बारे में हमें बताना चाहिये ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय का वर्णन नहीं किया गया और वह है सहकारिता, सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज का विषय । गत 12 वर्षों में सदा ही इनका वर्णन अभिभाषण में होता रहा है । क्या इस बारे में कुछ नीति परिवर्तन हुआ है । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने समय समय पर इनके महत्व पर बल दिया था और उन्हें लघु प्रजातंत्र कहा था हमें इनके बारे में उचित अनुमान लगाना होगा । ये सब कृषि मंत्रालय कार्यों के अन्तर्गत नहीं आ सकते । कृषि सामुदायिक विकास अथवा पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है । परन्तु इसके बारे में उचित समायोजन की आवश्यकता है । परन्तु इसे ठुकरा देना समस्या का हल नहीं है । इसलिये यह सभा प्रधान मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण करने की मांग करती है कि अभिभाषण में इन विषयों को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया ।

प्रशासनिक मामलों के बारे में इसके दृष्टिकोण तथा नीतियां सदा ही मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित की जानी चाहियें यही देश के लिये अच्छे प्रशासन की प्रथम और सर्वोपरि आवश्यकता है । हमारे जिला प्रशासन के घटिया स्तर का पहला कारण अधिकारियों का कार्य पटु न होना है । दूसरा कारण सचिवालय द्वारा मार्गदर्शन का अभाव——परन्तु इसके विपरीत वहां से तो हुक्म चलता हैं तथा हस्पक्षेप होता है ।

यह उत्साहजनक बात है कि 1963–64 में हमारी आर्थिक प्रगति में $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गत दो वर्षों में यह केवल $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत थी । हमारी आर्थिक प्रगति तो 7 प्रतिशत होनी चाहिये । बहुत से सरकारी उपक्रम आरम्भिक कठिनाईयों के बाद अब प्रगति कर रहे हैं और हमें आशा है कि भविष्य में यह उपक्रम बहुत अच्छा कार्य कर दिखायेंगे । हां इन्हें कार्यपटुता तथा व्यापारी दृष्टिकोण अपनाने होंगे । सरकारी उपक्रम यदि उपभोक्ता वस्तुयें भी तैयार करें तो इससे गैर-सरकारी उपक्रमों से कड़ी प्रतियोगिता होगी जो अच्छी बात है ।

मैं विकासशील अर्थ व्यवस्था के साथ मुद्रा स्फीति का सिद्धांत नहीं समझ सकता । एक सीमा तक मुद्रास्फीति तो ठीक है परन्तु सबसे जरूरी बात तो यह है कि संतुलित परियोजन के अभाव के साथ-साथ हमारी कार्यान्विति भी बिल्कुल अकुशल है और यही सिक्के के फैलाव का कारण है । काला धन अकुशल प्रशासन का परिणाम है । सिक्के के फैलाव में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि तो ठीक है परन्तु गत वर्ष 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मिश्र में विकासशील अर्थ व्यवस्था है परन्तु वहां गत 7 वर्षों से यह अंक 100 अथवा 101 पर स्थिर है चाहे वहां विकास हो रहा है । सरकार विकासशील अर्थ व्यवस्था के बहाने मुद्रास्फीति नहीं कर सकती । परियोजना तथा उसकी कार्यान्विति में कई त्रुटियां हैं जिन्हें दूर करना होगा ।

हमें ऐसी योजनायें बनानी चाहिये जिनमें उत्पादन आदि पर ज्यादा जोर हो अभाव तथा भय का वातावरण समाप्त होना चाहिये । नियंत्रण केवल भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट व्यापारी तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञ ही चाहते हैं । हमें जहां तक हो सके नियंत्रण दूर करने हैं । हमें जनता का दृढ़ विश्वास प्राप्त है इसी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिये और सबसे अच्छी प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिये ।

**श्री मानबेन्द्रशाह** (टिहरी गढ़वाल) : हम योजनाएं तो बनाने जा रहे हैं परन्तु गत योजनाओं की त्रुटियों का ध्यान कर के आने वाली योजना में इन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करते । डा०पी०एस० लोकनाथन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात पूंजी की मात्रा नहीं बल्कि उन बातों का पता लगाना है जिन से हमारे कई लक्ष्य पूरे नहीं हुए । गत तीन योजनाओं से बढ़ते मूल्यों की समस्या बनी रही और इसके कारण आर्थिक जीवन तथा प्रगति के प्रवाह, काम के लिये प्रोत्साहन, बचत करना और पूंजी लगाने आदि में बाधा पड़ी है । इन से नियत आय के लोग तथा पूंजी लगाने वाले निर्धन ही बनेंगे जिससे ईमानदारी असम्भव हो जायेगी और इस प्रकार आर्थिक नींव ही दुर्बल होकर गिर जायेगी और मुझे भय है कि देश में इस समय यही कुछ हो रहा है ।

सरकारी कर्मचारी और मजदूर अधिक वेतन और मजदूरी मांगते हैं उन्हें मंहगाई भत्ता भी दिया गया है परन्तु समस्या हल नहीं हो रही । सब हालात को देखने से पता चला है कि मूल्यों की स्थिति के बारे में गलत दृष्टिकोण अपनाया गया है । थोक वाले परचून वालों पर और परचून वाले थोक वालों पर आरोप लगाते हैं । राष्ट्रपति के अभिभाषण में मजूरी बोर्ड का उल्लेख है । लाभांश आयोग भी है । सभी कीमतें के बढ़ने की शिकायत करते हैं । अखिल भारतीय स्तर पर भी कई एक चीजों की कीमत बढ़ाने की अनुमति दी गयी है ।

[श्री मानवेन्द्रशाह]

एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस वृद्धि से आखिर अन्ततोगत्वा हानि उपभोक्ताओं की ही होती है । परन्तु प्रश्न हर बार यह होता है कि उपभोक्ता से परामर्श नहीं किया गया । उद्योग और श्रम का ही अधिक ध्यान रखा जाता है । सरकारी कर्मचारी अथवा श्रमिक यदि अपनी शिकायतों के लिए शोर करें तो उन्हें कुछ मिल जाता है । वैसे यह बात कई विदेशी प्रेषकों ने भी कही है कि हमारी कर नीति बहुत ही अव्यवहारिक है और इसका देश पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो रहा है । भारत में पूंजी की स्थिति बहुत ही शोचनीय हो रही है । अतः इस समस्या की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए ।

प्रो० काल्डार की सिफारिश के उपरान्त भारत में करारोपण ढांचे में बहुत अधिक परिवर्तन किया गया है । परन्तु उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि कराभार की सीमा को एक निश्चित सीमा अर्थात 50 से 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये । हमने उनकी सिफारिश के पहले क्रम संबंधी सिफारिशों को तो अपना लिया परन्तु दूसरे क्रम सम्बन्धी सिफारिशों की हमने उपेक्षा कर दी है । चोर बाजारी के धन से स्पष्ट जान पड़ता है कि इस प्रकार के करारोपण से करापवंचन की रोकथाम का जो प्रयास किया गया था वह निष्फल हो गया है । सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये कि विदेशी मुद्रा अधिकाधिक दूसरे देशों को क्यों जा रही है तथा भारत में वह इतनी कम क्यों आ रही है ? यह एक उच्च सत्ता-प्राप्त प्रतिनिधि समिति को उन सब समस्याओं का अध्ययन करना चाहिये तथा उसे अपनी सिफारिशों को अल्प समय में सरकार को प्रस्तुत कर देना चाहिये जिससे वह उस मामले में ठीक कार्यवाही कर सके ।

हमारी पिछली योजनाओं से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह उत्पन्न हुई है कि, धन उर्पाजन की फसलों और खाद्य की फसलों में प्रतियोगिता रही है । उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक भूमि में गन्ने की खेती हो रही है और चावल की नहीं । बंगाल में चावल के स्थान पर पटसन अधिक उगाया जा रहा है । हमें इन क्षेत्रों को खाद्यान्नों की बजाय धन उर्पाजन स्थान पर पटसन अधिक उगाया जा रहा है । हमें इन क्षेत्रों को खाद्य की बजाय धन उर्पाजन की फसलों के लिए बदलने पर रोकथाम लगानी चाहिये । वैसा करने से हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगाने के लिए अधिक धन बचाना चाहिये उसकी तुलना में जितना कि हम धन उर्पाजन की फसलों के निर्यात से बचा सकते हैं । कार्य निष्पादन के दृष्टिकोण से अभिपूर्ति में त्रुटियां हैं । जिला स्तर पर कृषि के विषय में विभिन्न विभागों में कोई सहयोजन नहीं है । नीचे जिला स्तर पर कृषि विभागों में परस्पर समन्वय बहुत कम है । कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं । चौथी योजना बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti** (Jhajjar) : The address of the President is the ideal of the Government. But I think the country instead of marching ahead has not made any progress. Indian Army had a good name before the Chinese invasion. But the invasion of India has spoiled the reputation of the Government. Even now our Prime Minister and other leaders are saying that we shall not manufacture atom bomb. But in my opinion this is a wrong policy. It is not fair to adopt the policy of non-violation out of cowardice. We should try to build our Military force and equip our defence forces to face the enemy.

Another thing which I want to mention in this connection is the question of National Language. 17 years before it was settled that Hindi will be the official language. When the question has been settled earlier,

why, then it is being reopened now. I want to make it clear that in deciding the issue the interest of 98 per cent of the population should not be sacrificed for safeguarding the interests of 2 pcrcent of the population The views of the majority should not be ignored. I urge upon the Government to declare that Hindi will be the official language of the country.

I agree with the view that regional languages should be fully developed. These languages may be made the associate languages in place of English.

The food problem is also before us. I am of the opinion that in order to increase our agricultural production good seeds should be provided to the agriculturists and the proper price should be paid to cultivators. Efforts should also be made to increase the number of cattle in the country. The cattle population provides us with adequate supply of natural manure. In this connection I may strongly urge that cow slaughter should be totally banned throughout the country.

The havoc caused by the floods is also our great worry and the flood problem is also before us. The Government have done nothing to tackle this problem. No industry is developing in the rural areas. There is no power supply there, therefore the Small Scale industries cannot prosper there. The efforts should be made to set up industries in the rural areas and educational facilities should be provided in these areas. We should see that the people living in the ountryside may make some progress.

There is a cry of corruption everywhere. This evil is growing very rapidly. It has become a difficult problem to tackle. Government should do their best to remove corruption. The corruption is mostly prevailant at the higher levels. If we remove corruption from the higher level only then it could be eliminated at the lower level.

**Shri G.S. Musafir (Amritsar):** I appreciate all the points put forward by the President in his Address, but feel that something should be done by the Government, in view of what happened in the country a few days back. People in the country should feel that their problems are being solved by the Government and the good result may follow any day.

I may state that the floods are causing much havoc to the crops in the country. The soil, which has been yielding good crops is becoming useless for those crops. Although good deal of money has been spent on controlling floods but no permanent solution has been made. The Government should pay more attention to protect the areas growing foodgrains.

To day we find the language agitation in the South. I am of the opinion that English is responsible for this type of agitation and upheavel. A mischievous propaganda was carried on by the interested persons. People in Madras were told that Hindi would replace Tamil is also the cause of the trouble. This should be understood by all concerned that English cannot become an Indian language. All Indian languages, have their respectable place but English is a foreign language.

I am of the opinion that permanent retention of English will mean to perpetuate the stigma of slavery. It will have to be removed. The language policy of the Government of India is proper and correct. The policy is to develop all the Indian languages properly. Hindi will be the official language of the union while English will continue as an associate language. English can also be employed for dealing with matters pertaining to the international sphere. But

[Shri G. S. Musafir]

for internal matters Hindi should be used for conducting the work. All the Ministers in the Central Government should know the official language. There is no harm in opening school for teaching the official language to the Ministers. With these words I welcome and support the address of the President.

**श्री पु० र० पटेल** (पाटन) : इस सभा में भाषा की समस्या को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है । वास्तव में राजनीति में असफल लोगों ने इस समस्या को इतना बढ़ा दिया है है । राजाजी जैसे महान नेता ने अपनी शक्ति को गलत दिशा में लगा दिया है । जब मैंने कुछ मंत्रियों और कुछ मुख्य मंत्रियों के भाषण पढ़े तो मुझे बहुत खेद हुआ । मद्रास में समस्या इसलिये बढ़ गई थी कि क्योंकि इस सरकार से पहले की सरकार ने छात्रों को छोटी कक्षाओं से हिन्दी पढ़ानी शुरू नहीं की थी । सभी राज्यों में हिन्दी तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाती है है । यद्यपि 15 वर्ष पहले हम ने हिन्दी को राज भाषा मान लिया था फिर भी श्री कामराज ने उसे मद्रास में लागू नहीं किया ।

हमारे सामने सब से महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतिरक्षा का है । चीन ने बड़ी संख्या में हमारी सीमा पर सेना जमा कर रखी है ।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**[Mr. Deputy Speaker in the Chair]**

इस समय भाषा की समस्या को उठाने के बजाय हमें चीनियों को उन क्षेत्रों से खदेड़ने की समस्या पर विचार करना चाहिये। जिन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है । हमें नेफा में जो नीचा देखना पड़ा था उसका बदला लेना चाहिये। और यह हम भाषा की समस्या पर लड़ झगड़ कर नहीं कर सकते। हाल ही में चीन ने अणुबम का विस्फोट किया था । परन्तु हमें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि यदि हम इतिहास को देखें तो जब चीन और जापान में युद्ध चल रहा था तो यद्यपि जापान के पास अच्छे हथियार थे फिर भी चीन ने उसे अपने देश से बाहर खदेड़ दिया । अतः हमें साहस की आवश्यकता है और यह नेताओं का कर्त्तव्य है कि वह लोगों को उत्साह दें।

हम देश की कृषि सुधारने के लिये करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। अधिक उत्पादन के लिये हमने नहरें भी खुदवाईं हैं और उर्वरक भी बाहर से मंगाये हैं। परन्तु हम ने देश के किसानों का सहयोग प्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया । यहां हमारी असफलता का मुख्य कारण है । यदि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करे तो शायद स्थिति सुधर जाय। हाल ही में कृषक उत्पादों के लाभकारी मूल्य निश्चित करने के लिये एक कृषक मूल्य आयोग की नियुक्ति की गई थी । और इस आयोग में किसानों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। यद्यपि प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस आयोग में किसानों के प्रतिनिधि होंगे परन्तु कृषि मंत्री ने इसका पालन नहीं किया। इसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि वह कृषि मंत्री हैं फिर भी उनको देश के किसानों में विश्वास नहीं है ।

कुछ सदस्यों ने छिपे हुये धन के बारे में कहा है । हम ने कभी इस चीज़ पर कभी विचार नहीं किया कि यह छिपा हुआ धन किस प्रकार इकट्ठा हुआ । यह धन सरकार द्वारा लाइसेंस और परमिट देने के कारण इकट्ठा हुआ है । और इसको रोकने का तरीका लाइसेंसों को ठीक रीति देना है । सरकार को आयात, बिना किसी को बीच में लाये, स्वय

करना चाहिये। जैसे स्टेनलेस स्टील $2\frac{1}{2}$ रु० प्रति पौड के हिसाब से आयात होता है और 20 रुपये प्रति पौड बेचा जाता है । इस प्रकार छिपा हुआ धन इकट्ठा होता है । विरोधी सदस्यों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, परन्तु उनको सरकार के अच्छे कार्यों को नहीं भूलना चाहिये। हमारी सरकार एक विस्तृत देश की बड़ी सरकार है। अतः इस में अच्छी और बुरी चीजें दोनों ही होंगी। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक चीज़ बुरी है । इस वर्ष चावल का उत्पादन 390 से 400 लाख टन तक हुआ है पिछले वर्ष 365 लाख टन हुआ और पिछले से पिछले वर्ष 319 लाख टन हुआ । जब उत्पादन 319 लाख टन हुआ तो हमने 50 लाख टन चावल आयात किया परन्तु पिछले वर्ष जब उत्पादन अधिक हुआ तो हम ने चावल भी अधिक आयात किया । और इस वर्ष उत्पादन 390 से 400 लाख टन हुआ फिर भी चावल की कमी है । उत्पादन में इतनी कमी नहीं है ; परन्तु कुवितरण और कुप्रशासन के कारण यह कमी है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** महारानी गायत्री देवी ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** On a point of order Sir. We are discussing the Presidential Address and no Minister is present in the House.

**Mr. Deputy Speaker :** There is no point of order. Shri Humayun Kabir is here.

**Shri Brij Raj Singh** (Bareilly) : You have allowed a leader and a deputy leader of each party to speak. But only Shri Trivedi from my party has spoken so far. My turn has not come so far.

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सब से बड़ा विरोधी दल है ।

**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर ): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के चुनावों में भाग लेने के आरोपों का मैं विरोध करती हूं । मैं राष्ट्रपति जी को उन के अभिभाषण पर धन्यवाद करती हूं । उन के अभिभाषण में सरकार की दयनीय स्थिति की आभा झलकती है । मैं तो यह कहती हूं कि पिछले 15 वर्षों में जहां तक देश की निरीह जनता के निर्वाह स्तर को ऊंचा उठाने का प्रश्न है, कोई प्रगति नहीं की गई है । इतने समय बाद भी सरकार सस्ता खाना, कपड़ा देने में असमर्थ है । आज लोग भविष्य के बारे में बहुत निराश हैं। आज देश में एक स्वच्छ और कुशल प्रशासन की आवश्यकता है । आवश्यकता इस बात की की है कि लोग अपने देश के नेताओं में विश्वास रखें और यह तभी सम्भव हो सकता है जब सभी मंत्रालय आज की समस्याओं के समाधान के लिये मिलकर प्रयत्न करें । इन में मुख्यतः देश की सुरक्षा, अर्थ व्यवस्था की स्थिरता, जनता के लिये सस्ते अनाज, मकान, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना है । शासक दल अपनी असफलताओं पर परदा डालने को लिये जनता का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करता रहा है । पिछले वर्ष लोग जीवन निर्वाह के बढ़ते हुये व्यय के बारे में आन्दोलन कर रहे थे, इस वर्ष भाषा का मसला अड़ा हुआ है और इन झमेलों में पड़ कर लोग यह भूल जाते हैं कि वह किन स्थितियों में निर्वाह कर रहे हैं।

आज शासक दल की ही गलती के कारण समस्यायें पैदा हुई हैं। उनका यह कर्त्तव्य था कि वह 26 जनवरी से हिन्दी को सरकारी भाषा लागू करने से पूर्व देश में जनता की

[श्रीमती गायत्री देवी]

राय लेते। मैं यह मानती हूं कि एक समान भाषा से लोगों में एकता बढ़ेगी। हमें कनाडा और स्विटजरलैण्ड जैसे देशों से शिक्षा लेनी चाहिये जहां एक से अधिक राज-भाषायें हैं। मैं मानती हूं कि हमारी समस्या अधिक जटिल है क्योंकि हमारे यहां बहुत सी भाषायें हैं। मुख्य मंत्री शायद ही कोई संतोषजनक समाधान निकाल सकें क्योंकि वह भी उसी दल के प्रतिनिधि हैं जिस ने बिना देश की राय जाने हिन्दी को देश की राजभाषा लागू कर दिया। और यह स्वाभाविक है कि शासक दल में इस मामले में मतभेद है, और यह दुख की बात है कि यह संकट देश में इस समय उठ खड़ा हुआ है। हमें इस महत्वपूर्ण समस्या को जितना शीघ्र सुलझाया जा सके सुलझाना चाहिये। अतः मेरा सुझाव यह है कि हिन्दी-समर्थक राजनैतिक दलों के नेता इन राज्यों में जायें जहां हिन्दी-विरोधी प्रदर्शन हुये थे। यद्यपि मैं अहिन्दी भाषी लोगों द्वारा अपनाये गये तरीकों को ठीक नहीं समझती फिर भी अंग्रेजी को पूर्ण रूप से हटा कर हिन्दी लागू करना उचित नहीं समझती। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमें एक बाहर के शत्रु से निपटना है, और यदि हम आन्तरिक झगड़ों में फंसे रहे तो शायद हमें एक और भाषा सीखनी पड़ेगी। हमें उन सब वर्गों के नेताओं को बुलाना चाहिये जो भाषा के मामले में आन्दोलन कर रहे हैं; एक हमारे मंत्री इस समस्या को नहीं सुलझा सकते क्योंकि यह जनता के असली प्रतिनिधि नहीं हैं।

एक बार फिर मुझे ज़ोर देकर कहना है कि हमें अपनी अतिआवश्यक कठिनाइयों को हल करना चाहिये, जैसे खाद्यान्नों का अभाव जिस से जनता बहुत पीड़ित है। सरकार को इसका प्रबन्ध करना होगा। हमें यदि कमरतोड़ कर देने के बाद भी भोजन न मिले तो क्या यह सरकार के लिये लज्जाजनक नहीं है। हमारे योजना निर्माताओं तथा सरकार ने बहुत सा धन भारी उद्योगों पर लगा दिया है और कृषि उत्पादन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। समय आ गया है जब हमें खाद्य स्थिति सुधारने के लिये व्यावहारिक बनकर सभी सम्भावनाएं खोजनी होंगी। सत्तारूढ़ दल द्वारा समाजवाद लाने के लिये भूमि सुधार के लिये किये गये कार्यों पर भी फिर से विचार करना होगा। यदि बड़े बड़े भूमि के चक लाभप्रद हैं तो इन्हें बनाये रख कर भी भूमिहीनों को वह भूमि दी जा सकती है। जिस पर खेती नहीं होती। राज्यों के बीच खाद्य क्षेत्रों को समाप्त किया जाना चाहिये। गेहूं के आयात के लिये व्यापार उपदूतों — से सभी सम्भव प्रयत्न करने को कहा जाना चाहिये और हमें अपने प्रयत्न आधुनिकतम बनाने चाहियें ताकि उन में आने वाले माल को शीघ्रता से तथा सुचारू रूप से सम्भाला जा सके।

रेलवे के मुख्य केन्द्रों पर अन्न तथा चारा रखने के आधुनिक गोदाम बनाये जाने चाहिये ताकि अभाव में इसका वितरण सुनिश्चित किया जा सके। बहुत सा अच्छा अन्न उचित रूप से न बनाये गये गोदामों के कारण नष्ट हो जाता है। सरकारी नियंत्रण क्या अन्न की कमी का कारण है, इसकी जांच भी होनी चाहिये। जैसा संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत से व्यापारी प्रतियोगिता से नियंत्रण को अच्छा समझते हैं क्योंकि इससे उन्हें काले बाजार से अधिक लाभ होता है। कुछ सरकारी अधिकारियों को भी इसी प्रकार लाभ होगा इसीलिये वह भी यही चाहते हैं। मेरे विचार में सरकार भी नियंत्रण पर टिकी हुई है और वह भी दोषी ठहरायी जानी चाहिये। यही कारण उस धन का भी है जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। यदि लाभ पर नियंत्रण और कर कम होते तो यही धन

अधिक उत्पादन के काम आता जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलता। यह धन इसलिये बाहर नहीं आ रहा क्योंकि उद्योगपतियों को सरकार की वित्तीय नीतियों पर विश्वास नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि अधिक उत्पादन के कारण सिक्के का फैलाव रुक सकता है परन्तु वित्त मंत्रालय के हर नियंत्रण के कारण अधिक उत्पादन भी रुक जाता है।

योजना आयोग ने देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों को परामर्श देने को कहा है। वह नियंत्रण हटाने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विस्तार का परामर्श देते हैं जो कांग्रेस दल को मान्य नहीं होता क्योंकि इससे उनका लोगों पर प्रभाव घट जायेगा। इसलिये परामर्श लेने पर भी उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता। यदि देश को दिवालिया होने से बचाना है तो कड़ी कार्यवाही करनी होगी चाहे इससे सतारूढ़ दल की नीतियों में ही परिवर्तन क्यों न करना पड़े। हमें दल के हित राष्ट्र के हितों के पशचत् ही प्रिय होने चाहिये। यह मानना होगा कि मंत्रि-मंडल में फूट पड़ चुकी है और सत्ताधारी दल इस विकासशील राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का गला घोट रहा है, देश की जनता भूखी मर रही है, और हमें दिवालिया बनाया जा रहा है। देश को बचाने के लिए हमारे उद्योगपतियों को सरकार के प्रति कड़ा रवैया अपनाना होगा। कितनी लज्जाजनक बात है कि कांग्रेस उन्हीं से सहायता मांगती है और उन्हें ही कुछ करने नहीं देती जिसके फलस्वरूप उसकी नीतियां देश को विनाश की ओर ले जा रही है। परन्तु उद्योग-पतियों को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी यदि वे कांग्रेस को सहायता दें। उन्हें आयात लाइसेंस तथा दूसरी सुविधायें नहीं मिलेंगी जिस से कम उत्पादन, अधिक बेरोजगारी तथा दुख उत्पन्न होंगे। हम सरकार के प्रशासनिक मशीनरी में सुधार पर भी विश्वास नहीं कर सकते। जैसे जैसे सत्ताधारी दल लोगों का विश्वास खो रहा है वैसे ही वह अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग कर रहा है। जैसे राजस्थान में क्रय-बिक्रय संघ में गुड़ के वितरण में घोर घोटाला चल रहा है। इस संघ को एक करोड़ कुछ लाख रुपये का लाभ हुआ। संघ का सचिव तथा एक गुड़ यापारी पकड़ा गया। परन्तु संघ के अध्यक्ष को पुरस्कार दे कर राजस्थान मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग दे दिया गया। क्या इस प्रकार ही सरकार प्रशासन में सुधार कर रही है? सरकार की नीव ही भ्रष्टाचार पर खड़ी है।

मैं एक बार फिर बल पूर्वक यह बात कहना चाहती हूं कि सरकार अपनी मूर्छा दूर करे और सभी विभाग मिल कर कार्य करें और देश की समस्याओं का सामना करें।

**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : मैं श्री हेडा द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। हमें समाजवादी समाज की रचना करनी है तो रोजगार, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधायों के लिये कुछ योजनायें बनाने से समाजवाद नहीं आएगा—ऐसी सुविधायें तो पूंजीवादी देश भी प्रदान करते हैं। हमें समाजवाद लाने के लिए राष्ट्रीय आय के वितरण के पहलू की ओर उचित ध्यान देना होगा और यह भी देखना होगा क्षेत्रीय असंतुलन न हो। यद्यपि आंध्र प्रदेश देश का अन्न भण्डार है फिर भी इसे विकसित करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यद्यपि इतना अधिक अन्न मैसूर, मद्रास तथा केरल को दिया जाता है परन्तु फिर भी आंध्र में विद्युत् शक्ति की खपत देश के सब प्रदेशों से (असम जैसे प्रदेश में से भी) कम हैं। आंध्र अपना अधिकार मांगता है कि उसे एक इस्पात कार-

[श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा]

खाना दिया जाए ताकि क्षेत्रीय असंतुलन न हो। यह प्रदेश उत्तर तथा दक्षिण का संगम भी है इसलिये आंध्र की प्रगति के प्रति उदासीन नहीं रहा जा सकता।

अब मैं सबका ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 21 की ओर दिलाना चाहती हूं। हिन्दी के मामले में भी आंध्र ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों का नेतृत्व किया है वहां हिन्दी गत 7 वर्ष से अनिवार्य बना दी गई है। हम संविधान में संशोधन नहीं चाहते क्योंकि इस से हम बदनाम हो जाएंगे और बाहर वाले यह सोचेंगे कि राष्ट्रभाषा जैसे प्रश्न पर भी देश में एकता नहीं है। दक्षिण में भाषा विरोधी दंगे भाषा ठौंसने के कारण नहीं परन्तु इसके लिये अनावश्यक शीघ्रता करने के लिए थे। जब संसद् में ही हम प्रथा अनुसार नहीं चल पाते तो प्रशासन से कैसे आशा की जा कती है कि वह भाषा सम्बन्धी नियम पर चले। जब मैं ने श्री नन्दा जी से पूछा कि हिन्दी पत्रों के साथ अंग्रेज़ी अनुवाद भेजने की प्रथा पर पूरी तरह कार्यवाही क्यों नहीं हो रही तो उन्होंने कहा कि यह हमारा दोष है। ऐसे ही जसे जनता अथवा दूसरे राजनैतिक दल गलती करते हैं। यदि ऐसी गलती से देश में कई जानें चली जाएं तो इसे कैसे सहन किया जा सकता है।

श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषा सम्बन्धी जो आश्वासन दिया था उसे कानूनी रूप दिया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा किये बिना इस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। अब समय आ गया है जब भाषा की समस्या कुछ राजनीतिज्ञों की नहीं है परन्तु सारे देश को इसकी चिन्ता होनी चाहिये, स्वतन्त्रता से पूर्व हम ने कभी भी हिन्दी, चर्खा, सत्याग्रह तथा अहिंसा की आपत्ति नहीं की थी परन्तु इसके बाद हमें हर विचार को तोलना है। हिन्दी सरकार की अकर्मण्यता के कारण आगे नहीं बढ़ पाई हिन्दी भाषा की "खड़ी-बोली" का रूप अभी अभी प्रचलित हुआ है और यह दक्षिण की कुछ भाषाओं के मुकाबले में अभी शिशु के समान है। हिन्दी को दक्षिण में लागू करने से पूर्व वहां के भाषा शास्त्रियों तथा साहित्यकों की हिन्दी के प्रति मित्रता बढ़ाने की आवश्यकता थी जिस से वह भी यह समझते कि हिन्दी भी उनकी अपनी भाषा है।

हिन्दी को अपना उत्तर दायित्व पूरा करना चाहिये। अभी वह अपने रास्ते पर इतनी विकसित नहीं हुई जितनी कि उसे होना चाहिये। अतः मेरा निवेदन यह है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को कानूनी रूप दिया जाना चाहिये। ये आश्वासन 1959 में दिये गये थे परन्तु इस पर अमल नहीं किया गया। हिन्दी को राजभाषा बना दिया जाना एक आकस्मिक बात थी। यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिये कि हिन्दी का विस्तार सारे भारत का उत्तरदायित्व है, केवल कुछ दो चार राजनीतिज्ञों का नहीं। मेरा आग्रह यह है कि हिन्दी के लिए अपेक्षित वातावरण निर्माण किया जाना चाहिये।

मैं यह भी अनुरोध करूंगी कि हिन्दी भाषी जनता को भी दक्षिण की एक या दो भाषायें सीखनी चाहिये। राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिये। केन्द्र में हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग होना चाहिये। हमें इस बात का पूरा प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं के विकास के लिए सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध परियोजनाएं बनाई जाय। हिन्दी विकसित हो कर ही पूर्ण रूप से अंग्रेज़ी का स्थान ले सकेगी। इन शब्दों से मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

**Shri Brij Raj Singh (Bareilly):** While speaking on the motion of thanks to the President, I have to touch a few problems. I expected from the President that he could speak in Hindi this time. As after the 26 January 1965,

Hindi has assumed the status of official language. I am of the opinion that the President by not delivering the Address in Hindi, in spite of the persistent demand from the opposition, has shown great disrespect for the national language.

I am of the opinion that whetever has taken place in the South is the direct result of provocative speeches of the responsible political leaders. They made statements which added fuel to the fire. The attitude of Shri Kamraj Nadar is highly condemnable. Two Union Ministers, who tendered their resignations from the Cabinet, could not disown this disorder, It is highly deplorable that so far no action has been taken against them. A circular letter was distributed by Shri C.V. Ramaswamy Naicker. the leader of the D.M.K. which contained instructions for sabotage activities. I will very strongly demand that the Government should issue a statement and clarify the position.

The President referred to increase national cause. But our economic condition has come to a very deplorable state. We are terribly short of Foreign Exchange. So much so that the Foreign Exchange reserves to the extent of Rs. 79/- crores only. The 10 percent levy has been imposed on petrol, banks rate has also been reduced. Railway freights have also been increased. This clearly shows that we are marching towards economic Bankruptcy. While this is the situation on one hand the President mentioned in his address the increase in the national income. It is really very difficult to reconcile the two things.

The President has praised the working of the public sector in his address. But no mentions has been made of the disturbance which has taken place in Ranchi, as a result of an international conspiracy. Our difficulty is that the ruling party have adopted a strange procedure of side-tracking the problems, which are being faced by the people. The commission and Committees are appointed to solve problem but no solid result is achieved. The Chief Ministers' Conferences are convened which ultimately achieve no result. And thus the problems of the people remain unsolved.

It is very significant to mention that the President has made mention of the solemn promise made with regard to getting back the territory which has been illegally captured by China. During the Chinese invasion, our forces had to retreat, as they had no good weapons. Government could not arrange the modern weapons for the army. I am of the opinion that we must have the atom bomb to meet the Chinese nuclear menace. We must realize that if we had not made the complete preparations to meet the Chinese invasion, what was the use of putting our inaduequately equipped forces against the well armed Chinese forces.

It has been stated by the Government that the root cause of the food problem is the hoarding of grains by the farmers. But, the fact remained that the farmers are also dissatisfied they even could not get the minimum prices fixed by the Government. Government have also shifted their responsibility on the States by calling it a State subject. But by doing so the problem cannot be solved. Government have not come forward with the lasting solution of this pressing national problem.

The President in his address mentioned the welcome given to the Pope in the most respectful words. But on the other hand pressure was put on the king of Nepal so that he may not come to India to address a rally of the R.S.S., a cultural organisation. By adopting such an attitude of superiority, we cannot develop friendly relations with our neighbouring countries.

[Shri Brij Raj Singh]

The President has not mentioned the failures of the Government in various directions. The problems of Kashimir, Nagaland, Assam Hill States and Berubari still remain unsolved. The question of giving proper status to Hindi the national language is also hanging in the fire.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao in the chair]

Let me submit that the Government should have been vigilant and ought to have taken strong measures to curb the pro-Peking activities of the Communists indicated in the white paper. I am also of the opinion that the Communists have a hand in the recent disturbances in the South.

**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस अभिभाषण में देश ने जो प्रगति की उस की एक झलक मिलती है।

देश ने हर प्रकार से प्रगति की है। हमें आज दो से पहले के समय का ध्यान में रख कर के देखना चाहिये और सोचना चाहिये कि देश में कितना अन्तर आ गया है। पहले बहुत लोगों को भरपेट खाने को नहीं मिलता था अब किसी को खाद्य पदार्थों की कमी नहीं।

कपड़े के बारे में जयपुर की महारानी ने कहा यह नहीं मिलता। उन की यह बात ठीक नहीं। इस की कोई कमी नहीं है।

खाद्य पदार्थों के बारे में सरकार ने नई नीति अपनायी है। सरकार इसे सफल बनाने के लिये पूरे प्रयत्न करने होंगे। हमें किसानों को सभी प्रकार सुविधायें उपलब्ध करनी हैं जैसे खाद्य अच्छे बीज, अच्छे औजार आदि। सिंचाई की छोटी योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ योजनायें मंत्री महोदय को भेजी हैं। मैं आशा करता हूं कि वह उन की ओर ध्यान देंगे। इस से बहुत लाभ हो सकता है।

इस वर्ष खरीफ की फसल बहुत अच्छी रही है और रबी के अच्छे होने की भी आशा है। ऐसा होते हुए मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि किसान ने अपना अनाज मंडियों में नहीं भेजा। जब तक उन को उन की आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं की जाती वे अनाज देना पसन्द नहीं करते। उनकी आवश्यकता है सीमेंट तथा अच्छे औजार आदि।

एक और बात है जिस के बारे में मैं कहना चाहता हूं वह है मूल्यों की। वह नियत कर दिये गये हैं। इस में आप को किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिये। परन्तु इसका सब से अच्छा हल उत्पादन के बढ़ाने में है। मुझे विश्वास है कि हमारा देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य है। यदि हम प्रयत्न करें तो इतना अनाज उत्पन्न कर सकते हैं कि हम इसका निर्यात भी करने लगेंगे। हमें इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये और प्रत्येक प्रयत्न करना चाहिये ताकि देश में कृषि उत्पादन बढ़ सके।

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में सर्वेक्षण से पता चलता है और जैसा कि वित्त मंत्री ने माना भी है कि देश में पूंजी लगने का वातावरण नहीं है। देश में इसके लिए वातावरण

उत्पन्न करना चाहिये। दिसम्बर, में कुछ रियायतें घोषित की गई थीं परन्तु वह काफ़ी नहीं हैं। उन में कोई आकर्षण नहीं है। जब ब्याज की दर 9 प्रतिशत हो तो शेअर्स में 3 प्रतिशत पर कौन धन लगायेगा।

इस देश में कर बहुत अधिक है और कर कानून भी बहुत जटिल है। हमारे यहां इन कानूनों में लगभग प्रति वर्ष परिवर्तन होता है। इस कारण पूंजीपति हतोत्साह हो जाते हैं और वह पूंजी नहीं लगाते। यह स्थिति विदेशी पूंजी के बारे में है। व्यक्तिगत कर भी इस देश में बहुत अधिक है। हमारे देश में इतना कर है कि समवायों को उन की पूरी जानकारी भी नहीं होती। इन्हीं के कारण लोगों तथा कम्पनी के पास कुछ नहीं रह जाता। कई स्थितियों में तो कम्पनियों को 60 या 70 प्रतिशत तक कर देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त न अंशधारियों को लाभांश पर भी कर देना होता है।

श्री पालखीवाला ने, जो आयकर के विशेषज्ञ हैं, एक दिलचस्प किताब लिखी है। इस में देश की कर व्यवस्था के बारे में काफी कुछ है।

देश में स्फीति बोझ बढ़ रहा है। जब तक उचित कार्यवाही नहीं की जाती स्थिति में सुधार नहीं होगा और इस में सुधार करना कठिन हो जायेगा इस समय वित्त मंत्री के लिये एक बहुत अच्छा अवसर है। अतः हमें करों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करनी चाहिये। इससे देश के उत्पादन में वृद्धि होगी और वर्तमान कठिनाईयां समाप्त हो जायेंगी।

इस सम्बन्ध में अन्य देशों से भी सबक सीखना चाहिए जहां पर करों में कटौती कर दी गई है। जर्मनी तथा जापान के उदाहरण हमारे सामने हैं। अमरीका में कर घटाये गये और अधिक राजस्व एकत्र हुआ। जब तक उत्पादन में वृद्धि न हो लोगों की कर देने की शक्ति कम रहती है।

रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिया है। इसी प्रकार अन्य व्यापारिक बैंकों ने भी दर में बढ़ोतरी कर दी है। इस उत्पादन पर व्यय में वृद्धि हो जायगी। फिर रेलवे ने माल भाड़ा भी बढ़ा दिया है। इस का भी देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

अतः यह समय है कि इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। जब तक उदारता नहीं लायी जाती विकास कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी। लोगों के खर्चे पर नियंत्रण काफी नहीं। सरकार को अपने खर्चे में भी कमी करनी चाहिये।

देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति भी बहुत गम्भीर है। यदि हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के कारखाने वह सभी वस्तुएं उत्पन्न करनी शुरू कर दें जिनका आयात होता है तो भी बहुत विदेशी मुद्रा बचायी जा सकती है। सरकार को इस ओर भी आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरा यह सुझाव है कि हमें अपनी कर नीति में स्थिरता लानी चाहिये और इसे इतना शीघ्र बदलना नहीं चाहिये। विदेशों के उद्योगपतियों ने भी इसी प्रकार की बात कही है।

**Shri A. S. Saigal** (Janjgir) : Mr. Chairman, I have been very much impressed by the Address of President. I express my hearty congratulations on it. Country is face to face with complicated problems of food, language etc. The threat of China continues on our northern border. The Chinese nuclear explosion has given sude shock to the entire world. In spite of all these, the President's Address raises hopes. It gives an impression of optimism.

[Shri A, S. Saigal]

President has paid a tribute to the late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru. He was a leader of the world. His death is a blow to the entire world.

President has referred to inflation of currency and hidden money in his Address. I am unable to understand as to why such things are taking place. People are forgetting the noble path shown by Mahatma Gandhi. Patriotism and feeling of nationhood are giving way to selfishness. People are becoming lethargic. Government attaches great importance to industrial peace. President has referred to the welfare of workers. We should inculcate a feeling of cooperation and tolerance in our people. Our great saints have been preaching this very thing. We have to follow their teachings.

Government is doing a lot in the field of social services. They have appointed an Education Commission. They should pay attentions towards the moral education also. We have to create a sense of sincerity and honesty among our countrymen. Then corruption and other evils will automatically disappear.

President has not expressed anything about the Panchayati Raj and Co-operation. I would like the Prime Minister to express his view on these subjects while replying to the debate. These two (Panchayati Raj and Cooperation) are the backbone of our country.

There should be close coordination between the administration and the Cabinet. Sir, with these words I have done.

**Shri Samnani :** I thank you for having given me time to speak. The question of language is the topic of the day. I would say that we should think problems of the country and thereafter think of this question.

President has said that we are not having cordial relations with Pakistan and China. The frustrated leaders in India and Pakistan Government are giving air to the bad relations with Pakistan. They say that we can resolve our difference with Pakistan at the cost of Kashmir, which is practicable.

I requested the Government in the last session and I would again say that our Government should declare once for all that there is no Kashmir problem and the State of Jammu and Kashmir is an integral part of India like the States of Madhya Pradesh, Bombay and Hyderabad. We should not give any opportunity to Pakistan to say that there can be peace only at the cost of Kashmir.

If there is a talk of secession from the country, it creates a great deal of resentment in the minds of countrymen. I am surprised why no note is taken of such speeches made in Kashmir. At the time of release from Jail Sheikh Abdullah was given undue publicity. He later on realised that he lost the following in Kashmir. Now he thinks himself to be a big leader. Our Government should not attach so much importance to him.

The happenings in Madras on the language question are deplorable. We ourselves are responsible for these tragic events in the South. When Hindi had been given the status of official language, we should have seen that it is properly propagated. It is time that wrongs done in the past are undone now. We should follow the noble path shown by Gandhiji. That path is the path of non-violence.

I would request that the due attention should be paid to the feelings of people. You cannot impose decision on the masses. If proper care had been taken in regard to language question, the unfortunate happenings in southern states would have been avoided. We should draw some lesson from this. Gandhiji wanted us to follow the path of non-violence. but it seems that we are going the other way. Do we want violence to take place in Kashmir ? Some frustrated elements are exploiting the situation there.

A time was when Sheikh Abdullah considered himself the respresentative of Congress Party in Kashmir. But now he is against it. He is against the idea of others joining this Party.

Non-cooperation and social boycott are the first steps urging a religious war. Central Government must take note of these things. Their activities are anti-national. They are disturbing peace of the State. Central Government should take a positive attitude and declare categorically that Kashmir is an integral part of India and there will not be any bargaining on this question. We have decided once for all.

The language question has caused a deep stir throughout the country. If we do not do anything positive with regard to Kashmir it can also have serious repercussions.

The common man of Kashmir is in a quandry. He is puzzled. Sheikh Abdullah has accorded receptions in Delhi and Bombay. Now he is going abroad. Have we instructed our embassies abroad in the matter. I am not against his going abroad. If he indulges in anti-national propaganda, it will not be good.

The Kashmir Congress has passed a resolution the other day. In it they have demanded that the fascist organisations in the state should be banned. I would request the Central Government to take necessary steps in this direction.

Pakistan wanted to enforce an economic blockade of Kashmir, but it failed.

Now I am sorry to say that an economic blockade is taking place from Indian side. The tourists season has been very lean during last two years. The number of tourists have dwindled down. Sheikh Abdullah was uttering such things that no one liked to go to Kashmir. People preferred to go to other hill stations.

I requested Shri Raj Bahadur at the tourism ministers' conference to use his good offices and extend all possible help to the tourists to Kashmir. After all efforts the number of tourists to Kashmir was only 2152.

This has caused wide spread unemployment there. In such a situation it becomes the duty of entire India to help that state, otherwise people there will think that by joining India they made a mistake.

President has said in his Address that no agreement with Pakistan could be reached on Kashmir question. For how long we are going to say that ? We should solve other problems with Pakistan. There is no Kashmir problem as such.

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : Mr. Deputy Speaker, we find throughout the country illusions and mistakes. There is a set pattern in the Presidential Address. He says that during the last 15 years the number of villages electrified has gone up from 4 thousand villages to 40 thousand villages. Though it may effect to give some satisfaction but the very first question that arises about it is that if we increase our speed in this direction

[Dr. Ram Manohar Lohia]

three times, even then it will take at least 50 years for the entire country to be electrified. Apart from this, they have not indicated the number of houses which have been electrified in these villages where power has been given. My definite guess is that out of 80 lakh houses in these villages, hardly 6 lakh have been electrified.

The next question is about the States and districts to which these villages belong. These belong to those which raise cry against exploitation here. I am to state about a big city where only 19 thousand houses have flush latrines out of 2 lakh and 30 thousand houses in that city. Unless and until you pay attention about ameliorating the condition of Harijans, Tribals and the backward classes of Hindus and Muslims, it will be like avoiding the important problems. It is essential that we may assess about the ratio of money spent on above people out of the amount sanctioned for the plans. Unless the condition of people of the lower income group is improved, the real improvement of the people will not come about. This I am saying not from the point of view of justice but from the point of view of production.

The President has said that new harvest has outstripped that of the last year. But we find the fear of starvation always looming larger. So we should pay our attention to the problem of starvation in our country. This is again a question of wrong outlook. I want to say this here that due to our planning that *per capita* consumption of 30 lakh people which was 233 grams seven years back will come down to 204 grams. This is a reason for saying so. The average for it comes to 7 chhataks. Due to plans standard of living of a section of poor people goes up and they join those where consumption of foodgrains is more *e.g.* workers in factories, rickshaw pullers and those who are in the army. The result is that there is a continuous decrease in the consumption of foodgrains for 30 crore people here.

If you see the price of foodgrains you will find that the foreign flour which used to be sold for 44 paise per kilo is now being sold for 55 paise per kilo. This rise has occurred only during the last 2 months. On the one hand the Government claims increase in the production of foodgrains, decrease in prices and control on inflation but the fact is just the opposite. One reason for this is the tax and another is that government has now become the greatest buyer and seller of goods.

The reason for this is that we indulge in certain slogans. First of all it was cooperative farming then it was of State Trading Corporation and thereafter of buffer stocks. Sometimes they even talk of free trade. Previously they used to harp on big dams like Bhakra and now of small irrigation works. But none of these has improved the condition of the people.

My experience here after listening to the speeches of the Ministers is that they want to invest money only in factories and not in farming. The reason for this is that a factory can be established on a small piece of land of 4 to 6 acres and to embezzle money is easier in them. But agricultural fields are spread on large tracts of land and the scope of embezzlement is not so bright. I therefore suggest that free water supply may be made available to those who own one acre land in the same way as they supply free drinking water to urban population. The plan of free irrigation should be a seven-year plan and every year 4 to 5 crore acres of land may be covered for free supply of water.

As this country suffers from slogans, in the same way it suffers from "catch-words". Previously it was "Hare Ram" and now it is "Socialism". Sometimes it is private sector *versus* public sector and the rivalry continues but on close observation one does not find much difference between Rourkela and Jamshedpur.

If this socialism is probed further, we will find that there is marked improvement in the standard of living of every Cabinet Minister. Socialism means equality. For this there would be the question of maximum and minimum. We should try to raise the income of those who are in the category of minimum and bring down the income of those who are in the bracket of maximum. I appeal to all including the poorer people that when they demand that there should be an increase in their income, they should also demand decrease in the income of those who are getting maximum. Thereby, you will get money which can be invested in agriculture and workshops.

I have opposed the policies of Shri T.T. Krishnamachari always but now I will praise him for his policies which he adopted during the last 15 to 25 days where he has shown some stiffness. After this praise of him I will say that he has disclosed about the amount of donations received by various political parties. Congress has got Rs. 98 lakhs which calls itself a socialist party. Another party has got Rs. 15 lakhs. My own party gets only Rs.300·co. They too have recently held a meeting in Bombay where they have collected Rs. 20 lakhs for Kerala elections. Why these capitalists give money to political parties ? It is because there is something wrong somewhere. Now I have something to say about the Prime Minister. The Prime Minister of a country has to be the greatest man of a country. I find that the Prime Minister now has not one but two heads on his body. Sometimes he advocates English at other times he favours Hindi. Again once he says about taking of every inch of our land from China and then he talks about Colombo proposals and then about an honourable solution of this problem. Further he talks about socialism and then about modernism or that the standard of living of people should be as high as in Russia and America. Although I hold Shastriji to be chiefly responsible for having double-heads but to some degree we are all guilty of it. Other countries suffer from having two-tongues. They deceive the outside world but their pronouncements as is the case with Britain, USA and Russia. But we in India announce something else but act in just the reverse manner. There is no relevance between our pronouncements and their translation into action. Take for instance the case of widow-marriage. We have accepted this in principle after a good deal of controversy but in actual practice it is still not being followed. The same is the case with abolition of caste-system. We have peldged to abolish it but have not given it practical shape. These things create a sense of indecision and this is exactly what we find in India. Decisions create responsibility and those who want easy way for everything they avoid decision-taking. They do this so that people may not be able to fix responsibility when they fail in their work. This again can make them lose their power. But these are undemocratic things. When we accumulate so many theories in our mind we cannot implement them.

After saying about the double heads of Congress, I want to say something about opposition parties. The Communist party has not two-heads over its body but three-heads because sometimes it advocates the use of Hindi, then the use of English and then the use of 14 languages. Similarly the DMK is in favour of all the 14 languages but is fighting for the use of English.

[ Dr. Ram Manohar Lohia ]

I therefore say that this country should decide once for all about the language problem. I say either you have Hindi alone and put an end to English or you have English only and put an end to Hindi. If you cannot do this for the entire country, then think as to how this can be done in another manner.

I want to divide the country into two parts. In one part there should be those who now advocate the use of English and the other that which wants to put an end to the use of English altogether. There should be competition of progress between these two parts for a period of five to ten years. This rivalry will make them progress and if the part which opts for English lags behind the other, it will abandon the use of English and will then put into use some other language in place of English.

I am not against the use of English from the point of view of prestige. I consider it to be the cause of ignorance and poverty of this country. The reason for low increase in the rate of progress in India which is only 2 to 2½ per cent, is this use of English. In contrast we find that the rate of economic progress in Japan is 9 to 10 per cent, in Israel is 12 per cent and in Russia it is 7 to 8 per cent. The use of foreign language in India has badly told upon our art, learning and research. The poverty is increasing day by day. Hence, I advocate that there should be healthy competition between the two parts of India—one which will use Hindi for all practical purposes and the other which may use English for all purposes.

I think that our President also committed a blunder by not learning Hindi. He has taken an oath to uphold Constitution of India which in turn demands progressive use of Hindi and decrease in the use of Hindi. For this also I hold the Government more responsible.

I sometimes feel guilty as to why I did not oppose the partition of India at the time of independence. But now I am sometimes worried when I feel that there might be another partition of the country due to this language controversy. This can be prevented if my scheme of two parts explained above may be followed. Even in U.P. I find that there is only lip service to Hindi. In the spheres of Universities, Engineering Colleges, Courts etc., they use English.

I will conclude by saying about Shri Janeshwar Mishra who is in prison for the last 7 months although he is not a Communist. This too is the result of having two-heads on one body.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा का है जिसके कारण दक्षिण में झगड़े हुए हैं और कुछ व्यक्तियों ने मद्रास में अपने आप को जीवित अग्नि में भस्म करके राख कर दिया । वैसे तो यह आंध्र प्रदेश म भी फैलने वाले थे परन्तु वहां पर रुक गये और उन्हें अब देश के कुछ भागों से चूड़ियां भेजी जा रही हैं कि उन्होंने क्यों न दंगे किये । वे इसलिये झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि वे समझते हैं कि उन पर हिन्दी लादी जा रही है और नौकरियों में वह उनका मुकाबला न कर सकेंगे जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है । इस देश की एकता और अखंडता अधिक आवश्यक है दूसरी बातों से ।

मेरे मन मैं श्री रंगा तथा श्री राजाजी के प्रति बहुत सम्मान है । परन्तु में यह बता दूं कि पोट्टी तीसिरामुलु की मृत्यु का कारण राजाजी का आंध्र प्रदेश बनने के प्रति सख्त रवैया ही था ।

ऐसे ही मुझे राजाजी का पूना में प्रस्तुत प्रस्ताव याद आता है जिसमें उन्होंने देश के विभाजन के बारे में कहा था। इसलिये में श्री रंगा के द्वारा श्री राजाजी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने देश के प्रशासन में बड़े से बड़ा पद ग्रहण किया है और अब वह बृद्ध हो गये हैं इसलिये अब उन्हें देश के लोगों को और अधिक नहीं भड़काना चाहिये। ऐसे ही मैं हिन्दी भाषी व्यक्तियों से प्रार्थना करूंगा कि वे भी कुछ जब्त से काम लें और अहिन्दी भाषी प्रदेशों के व्यक्तियों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिये।

मुझे आशा है कि इस देश की संस्कृति तथा इसका धर्म इतने दृढ़ हैं कि हम भाषा के प्रश्न पर इसके टुकड़े नहीं होने देंगे।

अणुबम के बारे में मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं कि वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री की नीति पर चल रहे हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं।

दूसरी महत्वपूर्ण सफलता सरकार की नागालैंड के प्रश्न पर है कि अब नागा विद्रोहियों ने भारत का अंग बन कर रहने का निश्चय मान लिया है यद्यपि इस पर उन्हें कुछ स्वायत्त शासन की रियायत दी जावेगी।

खाद्य उत्पादन में अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। उसका कारण यह है कि जो निर्णय यहां लिये जाते हैं उन पर प्रदेशों में जा कर कार्य नहीं किया जाता है। सरकार ने ऋण देने के बारे में बहुत सी रुकावटें डाल रखी हैं। इसलिये इस कार्य को आसान बनाया जाये।

खेती के बारे में खाद्य मंत्री ने कृषि की एक अलग योजना बनाने की बात कही है। मैं उनका ठीक मतलब नहीं समझ सका कि वह कृषि की इस योजना से अलग योजना चाहते हैं अथवा इन्हीं का एक भाग बनाना चाहते हैं।

कृषि मूल्य आयोग में यदि किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया तो यह केवल स्वांग ही होगा और इससे किसानों की हालत नहीं सुधरेगी।

किसानों को प्रोत्साहन देना बहुत ही आवश्यक है। जब तक उन्हें उनके माल का ठीक मूल्य नहीं मिलेगा वह अनाज पैदा नहीं करेगा क्योंकि उसे भी तो अपने घर का खर्च चलाने के बाद कुछ बचत होनी चाहिये।

कृषि अनुसंधान को दो भागों में बांट देना चाहिये। एक तो मौलिक अनुसंधान कार्य जिसे एक केन्द्रीय स्थान पर किया जावे और दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान जिसे राज्यों में कार्य में लाया जावे।

खाद के साथ साथ पौदों के बचाव का भी प्रश्न है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि किसानों को कृमिनाशक दवाई मुफ्त दी जावे।

क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक किया जावे अन्यथा देश का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। मेरे अपने प्रदेश में खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में होते हुए भी वहां व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय, बिजली की खपत आदि बहुत ही कम है। शिक्षा के मामले में भी आंध्र प्रदेश बहुत पीछे है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप जो पांचवा इस्पात कारखाना लगाने वाले हैं वह भी आंध्र में लगाया जावे क्योंकि वहां लोहा सम्बन्धी खनिज पदार्थ बहुत हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करेगी।

[श्री पें० वेंकटासुब्बया]

अन्त में मैं यह कहूंगा कि गोदावरी नदी पर सरकार रेल का पुल बनाने का विचार कर रही है। वहां की जनता की यह आवाज है कि वहां रेल के साथ सड़क का पुल भी होना चाहिये। आंध्र प्रदेश की सरकार का कहना है कि इस पुल के बनाने पर 2.5 करोड़ रुपया व्यय आवेगा। इसमें से वे 1.5 करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार हैं यदि बाकी का व्यय केन्द्रीय सरकार दे दे। यदि सरकार ने इस रेल और सड़क के पुल बनाने पर ध्यान नहीं दिया तो वहां आन्दोलन हो जावेगा।

शिवासेलम बिजली-पानी योजना को जल्दी से पूरा किया जावे। इस योजना के पूरे होने पर आन्ध्र प्रदेश के किसानों तथा उद्योगपतियों की हालत अच्छी हो जावेगी। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव से अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

**इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार, 25 फरवरी 1965/फाल्गुन 6, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 25th February, 1965/Phalguna 6, 1886 (Saka)**

---



GMGIPND—LS II—2577 (Ai) LS—22 6 65—600